खण्ड-209, अंक-4
बुधवार, 28 माघ, शक संवत् 1881
(17 फरवरी, 1960 ई0)

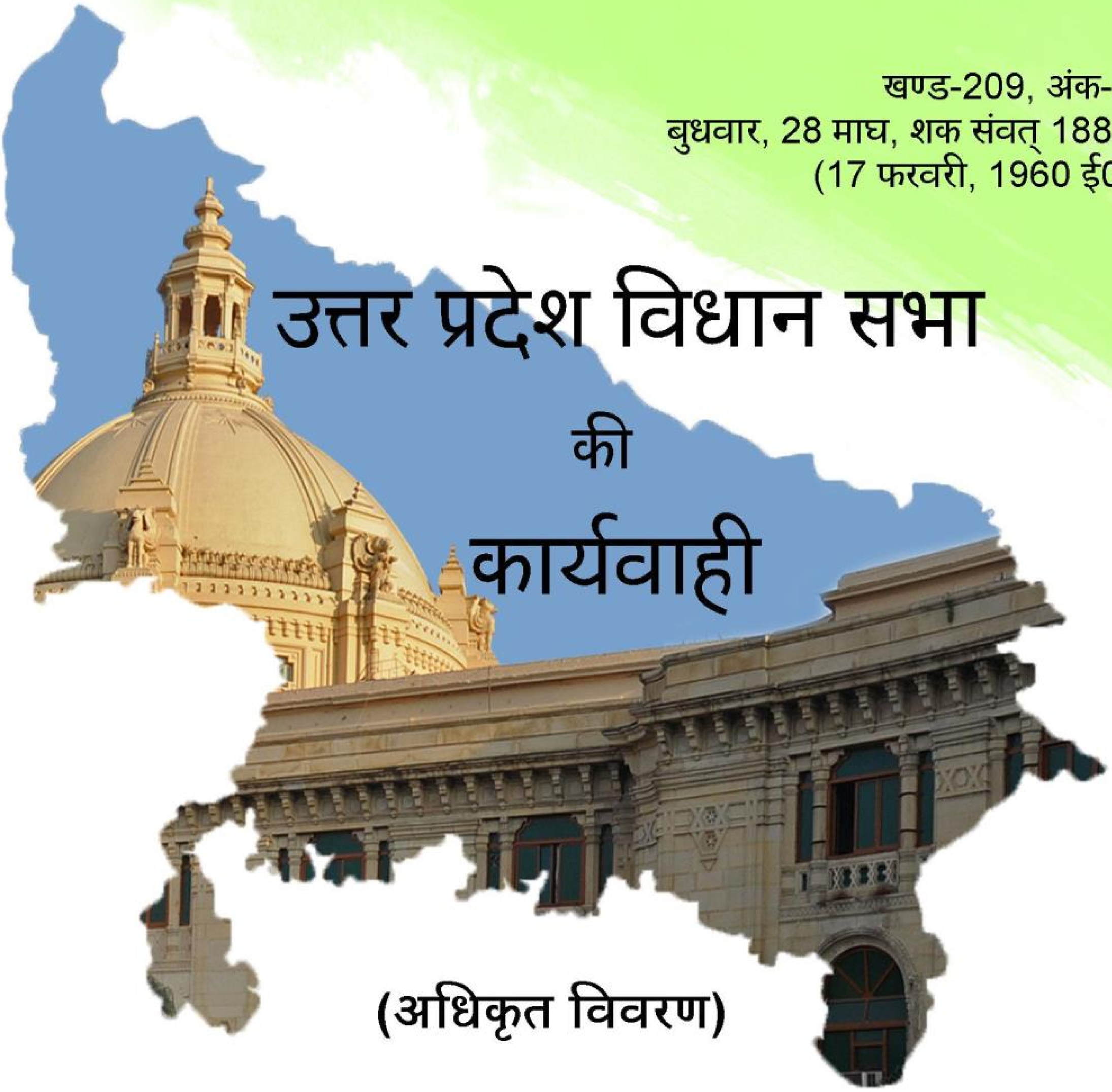

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 209 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, आत्माराम गोविन्द-खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य— ३४८

अक्षवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान , श्री
अनन्तराम वर्मा श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुलस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दभूषण गप्प, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर , श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
झन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती , श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह , डाक्टर
खयालीराम , श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री

गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदा सिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोबिन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री, ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्रत श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरण सिंह, श्री
छत्रसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह, आर्य श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारा देवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह, भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां ,श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री

सोहनलाल घुसिया, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह दिवल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १७ फरवरी, १९६०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पश्चिमी बंगाल के खाद्य आन्दोलन में दासनगर में उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की हत्या

**१—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें पिछली ३ सितम्बर को पश्चिमी बंगाल में दुर्भिक्ष प्रतिरोध समिति द्वारा संचालित खाद्य आन्दोलन के अवसर पर दासनगर (हावड़ा) में उत्तर प्रदेश के कुछ व्यक्तियों की हत्या होने, उनके घर एवं अन्य सम्पत्ति जलाने तथा लूटे जाने की कोई सूचना मिली है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां।

**२—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि उक्त दुर्घटना से पहले बार-बार सूचना देने पर भी समय से पर्याप्त पुलिस की सहायता न प्राप्त हो सकी जब कि दासनगर, हावड़ा नगरपालिका में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

**३—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह भी सत्य है कि उक्त दुर्घटना कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रेरित एवं संचालित थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दुर्घटना उस हड़ताल के सिलसिले में हुई थी जिसे वाम पक्षी दलों के खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में कराया गया था।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपया उस घटना का एक सूक्ष्म विवरण इस हाउस को देंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो विवरण बंगाल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर साहब ने भेजा है, वह अंग्रेजी में है। उसे संक्षेप में बतला देता हूं। उन्होंने यह लिखा है कि कलकत्ता में जो वाम पक्षी दल थे उन्होंने ३ सितम्बर को एक हड़ताल का आयोजन किया। उसमें कोई हिन्दुस्तानी और बंगाली का भाव नहीं था, उन लोगों के मन में। दासनगर में कोई जूट मिल है। वहां कुछ पुलिस के आदमी इन्तजाम करने के लिए भेज दिये गये थे। मिल वाले मजदूर हड़ताल में शरीक नहीं हुये। सात बजे के करीब एक भीड़ हड़ताल कराने के लिए वहां पहुंची और उन्होंने मिल को बन्द कराना चाहा। लेकिन वह इस में सफल नहीं हुये। उन्होंने यह कोशिश की कि फाटक तोड़ कर भीतर घुसें। इस बात को भी पुलिस ने रोका। लेकिन कुछ जगहों में जहां वह घुसने की कोशिश कर रहे थे, मिल के दरबानों ने अन्दर से गोली चला दी जिस से कुछ लोग घायल हुये और मरे भी। इससे भीड़ बहुत गुस्सा हो गयी और उसने मजदूरों की बस्ती पर, जो मिल के सामने थी, हमला कर दिया और कुछ मजदूरों को चोट आयी और कुछ ग्वालों को चोट आयीं। पुलिस वहां फौरन पहुंच गयी। उस ने जो लोग भीड़ लगाये थे उनको हटा दिया। जो लाशें थीं उनको उठाया,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जो घायल थे, उनको हटाया। बस्ती वालों और बस्ती के पशुओं की रक्षा की। थोड़ी देर में और ज्यादा पुलिस आयी। उसने टियर गैस से काम लिया, गोली चलायी। फिर, कुछ देर में फौज को भी बुला लिया गया। उसकी घटना तो यह है। तीन आदमी मरे और दस आदमी घायल हुये।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि हड़ताल नाकामयाब होने के बाद, जो मेरी सूचना है, उस के मुताबिक, ब्लैंक फायर हुये किसी को चोट नहीं आयी, हड़तालियों ने एक व्यक्ति को चारपायी पर रखकर बंगालियों की बस्ती में घुमाया और यह कहा कि हिन्दुस्तानियों ने इस व्यक्ति को मार दिया है और दो व्यक्तियों को मार कर ब्वायलर में झोंक दिया है, जिससे उत्तेजना पैदा हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह शिकायत माननीय सदस्य ने लिख कर दी थी। मैंने इसको भी उन से पूछा था, लेकिन इसकी बाबत उनका कोई जवाब नहीं है। उनका कहना है कि जितना हम लिख रहे हैं उतनी घटना है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय यह बता सकेंगे कि जिन लोगों की लाशें मिलीं वह उस भीड़ के लोग थे जिन्होंने हड़ताल की या मजदूरों की थीं, जो बस्ती में रहते थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उन्होंने जो विवरण दिया है उससे ऐसा मालूम होता है कि जो लोग भीड़ में थे उनकी थीं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जो वाम पक्षी दलों का जिक्र किया है, उनमें कौन-कौन दल हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सब के नाम उन्होंने नहीं दिये। यह लिखा है कि उसमें खास-तौर से प्रमुखता कम्युनिस्ट लोगों की थी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो कांड हुआ इसमें कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उन्होंने लिखा है कि करीब ५ सौ आदमी गिरफ्तार हुये और इस वक्त ४३ आदमियों पर मुकदमे चल रहे हैं मर्डर, लूटपाट या आग लगाने आदि इस किस्म के। दो मामलों में ४३ आदमियों पर चल रहे हैं और चार मामलों में जांच बाकी है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना की सूचना इस प्रदेश की सरकार को कब मालूम हुई और उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंगाल की सरकार को सहायता देने के लिए क्या लिखा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी सबसे पहले सूचना मिली माननीय गौरीशंकर राय जी से और जो उन्होंने लिखा था वह हमने पूरा बंगाल सरकार को लिखकर भेज दिया। जो उन्होंने हमको लिखा, उसका सारांश मैंने बतला दिया।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को सूचना है कि इतनी बड़ी नरबलि और पशुबलि के बाद भी बंगाल सरकार ने उन पीड़ितों की कोई सहायता नहीं की और उसके बाद कोई जिम्मेदार आदमी उस घटनास्थल पर गया भी नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सहायता की बाबत तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन माननीय सदस्य को याद होगा कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था होम मिनिस्टर साहब का भी और एक मिनिस्टर का कि वह नहीं गये। उस के बारे में उन्होंने लिखा है कि जब हमने फौज का इन्तजाम कर दिया तो फिर किसी के जाने का सवाल नहीं उठता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)----क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को ६ या ७ अक्तूबर की मेरी बात याद है जब कलकत्ता से लौटकर के वाराणसी में मैंने उनको दासनगर की घटना के बारे में ब्योरे से बताया था कि दासनगर में करीब दो तीन सौ आदमी मर गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जरूर राजनारायण जी ने मुझसे बातें की थीं। लेकिन जिस तरह से कि एक दूसरे माननीय सदस्य ने इसका जिक्र किया जिम्मेदारी के साथ, माननीय गौरीशंकर राय जी ने, जब तक ऐसी कोई चीज न हो तब तक किसी दूसरे प्रदेश की सरकार से हम बात नहीं कर सकते थे।

श्री राजनारायण---मुख्य मन्त्री जी ने उस समय जब मुझसे कहा था कि हम पता लगा लेंगे तो उस समय मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा कि किस प्रकार से मैं उन को बताऊं तो वह जिम्मेदारी समझेंगे ?

श्री अध्यक्ष---पहले तो आप उन से यह कबूल करायें कि उन्होंने कहा था कि वह पता लगायेंगे।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी को इस बात का स्मरण है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हम इस बात का पता लगा लेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे याद तो नहीं लेकिन माननीय राजनारायण जी कहते हैं तो शायद ऐसी बात हुई हो।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मूल प्रश्न में यह है कि उत्तर प्रदेश के कुछ व्यक्तियों की हत्या होने, उनके घर एवं अन्य सम्पत्ति जलाने, तो मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि यह माब फ्युरी उत्तर प्रदेश के ही व्यक्तियों के खिलाफ क्यों हुई ? इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---क्यों हुई, यह तो जिन लोगों ने किया वह बता सकते हैं। लेकिन 'नार्थ अप कन्ट्रीमेन ने' लिखा है, गालिबन उस में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग थे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मानीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में बताया था कि उस आन्दोलन में अधिकता कम्युनिस्टों की थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कम्युनिस्टों के अलावा और कौन दल उस मोर्चे में शामिल थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बंगाल के मिनिस्टर साहब ने उनका नाम लिखा नहीं है। कम्युनिस्टों का नाम लिखा है, इसलिये मैं कहता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वेस्ट बंगाल के मुख्य मन्त्री ने क्या इस घटना की चर्चा वहां के आदरणीय सदन में की थी और यदि की थी, तो उन्होंने क्या कहा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बंगाल की असेम्बली की प्रोसीडिंग तो मेरे पास है नहीं कि मैं जानता कि उन्होंने क्या कहा।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को मालूम हुआ है कि इस ऐक्शन के बाद दूसरे दिन प्रातः उस मुहल्ले में एक लाश कोयले के चूरे के अन्दर, दूसरी लाश एक तालाब में और एक जली हुई ट्रक के नीचे एक बच्चे का कटा हुआ हाथ और एक एडल्ट का सिर मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे मालूम नहीं। माननीय सदस्य स्वयं सोचें कि दूसरे प्रदेश के बाबत हम खुद तो जांच कर नहीं सकते। तो जो उन्होंने खबर दी उस के आगे हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ते से एक जनमुख अखबार निकलता है और वह अखबार निकालने वाले जौनपुर के रहने वाले हैं। वह उत्तर प्रदेश में सरकार के पास भी उसे भेजते हैं और करीब करीब बहुत से जिलों को भेजते हैं तो उन्होंने भी इस घटना के बारे में कुछ वर्णन अपना लिखा है और लिखा है तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे याद नहीं पड़ता कि उस अखबार को मैंने कभी देखा हो और यदि उस ने कुछ लिखा हो तो मुझे मालूम नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या इस बात का ध्यान रखते हुए कि लोगों को इस बात का विश्वास है कि मृत व्यक्तियों में कुछ उत्तर प्रदेश के थे तो क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि वे तीनों उत्तर प्रदेश के थे या नहीं और अगर कोई था तो क्या उसकी सहायता के लिये कुछ कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो मैं बंगाल गवर्नमेंट से पूछ सकता हूं लेकिन सहायता देने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उत्तर प्रदेश के बाहर यदि कोई घटना हो और उसमें कोई उत्तर प्रदेश का आदमी मर जाय और उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार पर हो तो यह बहुत बड़ी नजीर हो जायगी। उसके लिये जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती।

श्री अध्यक्ष—ये तीन आदमी जो मरे थे भीड़ में से मरे या जब भीड़ के लोगों ने हमला किया उसके कारण लोग वहां पर मरे। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वे कौन से मरे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हो सकता है गलती हो, लेकिन जो इसमें लिखा है उसीको मैं पढ़ देता हूं :

"Police Officers and men at the place prevented a clash between the strikers and the non-strikers but at certain places the strikers tried to break through when the Durwans of the Mill in panic opened fire on them and caused gunshot injuries to several of them. This infuriated the mob and failing to get inside the Mill they attacked the Bustee opposite the Mill where some up-country labourers and a few milk-men lived."

श्री अध्यक्ष—तो इसका मतलब यह है कि गन शाट से मरे।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि यह मजदूरों की हड़ताल का प्रयास दासनगर मील के गेट पर हो रहा था और यह हिन्दुस्तानी मजदूरों की बस्ती शान नगर नाम की वहां से १ ।। मील की दूरी पर है, जहां पर यह हमला हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसे नहीं जानता लेकिन इस रिपोर्ट में एक वाक्य है :

"This infuriated the mob and failing to get inside the Mill they attacked the Bustee opposite the Mill."

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या इस बात की जांच हो सकेगी कि यह घटना बंगाली और नान बंगाली भावना के कारण हुई और अगर यह तथ्य है तो क्या केन्द्रीय सरकार से इस बारे में लिखा पढ़ी की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसकी जांच नहीं कर सकता लेकिन वह लिखते हैं कि "There was no Provincial feeling" तो इसमें बंगाली और नानबंगाली का सवाल नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या इस सदन के सदस्यों की भावना का खयाल करके उत्तर प्रदेशीय सरकार बंगाल सरकार को सुझाव देगी कि वह उन मृत व्यक्तियों की सहायता करे जो इस प्रदेश के रहने वाले थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सुझाव देने की बाबत में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि स्ट्राइक होती है, गोलियां भी चलती हैं इसकी कोई गवर्नमेंट कहां तक जिम्मेदारी ले सकती है। मैं नहीं समझता कि यह सुझाव देने की बात हो सकती है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि इस अग्निकांड के बाद जब बंगाल सरकार की तरफ से दमकल भेजे गये उस बस्ती में तो चूंकि एक लकड़ी के अम्बार पर कुछ लाशें जल रही थीं वह दमकल वहां पहुंच न सकें इसलिये कि कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता उसके सामने सो गये और दमकल को आगे नहीं जाने दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका कोई जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है।

छोटी सिंचाई योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था

**४---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य की वर्ष १९६०-६१ के ५५ करोड़ रुपये की वार्षिक योजना में से छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कितने रुपये की व्यवस्था है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९६०-६१ के लिए छोटी सिंचाई योजनाओं के हेतु कुल ३९० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	लाख रुपयों में
(१) नियोजन विभाग की अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अन्तर्गत	१०७.२५
(२) नियोजन विभाग की राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनाओं के अन्तर्गत	१२२.६९
(३) सिंचाई विभाग की अधिक अन्न उपजाओं योजनाओं के अन्तर्गत	१६०.००
योग ..	३८९.९४

**५---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये उपरोक्त धन में से राज्य के प्रत्येक डिवीजन (कमिश्नरी) के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ? -

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह सूचना इस समय देना संभव नहीं है क्योंकि जिलों की धन-राशि उनकी आवश्यकतानुसार दी जाती है और जिलों से उनकी आगामी वर्ष की मांग के बारे में सूचना मांगी गई है।

उर्दू भाषा के प्रयोग के लिए सरकार की नीति

**६---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि सरकार ने हाल में ही कोई ऐसी निर्णय किया है जिसके अनुसार उर्दू भाषा का प्रयोग राज्य के सभी न्यायालयों, राजकीय कार्यालयों और स्कूलों में करने की सुविधा दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में किये गये निर्णयों तथा आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस सम्बन्ध में सरकार की नीति एक प्रेस विज्ञप्ति में खुलासा तौर पर घोषति की गई थी जो ३१ जनवरी, १९५९ के गजट† में भी प्रकाशित हुई थी। उसकी प्रति मेज पर रख दी गई है।

---

†गजट की प्रति छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है सरकार की तरफ से उसमें कहा गया है कि यह हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों ने हिन्दी के प्रति उत्साह प्रदर्शित करने के लिये सरकार द्वारा दिये गये आदेशों का पूरी पूरी तौर से पालन न किया हो ? इस प्रकार की शिकायत सरकार से की गयी थी कि जिन स्कूलों में उर्दू के छात्रों को उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिये वहां भी यह व्यवस्था नहीं की गयी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रकार के आदेश जिला अंतरिम परिषद् के अध्यक्ष और इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को दिये जायंगे कि इस प्रकार की शिकायत फिर न हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह विज्ञप्ति सभी विभागाध्यक्षों के पास भेज दी गयी है ताकि वह उसे अपने विभाग के सभी अफसरों को भेज दें। तो शिक्षा विभाग के अध्यक्ष से भी आशा की जाती है कि वह इसे अपने मातहत अफसरों को भेज देंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जिन व्यक्तियों ने इसका पालन नहीं किया है उनमें क्या कोई सरकारी अफसर भी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनसे कहा कि वह भविष्य में इस आदेश का पालन करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्राइमरी शिक्षा तो म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दिया करते हैं इसलिये इसमें किसी सरकारी अफसर का सवाल नहीं आता।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि विज्ञप्ति के नम्बर ४ में जहां लिखा हुआ है कि सभी न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों में उर्दू में दस्तावेज स्वीकृत होने चाहिये तथा आवेदन पत्र और प्रार्थनापत्र भी उर्दू में स्वीकृत होने चाहिये, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसके पहले हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय थे उनमें उर्दू के प्रार्थना पत्र नहीं लिये जाते थे, क्या वे अब उर्दू के प्रार्थना पत्र लेना शुरू कर देंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक हाई कोर्ट की बात है उसके ऊपर हमारी विज्ञप्ति लागू नहीं होती। हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी की पालसी हाईकोर्ट ही निश्चित करेगा।

तारांकित प्रश्न

मैनपुरी जिला जेल में नलकूप की आवश्यकता

*१---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिला जेल में बिजली के नलकूप लगाने के लिये मैनपुरी की जिला जेल अधिकारियों ने सन् १९५८ से ३१ नवम्बर, १९५९ ई० तक कई बार सिफारिशें सरकार के पास भेजी हैं ? यदि हां, तो उनमें क्या हो रहा है ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)---जी नहीं, ऐसी कोई सिफारिश सरकार को अभी तक नहीं मिली।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसी नहीं तो कैसी सिफारिश सरकार के पास आयी है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---सिफारिश नहीं बल्कि एक सुझाव आया है और वह बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जेल विभाग का है। उन्होंने १० मार्च, १९५९ को सुझाव दिया है कि वहां पर एक नलकूप लगा दिया जाय। आज कल वहां पर पाइप सिस्टम से पानी लिया जाता है। । तो इसको देखा जा रहा है कि इसमें कितना खर्चा होगा और इसको देखने के बाद इस पर विचार किया जायगा।

झांसी वाटर वर्क्स सम्मिलित योजना के कार्यान्वयन की प्रार्थना

*२—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—झांसी वाटर वर्क्स सम्मिलित योजना कार्यान्वित न हो सकने के संबन्ध में २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के क्रम में क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी वाटर वर्क्स की सम्मिलित योजना के कार्यान्वित होने के संबन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई और वह कब तक पूरी हो जायगी ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—झांसी में सम्मिलित वाटर वर्क्स योजना का मुख्यअभियंता, स्वायत शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा एक rough assessment of cost तैयार कराया गया है। इसके अनुसार योजना की अनुमानित लागत १,१३,५२,०००रु० है। इस योजना को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज कर अनुरोध किया गया है कि वे rough assessment of cost की scrutiny करावे। अब भारत सरकार की आख्या की प्रतीक्षा की जा रही है। इस योजना के पूर्ण होने में अभी पर्याप्त समय लगेगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना भारत सरकार को कब भेजी गई थी ?

श्री जयराम वर्मा—निश्चित तारीख के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उक्त योजना के महत्व का विचार करते हुये उसे शीघ्र ही कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन, इसे महत्व की योजना मान कर ही इसकी कोशिश की जा रही है कि यह जल्दी से जल्दी कार्यान्वित हो।

बन्दियों के स्वतंत्र शिविरों के लिए 'कन्विक्ट्स रिडीम्ड' पुस्तक का प्रकाशन

*३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बंदियों के स्वतंत्र शिविरों तथा उत्तर प्रदेश में किये गये जेल सुधारों पर किसी पुस्तिका के मुद्रण का निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पुस्तिका के मुद्रण पर कुल कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—जी हां। इस विषय पर "Convicts Redeemed" नामक पुस्तिका छप चुकी है जिसके छपाने में कुल ४,६१३ रु० ५ न० पै० व्यय हुये हैं।

*४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या शिविरों तथा जेल सुधारों के संबन्ध में विदेशों से पूछ ताछ हुई ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—जी हां।

*५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां तो उन देशों का नाम क्या है और क्या पूछ ताछ की गई है ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—इकुयेडर, युरूगुये, संयुक्त राज्य अमरीका, तथा फ्रांस के कई महानुभावों ने बन्दियों के स्वतंत्र शिविरों के सम्बन्ध में साहित्य मांगा था। जेनेवा, लन्दन तथा एथेन्स में अपराध शास्त्र के संबन्ध में समय-समय पर हुई कांग्रेसों में भी हमारे इन शिविरों के विषय में विस्तृत सूचना की मांग की गई थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे उक्त छपी हुई पुस्तिका विदेशों को भेज दी गई है ? यदि हां, तो किन-किन देशों को ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---उक्त पुस्तिका अभी विदेशों को भेजीनहीं जा सकी है । इसके भेजने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । आशा है कि निकट भविष्य के यह पुस्तिका विदेशों को भेज दी जायगी ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जेल सुधार की पुस्तिका किस भाषा में छपी है ? हिन्दी में या अंग्रेजी में ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---इंग्लिश में।

गौरा बरहज नगरपालिका के मेहतरों की हड़ताल

*६---**श्री उग्रसेन**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास नगर-पालिका गौरा बरहज, जिला देवरिया के मेहतरों का कोई मांग-पत्र अगस्त, १९५९ के प्रथम सप्ताह में आया है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या है ?

श्री जयराम वर्मा---मंत्री जी के पास ऐसा कोई भी मांग-पत्र मेहतरों का नहीं आया है परन्तु जिलाधीश देवरिया को यह मांग पत्र दिया गया । जो मांगे मेहतरों द्वारा जिलाधीश को प्रस्तुत की गई उसकी †प्रतिलिपि संलग्न है ।

*७---**श्री उग्रसेन**---क्या यह सही है कि उन मांगों की पूर्ति के लिये मेहतरों ने दिनांक १३ अगस्त, १९५९ को हड़ताल की ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां ।

*८---**श्री उग्रसेन**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री उस समझौते की शर्तें बतायेंगे जिसके द्वारा नगरपालिका गौरा बरहज, देवरिया के मेहतरों की १३ अगस्त, १९५९ की हड़ताल समाप्त हुई ?

श्री जयराम वर्मा---जिस समझौते की शर्तों के द्वारा मेहतरों की हड़ताल समाप्त हुई उसकी †प्रतिलिपि संलग्न है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेहतरों ने जब अपना मांग-पत्र जिलाधीश को दिया तो उस विषय में जिलाधीश ने पहले पहल कौन सी कार्य-वाही की ?

श्री जयराम वर्मा---मेहतरों ने बिना कोई मांग-पत्र दिये हुए हड़ताल शुरू कर दी थी ४ अगस्त को । उसके बाद पूछ ताछ करने पर उन्होंने अपनी मांगें पेश कीं ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गौरा बरहज के मेहतरों के मांग-पत्र की मुख्य-मुख्य मांगे क्या थीं ?

श्री अध्यक्ष---वह मांगों की नकल माननीय उग्रसेन को दे दी गयी है ।

श्री देवनारायण भारतीय---प्रश्नकर्त्ता को मिली होगी, हमको नहीं ।

श्री अध्यक्ष---(श्री जयराम वर्मा से) आप संक्षेप में बतला दें ।

श्री जयराम वर्मा---एक तो वेतन के बारे में थी कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिल जाया करे । दूसरे छुट्टी कायदे के हिसाब-मिलनी चाहियें । अतिरिक्त

---

*मार्च, १९६० को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित ।

†प्रतिलिपियां छापी नहीं गई ।

मंहगाई भत्ता ३–४ महीनों से नहीं मिला था वह मिलना चाहिये और समय पर मिलना चाहिए। मेडिकल लीव भी कायदे के हिसाब से मिलनी चाहिये। कुछ लोग हटा दिये गये थे, यह मांग थी कि वह लोग फिर अपनी जगह पर रख दिये जायं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन मांगों में से कौन कौन सी मांगें स्वीकार कर ली गयी हैं और कौन कौन सी नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—इनमें से अधिकांश मांगे स्वीकार हो गयी हैं। पहली मांग तो उनके वेतन के संबंध में कि उनका वेतन पहली तारीख को मिले मान ली गयी है। १० तारीख के अन्दर ही उनको वेतन दे दिया करेंगे यह तय हो गया है। इसके अलावा उनकी मंहगाई भत्ते संबंधी मांग को भी मान लिया गया है कि जब दूसरे कर्मचारियों को दिया जाता है तो उनको भी देंगे। छुट्टी कायदे के अनुसार देना मान लिया गया है। कोई आदमी हटा दिया गया था उसको फिर नियुक्त करने के प्रश्न को भी मान लिया गया है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो समझौता अध्यक्ष, नगरपालिका, गौरा बरहज, तथा एस० डी० एम० और मेहतरों के बीच सम्पन्न हुआ उसमें जो शर्तें रखी गयी थीं कि पहली अप्रैल से उनको ढाई रुपये की बढ़ोत्तरी मिले, नये जी० ओ० के मुताबिक, १४ दिन की कैजुअल लीव मिले, मैटर्निटी लीव मिले, जर्सी मिले, उनके लिये दवादारू का प्रबन्ध हो, तथा और भी जो इसी तरह की शर्तें दिनांक १८ अगस्त को रखी गयी थीं, वे सब लागू कर दी गयी हैं। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर तो आपको मिल गया है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह बताया गया है कि समझौता हो गया है। हमारा प्रश्न यह है कि क्या वे शर्तें जो जर्सी व मंहगाई भत्ते वगैरा की मंजूर हुईं वे लागू हो गयी हैं और उन पर अमल हो रहा है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—हम समझते हैं जरूर उन पर अमल हो रहा होगा, क्योंकि अगर अमल न होता तो कोई शिकायत आती। अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है इस तरह की।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि यह हड़ताल कितने दिन चली और किसके हस्तक्षेप से कम्प्रोमाइज हुआ ?

श्री जयराम वर्मा—४ अगस्त को बिना किसी नोटिस के हड़ताल शुरू हुई थी। फिर नगरपालिका ने उनसे पूछा कि उनकी मांगे क्या हैं। फिर पूछने के बाद यह कहा कि हम लोग आपस में बैठकर तय कर लें। इसके बाद पहली मीटिंग ११ अगस्त को हुई। उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि थे और नगरपालिका के लोग भी थे। ११ तारीख को पूरी कार्यवाही नहीं हो पायी। १४ तारीख को फिर आखिरी मीटिंग हुई और उसमें समझौता हो गया और हड़ताल समाप्त हो गयी।

बुलन्दशहर जिला जेल का निरीक्षण

*९—**श्री मदन पांडेय**—क्या यह सही है कि समाज कल्याण मंत्री श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ने गत १२ अथवा १३ सितम्बर, १९५९ को बुलन्दशहर जिला जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उपयुक्त मंत्री द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट सदन के संमुख रखेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—जी हां, आकस्मिक निरीक्षण किया था। चूंकि मामला अभी विचाराधीन है, निरीक्षण की रिपोर्ट इस समय सदन के संमुख रखना जनहित में उचित नहीं है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके निरीक्षण के बाद उक्त कारागार के कुछ अधिकारी मुअत्तल किये गये थे ? यदि हां, तो उनके ऊपर क्या आरोप थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आरोप तो उनको लिख कर दे दिये गये थे और यह जन हित में नहीं होगा कि उनकी चर्चा यहां पर हो । लेकिन उसमें जेलर और असिस्टेन्ट जेलर को विभागीय रूप से मुअत्तल किया गया है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उन्होंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में भी जनहित का वर्णन किया है और जो सप्लीमेन्ट्री उत्तर दिया है उसमें भी जनहित का जिक्र किया है, तो इन जेल अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी क्या आपत्तियां हैं जिनको प्रकाशित करने से जनहित खतरे में पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष—मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि व्यक्तिगत जितने भी प्रश्न हैं उनकी मैं इजाजत नहीं दूंगा । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि आप किसी एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछें और परिणाम में उसकी वकालत यहां हो । यानी आप किसी नौकर के बारे में यह पूछें कि उसको मंत्री जी ने क्यों दंड दिया, क्यों मुअत्तल किया, ऐसी जिरह की इजाजत मैं नहीं दे सकता और जब वह कहते हैं कि जनहित में बताना उचित नहीं है तो वह उचित ही कहते हैं और जिरह की इजाजत मैं नहीं दूंगा ।

श्री झारखंडे राय—क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी को वहां मौके पर जाने से कुछ गड़बड़ी मालूम हुई जिससे उन्होंने जरुरी समझा कि फौरन कार्यवाही कर दें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मौके पर ही सारी चीजें मिली थीं । जैसे उदाहरण के लिये केवल एक ही चीज रख दूं सदन के सामने कि दाल में छौंका दिया जाता है और उसके लिये तेल निकाल कर रख दिया जाता है । उस तेल को डाक्टर अपने सन्दूक में रखता है और सवेरे अपने सामने आकर छौंका दिलवाता है । मेरे निरीक्षण में न तो छौंका मिला था और न तेल था और इसी प्रकार की और शिकायतें थीं जिन पर विभागीय रूप से उन पर कार्यवाही की गई ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने अपने निरीक्षण के समय जो अनियमिततायें और गड़बड़ियां पाईं उनके संबंध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ? केवल विभागीय जांच की कार्यवाही हो रही है या कुछ मामले पुलिस के हवाले भी किये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—विभागीय जांच हो रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने बुलन्दशहर की जिला जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया उसी प्रकार से अन्य जेलों का भी निरीक्षण करने का विचार रखते हैं ताकि वहां भी इस प्रकार की अनियमितताओं का निराकरण हो सके ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपका सुझाव है और उचित भी है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार का आकस्मिक निरीक्षण उन्होंने बुलन्दशहर में किया उसी प्रकार के आकस्मिक निरीक्षण क्या उन्होंने प्रदेश के और जिलों के कारागारों में भी किये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कई और कारागारों का भी निरीक्षण किया लेकिन उसकी फेहरिस्त मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी के पास और जेलों से भी इस प्रकार की शिकायतें आई है जैसा कि उन्होंने अपने निरीक्षण में बुलन्दशहर में पाई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—शिकायतें तो कभी कभी जेलों से आती हैं। ऐसी बात नहीं है कि शिकायतें न आई हों।

*१०—११—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—(जिला जौनपुर)—[२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये]।

आगरा विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० डिग्री

*१२—**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि समाज कल्याण संबंधी पदों के लिये विज्ञापनों में जहां लखनऊ विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० काशी विद्यापीठ के समाज विज्ञान का डिप्लोमा आदि योग्यतायें निर्धारित की जाती है, वहां आगरा विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० डिग्री का उल्लेख नहीं रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, जहां तक जानकारी प्राप्त हो सकी है आगरा विश्वविद्यालय ने एम० एस० डब्ल्यू० की डिग्री की स्थापना अभी हाल ही में की है और उनका पहला बैच इस डिग्री को लेकर सन् १९५९ में निकला है।

*१३—**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (अनुपस्थित)—क्या सरकार भविष्य में उन पदों के लिये अपने विज्ञापनों में आगरा विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० डिग्री को भी सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस प्रश्न पर शासन विचार करेगा।

मिर्जापुर अन्तरिम जिला परिषद् के आफिशियेटिंग सेक्रेटरी का मामला

*१४—**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि अध्यक्ष, मिर्जापुर अन्तरिम जिला परिषद् ने २१-११-५९ को पारित उस प्रस्ताव को सरकार को भेजा है जिसके द्वारा आफिशियेटिंग सेक्रेटरी को जिला परिषद् की नौकरी से अलग किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या किया है या क्या कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—अन्तरिम जिला परिषद, मिर्जापुर के २१ नवम्बर, १९५९ के प्रस्ताव को सरकार के पास अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् ने नहीं बल्कि कलेक्टर मिर्जापुर ने भेजा है। चूंकि उक्त प्रस्ताव परिषद के पूर्व प्रस्ताव संख्या ४ दिनांक १७ अक्तूबर, १९५९ से संबंधित है अतः सरकार ने उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम, १९५८ की धारा १२ की उपधारा (५) के द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके उक्त प्रस्ताव का निष्पादन रोक दिया है तथा परिषद् से स्पष्टीकरण मांगा है कि २१ नवम्बर, १९५९ के प्रस्ताव को क्यों न रद्द किया जावे।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आफिशिएटिंग सेक्रेटरी और निलंबित सेक्रेटरी, दोनों को जो वेतन दिया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, जिला परिषद पर है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर है ?

श्री जयराम वर्मा—अभी यह सब मामला बिचाराधीन है।

श्री रामकृष्ण जैसवार---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आफिशिएटिंग सेक्रेटरी जिनके संबंध में प्रश्न है वह काम कर रहे हैं लेकिन एक निलम्बत सेक्रेटरी भी काम कर रहे हैं और दोनों को वेतन दिया जा रहा है, इसीलिये परिषद ने प्रस्ताव पास किया था कि एक ही सेक्रेटरी को रखेंगे, दोनों को तनख्वाह नहीं देंगे तो क्या सरकार इस संबंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखती है ?

श्री जयराम वर्मा---जब तक निलम्बित सेक्रेटरी बेकसूर साबित नहीं होते हैं तब तक उन्हें वेतन देने का प्रश्न कहां उठता है ? जिला परिषद से २० तारीख तक स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार---आफिशियेटिंग सेक्रेटरी के निकाले जाने के संबंध में जिस धारा का हवाला दिया गया है कि यह पबलिक इंटरेस्ट में है, यह किसी लीगल एडवाइजर से सरकार न सलाह ली है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री जयराम वर्मा---लीगल एडवाइजर से सलाह लेना आवश्यक नहीं था। लोकहित के विरुद्ध होने के कारण जिलाधीश ने पहले ही रोक रखा था।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को जानकारी है कि जो सेक्रेटरी निलम्बित किये गये थे वह ४, ५ वर्ष तक कोर्ट में मुकदमा लड़े और कोर्ट ने उन्हें निर्दोष कहते हुए यह फसला दिया है कि उनको निलम्बन के दिनों की और जब तक वह काम पर वापिस नहीं लिये जाते तब तक की तनख्वाह दी जाय ? यदि हां, तो सरकार तुरन्त कोई फैसला क्यों नहीं करती ताकि दो-दो सेक्रेटरियों को वेतन एक साथ न देना पड़े ?

श्री जयराम वर्मा---अभी दो मुकदमे और चल रहे हैं। डी० पी० ओ० की विभागीय इंक्वायरी की रिपोर्ट यह है कि उनके विरुद्ध सब चार्जेज सिद्ध होते हैं। इसलिये जिला परिषद् की रिपोर्ट आना जरूरी है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि जिस आरोप में वह निलम्बित किये गये थे उसका फैसला कोर्ट ने उनके पक्ष में दिया है ?

स्वायत्तशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---कोर्ट ने यह कहा है कि वह बिलकुल निर्दोष नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा आदमी इस पद पर रखने योग्य नहीं है। सिर्फ वह साबित नहीं हुआ कि उन्हें बरखास्त किया जाय, इस लिए मुकदमा खारिज किया।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि बोर्ड ने कोई सब कमेटी बनाई थी कि आगे क्या कार्यवाही की जाय और उसने रिपोर्ट दी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---परिषद् की किसी सब कमेटी के निर्णय से सरकार बंधी हुई नहीं है कि उसे माने ही।

श्री रामकृष्ण जैसवार---क्या यह सही है कि अन्तरिम जिला परिषद् के सेक्रटरी के खिलाफ विभागीय जांच का अधिकार मुख्य प्रशासकीय अधिकारी को नहीं है बल्कि अन्तरिम जिला परिषद को है, जिसकी सब कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इस सेक्रेटरी को रिइन्स्टेट किया जाय ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---यह निर्णय बिलकुल गलत मालूम होता है। उन से पूछा गया है कि वाकयात के खिलाफ ऐसा निर्णय क्यों हुआ और उनकी कैफियत आने पर आगे कार्यवाही की जायगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या अदालत का यह फैसला है कि निलम्बित सेक्रेटरी को रिइन्स्टेट किया जाय ? यह किस अदालत का फैसला है और इस पर अमल क्यों नहीं हुआ है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---अदालत का यह फैसला नहीं है कि उन्हें निलम्बन के समय का वेतन दिया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---जो दो मुकदमे चल रहे हैं वे किन न्यायालयों में हैं और उन पर क्या चार्ज लगाये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा---वे मुकदमें उसी मामले के हैं जिसका जिक्र अभी राजनारायणजी ने किया।

*१५---**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)---[२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१६-१७---**श्री शिवराज बहादुर** (जिला बरेली)---[२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१८-१९---**श्री गोविन्द सिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---[२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

समथर नोटीफाइड एरिया में नल लगाने की योजना

*२०---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समथर (झांसी) नोटिफाइड एरिया में सरकार द्वारा पानी के नल लगाने की, जिस योजना के अनुसार वहां सर्वे भी हो चुका है, वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री जयराम वर्मा---समथर नोटीफाइड एरिया में जल सम्भरण योजना कार्यान्वित करने के प्रश्न पर संबंधित योजना का प्रोजेक्ट बनने के उपरान्त ही विचार किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---वहां के कुंवों की जांच क्यों हो रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सूचना चाहिये।

इचौना ग्राम सभा का आवेदन-पत्र

*२१---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा इचौना, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के नागरिकों की ओर से अन्तरिम जिला परिषद के विरुद्ध १२-२-५९ को उन्हें कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधीश देवरिया के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया। जिलाधीश की आख्या से प्रतीत होता है कि ग्राम सभा अपने दावे के प्रमाण में उचित कागजात तथा गवाह पेश न कर सकी फिर भी परिषद के कर्मचारियों को यह आदेश दे दिए गये हैं कि वे इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें।

*२२---**श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद् देवरिया व ग्राम सभा इचौना के नागरिकों के बीच मुकदमेबाजी हो रही है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां । इसका आधार यह है कि कुछ लोगों ने परिषद् की सड़क के किनारे बिना उसकी आज्ञा के दुकानें रख ली हैं । इसी अपराध पर परिषद् की ओर से उन पर मुकदमा चल रहा है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या स्वशासन मंत्री जी को जानकारी है कि जिस सड़क के बारे में इचौना ग्राम सभा ने प्रार्थना-पत्र दिया था वह सड़क अन्तरिम जिला परिषद् की नहीं है बल्कि रेलवे और ग्राम सभा की है ?

श्री जयराम वर्मा—यह सड़क तो अन्तरिम जिला परिषद् अपनी बताती है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी माननीय सदस्य की बात को सूचना मानकर जांच करावेंगे कि वह सड़क किसकी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह प्रश्न अदालत के सामने है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकारियों ने उनकी झोपड़ियां जला दी हैं और हटा दी हैं ?

श्री जयराम वर्मा—हटाया तो था, जलाने की खबर नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या यह सही है कि विवाद-ग्रस्त भूमि को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साथ रेलवे के अधिकारियों ने लीज किया था और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार अन्तरिम जिला बोर्ड को हो गये, जिस पर ये दूकानें बनी हुई हैं ?

श्री जयराम वर्मा—जांच से यह मालूम हुआ है कि यह अन्तरिम जिला परिषद की है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब यह नियम में है कि या तो मलवा हटाया जाय या चालान किया जाय तो क्यों उन पर मुकदमा भी चल रहा है और क्यों उनको जमीन से भी हटा दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, जो एन्क्रोचमेंट हुआ है, उसको हटाया गया है और मुकदमा भी चल रहा है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जब जिलाधीश गांव गये थे तो अन्तरिम जिला परिषद् और सरकारी अन्य पदाधिकारियों ने वहां बैठकर गवाहान को बुलाया इसीलिये गवाहान ने गवाही देने का बायकाट किया ?

श्री जयराम वर्मा—यह तो सूचना इस समय नहीं है कि कौन-कौन अधिकारी वहां मौजूद थे लेकिन गांव सभा से जो प्रमाण मांगा गया था उसको वे देने में असमर्थ रहे और अन्तरिम जिला परिषद् ने अपना प्रमाण दिया, इसलिये यह समझा गया कि वह जिला परिषद् की ही है ।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इचौना ग्राम सभा के सभापति ने कोई आवेदन-पत्र दिया था और यह बताया था कि ग्राम सभा और वहां के ब्लाक के इतने हजार रुपया उसमें लगे थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, लेकिन हम शिकायतों को दूर नहीं कर सके ।

कानपुर में पर्याप्त पानी देने का प्रयास

*२३—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को पता है कि कानपुर नगर को पीने का पानी दे सकने में म्युनिसिपल बोर्ड को गत समय में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह विश्वास है कि आने वाली गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी सुलभ हो सकेगा ? यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां । गंगा नदी की धारा दूसरी ओर हटने के कारण कानपुर जल कल के भैरोंघाट पम्पिंग स्टेशन तक पानी पहुंचाने में कठिनाई हुई थी, परन्तु ड्रेजिंग करके धारा का बहाव दूसरी ओर लाया गया और पानी पम्पिंग स्टेशन को बराबर प्राप्त हो रहा है। ड्रेजिंग अभी भी जारी है और सरकार को विश्वास है कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में भी पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि गंगा की धारा भैरों घाट से निरन्तर दूर होती जा रही है ? क्या भैरोंघाट पंपिंग स्टेशन तक पानी लाने का कोई स्थायी प्रबंध किया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, यह मालूम है। उसके लिये कोशिश हो रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगामी गर्मी के अवसर पर पानी की कोई कमी न हो जाय, सरकार कोई लोन देने को तैयार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी इसका प्रश्न नहीं है। जैसी स्थिति होगी वैसा विचार किया जायगा ।

नगरमहापालिकाओं का चुनाव व्यय तथा भवन निर्माणार्थ ऋण

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश की महानगर पालिकाओं के चुनाव जो २५ अक्तूबर, १९५९ को हुए थे उसमें कितना व्यय चुनाव कराने में सरकार को करना पड़ा ?

श्री जयराम वर्मा—प्रदेश की पांच नगर महापालिकाओं के निर्वाचन में अब तक लगभग १,१५,००० रुपया व्यय हो चुका है। संभव है कि न चुकाये गए बिलों की प्राप्ति पर कुछ और व्यय हो ।

*२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की महापालिकाओं के स्थापित करने के लिये जो ऋण सरकार ने पाचों महापालिकाओं को दिया था उसमें किन-किन महापलिकाओं ने कितना-कितना धन व्यय किया और यह किस कार्य में व्यय किया गया ?

श्री जयराम वर्मा—महापलिकाओं को स्थापित करने के लिये किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया। परन्तु नगरपालिका वाराणसी को २०,००,००० रुपये, इलाहाबाद को २,७५,००० रुपये तथा आगरा को ६,००,००० रुपये उनके महापालिका भवन निर्माण के हेतु ऋण दिया गया।

इन महापलिकाओं में से इलाहाबाद तथा आगरा से अभी तक कोई भी प्रगति-रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। केवल वाराणसी ने १,२०,५४१.०७ नये पैसे की धनराशि अपने महापालिका भवन निर्माण में व्यय की है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन नगर महापलिकाओं ने कितना-कितना धन लोन में मांगा था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—किस काम के लिये ?

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मकान बनाने के लिये ।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन, वह तो उनकी मांग के हिसाब से ही दिया गया और लिखा हुआ है कि कितना-कितना दिया गया है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह धन जो दिया गया है, वह नये भवन बनाने के लिये दिया गया है या पुराने भवनों की मरम्मत कराने के लिये दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नये भवन बनाने के लिये दिया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह धन जो नगर महापलिकाओं ने मांगा था, वह नये भवन के लिये मांगा था या पुराने मकानों की मरम्मत कराने के लिये मांगा था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, नये भवन बनवाने के लिये ही मांगा था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सब नगर महापलिकाओं को, जितना धन उन्होंने मांगा, उतना ही दिया गया या कुछ को कम भी दिया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, पहले जवाब देने में थोड़ी सी कमी रह गयी। जैसे जैसे जरूरत होगी वह धन दिया जायगा लेकिन स्वीकार सब किया गया है जितना भवन बनाने के लिये आवश्यक है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या मंत्री महोदय बतलाने को कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने बतलाया कि इन नगर महापलिकाओं के एलेक्शन में १,१५,००० रुपये से अधिक ही खर्च हुआ है, तो सरकार को जमानतों की जब्ती से कितना रुपया मिला है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मानीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक नगरपालिकाओं, टाऊन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज का चुनाव होता था उसमें जो व्यय होता था उसे स्वयं उन्हें ही वहन करना पड़ता था, तो इन नगर महापलिआओं के चुनाव में सरकार को क्यों एक लाख से अधिक रुपया खर्च करना पड़ा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—खर्च तो सरकार ही करती है, उनसे वसूल कर लिया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर की नगर महापालिका ने इस भवन निर्माण के संबंध में कर्ज के लिये कोई आवेदन-पत्र दिया ही नहीं था या यदि दिया था तो उसे स्वीकार ही नहीं किया गया ?

श्री जयराम वर्मा—माँगा ही नहीं था।

श्री राजनारायण—बनारस नगर महापालिका को नये भवन के निर्माण के लिये २० लाख रुपये, इलाहाबाद नगर महापालिका को नये भवन निर्माण के लिये पौने ३ लाख रुपया और आगरा नगर महापालिका को नये भवन निर्माण के लिये ६ लाख रुपये दिये गये हैं, तो विभिन्न नगर महापलिकाओं के लिये विभिन्न प्रकार के नये भवन के निर्माण में इतना अन्तर कैसे पड़ा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैंने अभी विवेदन किया था कि जितनी सारी धनराशि उन्होंने मांगी थी वह सब की सब दे नहीं दी गयी है। जितनी दी गई है उससे यह साबित नहीं होता कि इतने में ये भवन बन सकेंगे।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगरपालिका ने नये भवन के लिये कुल कितनी रकम मांगी थी और कुल कितने में से २० लाख रुपया दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन, इसके लिये सूचना दी जाय तो सब बतला दूंगा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी के नागरिकों ने एक प्रस्ताव पास करके वाराणसी के अन्तर्गत, जो नये भवन का निर्माण हो रहा है, उसका विरोध किया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सम्भव है इस तरह की सूचना दफ्तर में आयी हो। जरूर कुछ आदमियों ने विरोध किया होगा।

बड़हलगंज टाउन एरिया के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायती पत्र

*२६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २३-१-५९ को बड़हलगंज की टाउन एरिया, जिला गोरखपुर के चेयरमैन के खिलाफ टाउन एरिया के एक सदस्य ने २३-२-५९ को जिलाधीश गोरखपुर को कोई शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। उस पर तहसीलदार द्वारा जांच कराई गई थी तथा चेयरमैन, टाउन एरिया, बड़हलगंज से भी स्पष्टीकरण मांगा गया था। जांच के फलस्वरूप जो शिकायतें सही पाई गईं उन्हें दूर करने के लिये चेयरमैन व बख्शी को उचित आदेश दे दिये थे।

मैनपुरी जिला जेल की कृषि आय

*२७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल मैनपुरी में कितने बीघे भूमि पर खेती होती है और उससे कितनी आमदनी सन् १९५८-५९ में हुई है ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—खेती १०.२१ एकड़ भूमि पर होती है। उससे सन् १९५८-५९ में ८,०८८ रु० के मूल्य की उपज हुई।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह पैदावार को बढ़ाने के लिये मैनपुरी जिला जेल में जल्द से जल्द बिजली के कुएं बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वह तो मैंने अभी दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि नलकूप लगाने की योजना विचाराधीन है।

उन्नाव जिले की महिला मंगल योजना

*२८—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत कितनी महिलायें कर्मचारी हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उन्नाव जिले में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत बारह महिलायें कर्मचारी हैं।

*२९—श्री सजीवनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना के अन्तर्गत कितनी महिलायें पिछड़ी जाति की हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उन्नाव जिले में इस योजना के अन्तर्गत कोई महिला पिछड़ी जाति की नहीं है।

*३०—श्री सजीवनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले के संचालक महिला की क्या योग्यता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उन्नाव जिले की जिला संयोजिका (महिला) एम० ए० हैं।

बड़हलगंज टाउन एरिया की सीमा

*३१—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया बड़हलगंज, जिला गोरखपुर की चौहद्दी नोटिफिकेशन संख्या १११२-ए, दिनांक २१ नवम्बर, १८७१ के अनुसार क्या थी और चौहद्दी में कौन-कौन दूसरे गांव कितने खसरा संख्या तक सम्मिलित थे और उसका कोई सर्वे मैप भी था ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

*३२—क्या यह सत्य है कि ग्राम चिल्लूपार, परगना चिल्लूपार, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर का जो भाग उक्त टाउन एरिया की सीमा के भीतर, जब से बड़हलगंज टाउन एरिया कायम है, तभी से है अथवा उक्त भाग टाउन एरिया के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक १६-२-५३, गजट संख्या ५३३-ए-९-२६-आई (४१)-५१ से आया ?

*३३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त ग्राम के उक्त भाग में टाउनएरिया के होते हुए भी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सन् १९५२ से ही लागू करने का आधार क्या था ?

श्री जयराम वर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी क्योंकि यह प्रश्न एक बार पहले भी टल चुके हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जल्द ही हो जायगी, ऐसी आशा है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी सूचना इस सम्बन्ध में है कि इस की पूरी रिपोर्ट जिले में पड़ी हुई है और वह न जाने किन कारणों से यहां नहीं भेजी जा रही है । क्या मंत्री महोदय इस की जांच करायेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अगर आप लिख कर देंगे तो जरूर इस पर जांच करा ली जायगी ।

सीतापुर नगरपालिका के अवकाश-प्राप्त कर्मचारी के वेतन का भुगतान न होना

*३४—श्री अवधेश कुमार सिनहा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मास जुलाई, १९५३ से दिसम्बर, १९५३ तक म्युनिसिपल बोर्ड, सीतापुर से कितने कर्मचारी रिटायर हुए हैं और क्या उनके वेतन का पूरा-पूरा भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि अब तक रिटायर्ड कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस अवधि में नगरपालिका सीतापुर का केवल एक कर्मचारी रिटायर हुआ था । उसके वेतन का पूरा भुगतान अभी नहीं हुआ है ।

उपर्युक्त कर्मचारी के कार्यकाल की कुछ आडिट आपत्तियों का निराकरण न होने के कारण उक्त कर्मचारी को देय वेतन का भुगतान अभी नहीं किया गया है ।

पर्वतीय जिलों की पेय जल योजनायें

*३५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान में पर्वतीय जिलों में पेय जल सप्लाई करने की कुछ योजनायें हैं ? यदि हां, तो यह योजनायें कहां चालू की जायेंगी और इन पर कुल कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री जयराम वर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि यह प्रश्न ३०-१२-५९ को भी वांछित सूचना न होने के कारण स्थगित हो चुका है, और यह सूचना कब तक आ जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—इस का सम्बन्ध २ विभागों से था इसीलिये देर हुई, फिर भी आशा है कि वह जल्द आ जायगी ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि पर्वतीय जिलों मे पेय जल योजना इसलिये कार्यान्वित नहीं हो रही है कि वह श्रमदान का अपना तीसरा या चौथा भाग नहीं दे पा रहे हैं ? लेकिन क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वहां से अनुदान के रूप में केवल १० प्रतिशत ही लिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रार्थना आयेगी तो जरूर विचार किया जायगा ।

*३६-३७—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[३१ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न २०-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

नगरपालिकाओं में दो एक्जीक्यूटिव आफिसर होने पर आपत्ति

*३८—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, वाराणसी में इस वक्त कितने एक्जीक्यूटिव आफिसर कार्य कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—भूतपूर्व नगरपालिका, वाराणसी में दो एक्जीक्यूटिव आफिसर कार्य कर रहे थे ।

*३९—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि म्युनिसिपल कानून की धारा ५७ के अनुसार एक ही एक्जीक्यूटिव अफसर नगरपालिका में रखा जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वाराणसी, कानपुर, लखनऊ में एक से ज्यादा एक्जीक्यूटिव आफिसर कैसे रक्खे गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—यू० पी० म्युनिसिपेलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ५७ के अन्तर्गत शासन के आदेश से नगरपालिका में एक से अधिक एक्जीक्यूटिव आफिसर रक्खा जा सकता है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दो एक्जीक्यूटिव आफिसर कब से काम कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—३-६-५४ से । दूसरे पद का अस्थायी तौर पर सृजन किया गया था और फिर २१-३-५८ से यह दूसरा पद भी स्थायी किया गया और तब से दो आदमी वहां स्थायी तौर से काम कर रहे हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आगरे में भी दो एक्जीक्यूटिव आफिसर काम कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां अब महापालिका स्थापित हो गयी है और अब एक पद पर दो एक्जीक्यूटिव आफिसर रहने से डुएल गवर्नमेंट हो जाती है, इस पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अब तो महापालिका ही विचार करेगी ।

बन्दियों को अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग

*४०—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों के बन्दियों को अम्बर चर्खा की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गयी है या करने की योजना उनके विचार में है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रदेश के केन्द्रीय कारागार—बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी और जिला कारागर आगरा, सीतापुर, मेरठ तथा लखनऊ में इस ट्रेनिंग के दिए जाने की व्यवस्था की गई है । केन्द्रीय कारागर आगरा, जिला कारागर—गोंडा, गोरखपुर, इटावा, फतेहगढ़, अलीगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, रायबरेली, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, बरेली, झांसी, मथुरा और बदायूं में ट्रेनिंग देने की योजना विचाराधीन है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*४१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दियों द्वारा जो सूत तैयार किया जायगा उसमें से कौन-सा भाग उन्हें प्राप्त होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कोई भाग भी नहीं।

*४२—श्री रामसुन्दर पांडेय—[२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

वाराणसी नगरपालिका पर ऋण

*४३—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगरपालिका के ऊपर सरकार का कितना रुपया कर्ज के रूप में अब तक बकाया है और वह रुपया किस-किस मद में खर्च करने के लिये नगरपालिका वाराणसी को सरकार ने कब-कब दिया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३५-३३६ पर)

गाजीपुर जिले में गांव सभाओं के चुनाव में अनियमितता

*४४—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में १९५५ के गांव सभाओं के चुनाव के समय कोडरी, जहानपुर, राजपुर, गडार, परसूपुर, फरीदनपुर, भरौरी आला, राजापुर नामक आठ गांव सभाओं का चुनाव बिना गांव सभाओं को स्थापना किये ही उस समय कर दिया गया और इन गांव सभाओं का प्रकाशन सरकारी गजट में कार्यालय, संचालक पंचायतराज के २९ अक्तूबर, ४ नवम्बर, १९५७ को विज्ञप्ति के पृष्ठ ४ तथा पृष्ठ ६ पर हुआ ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इन आठ गांव सभाओं के नाम दिनांक १ मई, १९५५ की उस विज्ञप्ति में छपने से रह गये थे जिसमें उस जिले की अन्य गांव सभाओं की स्थापना की घोषणा की गयी थी और दिनांक २९ अक्तूबर, ४ नवम्बर, १९५७ ई० की विज्ञप्ति द्वारा जो शुद्धि-पत्र निकाला गया उसमें इनके नाम भी सम्मिलित कर लिये गये। इस भूल का सुधार निर्वाचन के समय तक नहीं किया जा सका था।

*४५—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—गांव सभाओं की सूचियों का मिलान सहायक जिला पंचायत अधिकारी के नियंत्रण में हुआ था, अतः जांच में इस त्रुटि का उत्तरदायित्व तत्कालीन सहायक जिला पंचायत अधिकारी पर पाया गया। उनकी चरित्र पुस्तिका में चेतावनी दिये जाने की प्रविष्टि कर दी गयी है।

अन्तरिम जिला परिषदों को अखबार निकालने के लिए कथित आदेश

*४६—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् ५९ में सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश की अन्तरिम जिला परिषदों को ऐसा सर्कुलर भेजा गया है कि परिषदें साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक अखबार निकालें ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

*४७—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सर्कुलर के अनुसार अन्तरिम जिला परिषद् के जिन-जिन अध्यक्षों ने अखबार निकालने की योजना को कार्यान्वित करने की आज्ञा चाही है क्या उन्हें सरकार ने आज्ञा दे दी है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से जिले हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

*४८–५०—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—[२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

जेल पंचायतों की योजना

*५१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार ने यह तय किया है कि प्रदेश की जेलों में कैदियों में सफाई, राशन की सुविधा और अनुशासन आदि की देखभाल के लिये पंचायतें कायम करें? यदि हां, तो इन पंचायतों की रूप-रेखा क्या होगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। हर जेल में कम से कम एक पंचायत होगी। हर पंचायत में ५ पंच होंगे जो अपना सरपंच चुनेंगे। पंचों का चुनाव प्रतिवर्ष बन्दियों द्वारा तथा बन्दियों में से होगा। पंचायत की मीटिंग महीने में १ बार होगी जिसमें जेल अधीक्षक द्वारा सौंपे गये सभी मामलों पर पंचायत विचार करेगी और उनके संम्बन्ध में अपनी राय देगी।

पंचायत के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(क) बन्दियों को लोकतंत्र के प्रयोग में प्रशिक्षित करना,

(ख) जेल के भीतर बन्दियों में अनुशासन बनाये रखने में कारागार अधिकारियों की सहायता करना,

(ग) बन्दियों के कल्याणकारी कार्य जैसे स्वच्छता, रौशन, मनोरंजन आदि की देख-रेख करना।

फर्रुखाबाद जिले में हरिजन कूप

*५२—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फ़र्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिले में पानी पीने के कितने ऐसे कुए बने हैं जिन्हें सरकारी अनुदान मिला है, उनमें हरिजनों के कितने हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५३—श्री मुक्तिनाथ राय—[हटा दिया गया।]

*५४—५५—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ४२–४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५६—श्री मलिखान सिंह—[२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया]।

*५७—५८—श्री मुक्तिनाथ राय—[२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये]।

उन्नाव जिले में पंचायत मंत्री

*५९—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में इस समय कितने पंचायत मंत्री सेवारत हैं तथा कितने स्थान रिक्त हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—उन्नाव जिले में इस समय १६६ पंचायत मंत्री सेवारत हैं तथा ७ स्थान रिक्त हैं।

*६०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव विधान सभा—मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० [The Government Grants (U. P. Amendment) Bill, 1960] की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३७–३३८ पर)

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में गलत बयानी के विषय से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में श्री गौरीशंकर राय ने एक प्रश्न उपस्थित किया था। जो लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन, जो सदन में रक्खा गया था, उसके पृष्ठ ८८ पर अनुच्छेद ४३३ में ये शब्द थे:—

> "इस प्रक्रम पर एक यह बात उठायी गयी कि क्या समिति भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य हुए पत्र-व्यवहार का पूरा विवरण देख सकती है जिसके दिखाने के लिये उद्योग विभाग के प्रतिनिधि ने इसलिये मना किया है कि गलत उद्धृत करने से जनता में काफी गलतफहमी पैदा हो सकती है।"

इस सम्बन्ध में वह कहते हैं कि श्री कक्कड़ ने पत्र-व्यवहार दिखाने से इस कारण मना किया कि जो पत्र-व्यवहार है वह गलत उद्धृत हो जाय तो जनता में गलत फहमी पैदा हो सकती है। अगर ऐसे शब्द उन्होंने अपने बयान में कहे होते कि समिति गलत उद्धृत करेगी और ऐसी शंका है तो मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना होती। लेकिन मैंने उनकी गवाही के शब्द देखे तो उसमें ऐसा नहीं है। प्रतिवेदन के छपने में ही गलती हो गयी। उनके शब्द ये हैं:

The policy is well known करेस्पांडेंस में तो एक थिंकिंग होती है जिसमें सर्टेन प्वाइंट आफ व्यूज रखे जाते हैं। अगर उनका कहीं रेफरेंस दिया जाय तो they can create terrible misunderstanding in the public mind तो उनका तर्क यह था कि यदि जो प्वाइन्ट आफ व्यूज कारेस्पांडेंस में रखे हैं उनका रेफरेन्स दिया जाय तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यह उनका मतलब था। उनके बयान का अनुवाद ठीक नहीं हुआ इसलिये यह भ्रम हुआ। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री कक्कड़ जी के ऊपर नहीं उठता है। हमारे सचिवालय ने जो प्रतिवेदन में उसका अनुवाद किया उसके लिये मैंने जांच की और पूछा कि उन्होंने ऐसा अनुवाद कैसे किया तो उन्होंने खेद प्रदर्शन किया है और मैं सदन के सामने उसकी सूचना देता हूं। यह भी मैंने आज्ञा दे दी है—चूंकि अब प्रतिवेदन छप कर बट चुका है कि अब शुद्धि-पत्र जारी हो जाय और उतने शब्द बदल कर, जो गवाही में शब्द आये थे, वह स्पष्ट कर दिये जाय जिससे कोई, गलतफहमी बाकी न रहे। इसलिये मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के लिये इस प्रश्न पर अनुमति नहीं दे रहा हूं।

'नया भारत' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—कल श्री गौरीशंकर राय जी ने एक दूसरे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। उस विषय में मैंने आज कोई फैसला तो नहीं लिया है लेकिन मैं उस विषय में थोड़ा-सा जिक्र कर देना चाहता हूं। वह "नया भारत" के एक लेख से संबंधित है। उनका कहना है कि "नया भारत" में एक लेख छपा हुआ है—"उत्तर प्रदेश में सहकारित

का विकास" । श्री मदन मोहन जी का लेख है। उसमें उन बातों का जिक्र किया गया है कि जो इस सम्बन्ध में एक विधेयक आने वाला है उस विधेयक में क्या-क्या है। विधेयक के बारे में बहुत-सा ब्यौरा दिया हुआ है। श्री गौरीशंकर राय का कहना है कि "नया भारत" कांग्रेस का मुख्य पत्र है। उसको यह सूचना कैसे मिल गयी कि आने वाले विधेयक का प्रारूप अमुक-अमुक है जब कि सदन के सामने विधेयक आया ही नहीं है? उन्होंने बहुत-सा ब्यौरा कैसे दे दिया? तो जिन एडीटर ने उसको छपवाया और जिनके ऊपर वह जिम्मेदारी समझते हैं वह श्री जगन प्रसाद रावत हैं। उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री गौरीशंकर राय उठाना चाहते हैं। उसकी एक प्रति जगन प्रसाद रावत जी को भी उन्होंने भेज दी है। मैंने इसलिये निर्णय नहीं किया इस विषय में कि उनका अगर कुछ कथन हो तो उसे मैं पहले समझ लूं और फिर निर्णय करूं कि अनुमति देने योग्य यह प्रश्न है या नहीं।

श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, यह श्री मदन मोहन जी कौन है यह मालूम हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—अगर आप होते तो आपके पास नोटिस आ गया होता। आप तो नहीं हैं यह निश्चित है।

लखनऊ स्टेडियम में श्री आसबर्न द्वारा संगठित प्रार्थना सभा के भंग किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—श्री गौरी शंकर राय जी नियम ५२ के अनुसार कई रोज से एक प्रस्ताव दे रहे थे और आज भी फिर दिया है और चूंकि और महत्व के विषय ले लिये थे और यह रह गया था, उसे मैं आज लेता हूं, वह इस प्रकार है :—

"गत ८ फरवरी को लखनऊ स्टेडियम में ईसाइयों द्वारा संगठित प्रार्थना सभा को भंग किये जाने और सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा की कार्यवाही न करने तथा ९ फरवरी से स्टेडियम में सभा करने की अनुमति को वापस लेकर ९ फरवरी के बाद उनका कार्यक्रम रोक देने के कारण अल्पसंख्यक ईसाई लोगों में फैले असन्तोष की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

स्पष्टीकरण में उन्होंने यह दिया है कि :

"देश के विभिन्न गिर्जाघरों की ओर से सन् १९५८ में श्री रेवरेंड टी० एल० आसबर्न नामक एक ईसाई उपदेशक निमंत्रित किये गये। इस वर्ष वह यहां आये हैं। २ फरवरी से २९ फरवरी तक लखनऊ स्टेडियम में उनका उपदेश होने का कार्यक्रम निश्चित था। इसकी अनुमति स्थानीय कमिश्नर से प्रबन्धकों ने ले ली थी और उसके लिये २,३५६ रुपया जमा कर दिया था। ५ एवं ६ फरवरी को क्रमशः १५ हजार एवं २० हजार की उपस्थिति में उक्त उपदेशक महोदय का कार्यक्रम शान्तिपूर्वक चला। ७ फरवरी को कुछ लोगों ने उनकी प्रार्थना सभा में ईसाई धर्म के विरुद्ध नारे लगाये, लेकिन कार्यक्रम शान्तिपर्वक समाप्त हो गया। ८ फरवरी की संध्या को प्रार्थना सभा में २५–२६ आदमियों ने नारे लगाये और मंच पर चढ़ गये। ईसाई धर्म को गालियां दीं और उनकी प्रार्थना सभा बन्द हो गयी। सभा भंग करने वालों ने उसी स्थान पर सभा की। ९ फरवरी को श्री आसबर्न के कार्यक्रम के प्रबन्धकों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश लखनऊ को मिला। उन्होंने उनकी प्रार्थना

[श्री अध्यक्ष]

सभा की शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया और स्टेडियम में सभा की अनुमति भी वापिस कर ली।"

उनका कहना है कि उनको संरक्षण न देकर जो इजाजत दी थी वह भी वापस ले ली और जो लोगों ने अत्याचार किया इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी अगर आज वक्तव्य देना चाहें तो आज दे दें नहीं तो किसी और दिन दे दें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)----मैं अभी सूचना दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कई रोज से इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की जा रही है और मुझ को ऐसा लगता है कि यह कोशिश जिस सूचना के आधार पर की जा रही है वह सूचना माननीय सदस्यों को कुछ अपूर्ण और कुछ गलत मिली है अन्यथा उनको इतनी बेचैनी इस सम्बन्ध में न होती। हमारे देश में ईसाई धर्म हो, चाहे कोई दूसरा धर्म हो उसके प्रचार की कोई मनाही नहीं है, कहीं भी नहीं है। श्री आसबर्न के लिये भी कोई मनाही नहीं की गयी। लेकिन अपने धर्म के प्रचार करने के साथ-साथ हर प्रचारक को इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि वह ऐसी बात न कहे जिससे कि दूसरे मतावलम्बियों के हृदय को आघात पहुंचे। यदि आसबर्न इस बात का महज प्रयत्न करते कि ईसाई धर्म का प्रचार करते तो कोई शिकायत की बात नहीं होती।

ऐसा कहा जाता है कि वे लोगों की बहुत सी बीमारियां अच्छा कर दिया करते थे। ऐसी कोई सिद्ध शक्ति थी जिसके बल पर रोगों को अच्छा कर दिया करते हैं तो कोई शिकायत की बात नहीं हो सकती लेकिन काफी इस बात की जांच के बाद मैं यह कहता हूं कि वे इस सिलसिले में ऐसी बातें कह दिया करते थे जिससे दूसरे धर्मावलम्बियों को तकलीफ होती थी। मसलन् यह कहना कि तुम इस बात को मानो कि सिवाय बाइबिल के कोई ईश्वर वाक्य नहीं है। तुम इस बात को स्वीकार करो कि सिवाय ईसा पर विश्वास लाने के हमारे लिये उद्धार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह स्वभावतः लोगों को बुरा लगेगा। उनकी सभा में विघ्न डालने की कोशिश की। उन्होंने रिपोर्ट की जिनके विरुद्ध उनके विरुद्ध जांच हो रही है और जांच के बाद यदि पर्याप्त सामग्री मिली तो निश्चय ही उन पर मुकदमा चलाया जायगा।

यह इतला गलत है कि उनको स्टेडियम में मीट करने से रोका गया। रोकने का एक ही तरीका हो सकता था। दफा १४४ का आर्डर निकाला जाता, जो नहीं निकाला गया। एक बात जरूर हुई कि जब वे मिले तो उनसे यह कहा गया कि आप पब्लिकली ऐसी बातों को कहते हैं इससे कुछ लोगों में उत्तेजना होती है। इससे ब्रीच आफ पीस की संभावना है। हम एडवाइस करते हैं कि यदि आप इस किस्म की बात करना चाहते हैं तो क्लोज्ड बिल्डिंग हो जिसमें आमतौर से पब्लिक के जाने की जरूरत नहीं है। जिसको अच्छा कराना है और आपके धर्म पर विश्वास लाना है वह वहां जाय, किसी क्लोज्ड जगह पर। स्टेडियम जैसी जगह पर नहीं जहां पुलिस का लम्बा-चौड़ा इन्तजाम करना होगा क्योंकि ब्रीच आफ पीस हो सकती है। लेकिन हम मना नहीं करते। आप इस बात को सोच लें। ब्रीच आफ पीस आप चाहते हैं तो करें। कुछ लोग जो उत्तेजित हुए थे उन्होंने इस बात को कहा था कि हम कोई बाधा नहीं डालेंगे, जैसा चाहें भाषण दें लेकिन चर्च में दें। ईसाई धर्म के प्रचार में कोई बाधा नहीं डाली गयी। स्टेडियम के लिये मना नहीं किया गया। प्रोटेक्शन नहीं देंगे ऐसा नहीं कहा गया। यह कहा गया कि ब्रीच आफ पीस हो सकती है, ऐसी खुली जगह पर आप मीटिंग न करें तो अच्छा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि इनको सभा करने से रोका नहीं गया ? मैंने अपने स्पष्टीकरण में यह लिखा है कि स्टेडियम में जब २९ तारीख तक की परमिशन दी गयी, वह विदड्रा कर ली गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---परमिशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं देते। उसकी एक कमेटी है उस कमेटी ने परमिशन दी होगी और उस कमेटी ने विदड्रा किया या नहीं, यह मैं नहीं जानता। यह गवर्नमेंट की चीज नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---कमिश्नर साहब ने परमिशन दी और उसके सिलसिले में जिलाधीश से जो बात हुई परमिशन देने और परमिशन विदड्रा करने की..

श्री अध्यक्ष---यह तो आपने लिखा है। जवाब तो उनका यह है---

"You are advised not to hold any meeting there till final orders are passed as you yourself know that there is an apprehension of breach of peace if meeting is held. I trust you would not like to create a situation which may affect the peace of the town."

श्री गौरीशंकर राय---जब आसबर्न साहब कोई बहुत काबिल एतराज बात करते थे, ऐसी बात, जो सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जा सकती है तो उनको यह कहने से रोकने की क्या कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो दूसरी बहस शुरू हो गयी। मैं समझता हूं कि इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास उन खतों की पूरी रिपोर्ट है जिससे दूसरे धर्मों के लोगों को आघात पहुंचता था तो क्या वे उसे पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे और यह बतलायेंगे कि उसमें कौन-सी बात आपत्ति-जनक है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई लिखित रिपोर्ट मेरे पास नहीं है लेकिन मुझसे कई जिम्मे-दार लोगों से बात हुई जिन्होंने खुद अपने कानों से सुना और जैसा मैंने निवेदन किया खासतौर पर लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि "तुम इस बात को मानो कि सिवाय बाइबिल के और कोई दूसरा ईश्वरीय वाक्य नहीं है" और "बिना ईसा पर भरोसा किये रोग से मुक्ति नहीं मिल सकती"।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जो सूचना है उसके अनुसार कुछ आदमियों को उनके कामों से, मंत्र से या उपदेश से कुछ लाभ भी हुआ है अथवा कुछ नहीं हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं जानता नहीं, मैंने सुना था कि किसी आदमी को ५-१० रुपये दिये और उससे कहा कि तुम ऐसा कह देना, लेकिन वैसे मुझे कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या इस सम्बन्ध में लखनऊ के ईसाई समुदाय की तरफ़ से या किसी संस्था की तरफ़ से सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत आयी थी कि उनके उपदेशक को उपदेश देने से रोका गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक रोज शाम को मेरे मकान पर २-३ सौ आदमी आये थे। उन्होंने कहा कि हमको रोका गया है मीटिंग करने से। मैंने कहा कि अच्छा, मैं जांच करूंगा बाकी आप डी० एम० से मिलें। इतना ही मैंने कहा। फिर मेरे पास वे लोग आये नहीं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि आसबर्न साहब को या उनकी कमेटी को डी० एम० ने यह लिखित दिया था कि यहां आप मीटिंग नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष---यह तो मैंने स्वयं आपको डी० एम० के शब्द सुना दिये।

श्री एस० जी० दत्त---सरकार ने पहले मीटिंग करने की इजाजत दी यह स्पष्ट है लेकिन जब यह हुआ...

श्री अध्यक्ष---सरकार कबूल नहीं करती कि उसने इजाजत दी। उन्होंने कहा कि कमेटी इजाजत देती है ।

श्री एस० जी० दत्त---अगर ऐसा है तो वह कागजात जिन पर सरकार ने इजाजत दी है पेश किये जा सकते हैं, राईटिंग में है।

श्री अध्यक्ष---तो वह मेरे पास भेज दीजिये ।

श्री एस० जी० दत्त---हां, वह पेश किये जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ओपेनली कहा कि आप मीटिंग क्लोज कर दीजिये, मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या उसकी नालेज में ऐसी बात है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार की नालेज में जो कुछ है वह माननीय अध्यक्ष के पास भी है और उन्होंने स्वयं उसको सुना दिया जिसमें केवल इतना ही लिखा है कि मैं आपको ऐडवाइज करता हूं कि आप ऐसा न करें क्योंकि आप खुद नहीं पसन्द करेंगे कि ब्रीच आफ़ दि पीस हो।

श्री एस० जी० दत्त---क्या ऐसी स्पीच कि ईसा मसीह मुझे अच्छा करते हैं, अगर और मजहब के लोग कहें कि श्रीकृष्ण जी हमको अच्छा करते हैं, यह एतराज के काबिल है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस करते ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज तक इस देश में कृष्ण जी के नाम से कोई इस प्रकार की औषधि बांटी गयी है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस शुरू कर रहे हैं ।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मुख्य मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि माननीय गौरीशंकर राय ने, कमिश्नर ने जो आज्ञा दी थी, उसकी एक प्रति अध्यक्ष महोदय को समर्पित की है ? और अगर ऐसी कोई जानकारी है तो यह इनकार कैसे किया जा रहा है कि सरकार ने कोई आज्ञा नहीं दी ?

श्री अध्यक्ष---कमिश्नर की मेरे पास कोई आज्ञा नहीं है। ए० डी० एम० की जो थी वह मैंने पढ़ कर सुना दी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब उनकी सभा वहां पर हो रही थी और आसबर्न साहब बोल रहे थे तो उस समय कुछ आर्य समाज के लोग उनके मंच पर चढ़ गये और जो पुलिस वहां खड़ी थी जिसका संरक्षण देना काम था, उस पुलिस ने कतई कहने के बावजूद भी, ईसाइयों को संरक्षण नहीं दिया और उनकी सभा भंग की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं यह नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूं कि उन्होंने पुलिस में इस बात की रिपोर्ट की कि हमारी सभा को कुछ लोगों ने भंग किया। उसके ऊपर जांच हो रही है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस तथ्य का पता लगायेगी कि वे क्या आधार थे जिनके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनको यह एडवाइज किया कि वहां पर सभा न करें, क्योंकि शान्ति भंग से रक्षा करने के लिए सरकार है। और वह कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो कि अवैध हो, तो अवैध काम न करने के कारण जो उसमें बाधा डाल रहे थ, जो शान्ति भंग करने वाले लोग थे उनको रोकने की जरूरत थी या उनकी सभा को रोकने की आवश्यकता थी, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको वहां सभा न करने की क्यों सलाह दी गयी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सरकार की नीति अंध-विश्वास की बातों को कम करने की है या बढ़ाने की है ?

श्री अध्यक्ष---अन्ध विश्वास के बारे में आप कांक्रीट एग्जाम्पिल दें तो समझ में प्रश्न आये।

श्री झारखंडे राय---ऐसा अन्धविश्वास कि झाड़-फूंक या मंत्र से कोई बीमारी अच्छी हो जाय, या कोई भला हो जाय, इस तरह के अन्धविश्वास को कम करने की या बढ़ाने की सरकार की नीति है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, अन्धविश्वास को तो सभी रोकना चाहेंगे। लेकिन कौन-सा अंधविश्वास है और कौन-सा उचित है इसमें भेद है। मसलन मेरा दृढ़ विश्वास है कि मंत्र के द्वारा आदमी अच्छा भी हो सकता है बशर्ते कि सच्चा मंत्र हो।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उनके पास ऐसी शिकायतें आयीं कि एक आदमी कहीं गांव से किराये पर लाया गया और कहा गया कि उसकी आंखें अच्छी हो गयीं। लेकिन जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो उसने कहा कि पैसे कहां गये, आंख से दिखायी नहीं देता है। इस तरह से लोगों को बरगलाया गया। क्या सरकार इसकी जांच करेगी और अगर सही निकलेगा तो मुकदमा कायम करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---किसी ने शिकायत की नहीं थी और आसबर्न साहब चले भी गये यहां से, इतने बड़े आदमी हैं भी नहीं कि उनके पीछे पड़ा जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ए० डी० एम० साहब ने फाइनल आर्डर्स क्या किये, क्योंकि 'टिल फाइनल आर्डर्स' लिखा हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे खयाल में वह चले गये, फाइनल आर्डर्स की नौबत ही नहीं आयी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---श्री आसबर्न झाड़-फूंक और मंत्र के द्वारा, धर्म के नाम पर, लोगों को धोखे में डाल रहे थे, इसलिए क्या सरकार, वह जहां भी हों, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जांच करेगी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने उत्तर दे दिया।

श्री एस० जी० दत्त---क्या सरकार इस बात के बारे में इनक्वायरी करायेगी कि वह लोग जो कि उनके मंच पर चढ़ गये थे और उनके मंच को तोड़ दिया था वह जनसंघी और आर्यसमाजी थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर कुछ लोगों पर मुकदमा चला तो अदालत में साबित हो जायगा कि वह लोग कौन थे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जो लोग आसबर्न साहब का साथ दे रहे थे, और इस तरह से लोगों को पैसा देकर धोखा देते थे, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पहले अंग्रेजों का साथ देते थे और कांग्रेस राज्य जब आया तो उन्होंने अपनी टोपी बदल दी और कांग्रेस में आ गये ?

श्री अध्यक्ष---यह तो केवल आक्षेप है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सभा होती थी, उसमें रोगियों को अच्छा करने के नाम पर, वहां लोगों के इकट्ठा होने पर धर्म का प्रचार किया जाता था ?

श्री अध्यक्ष---इसकी इजाजत नहीं है।

अब यह प्रश्न समाप्त होता है।

लालाबाजार, अल्मोड़ा में स्थित दूकानों में आग लगने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्वशासन मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब प्रश्न एक और है जिसे श्री प्रताप सिंह जी और श्री गोविन्द सिंह बिष्ट ने दिया था अल्मोड़ा में आग लगने के बारे में। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री कहते हैं कि आज ही वह सूचना देना चाहते हैं, तो मैंने आज के लिए उसे रख दिया है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---श्रीमन्, कल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछने से जो हालात मालूम हुए उनको मैं निवेदन कर देता हूं। १४-१५ तारीख की रात को यह वाकया हुआ और ऐसा अनुमान किया जाता है कि कोई ढाई बजे के करीब, कुछ पहले सुबह यह चीज हुई। उस समय जो लोग आये उन्होंने आग लगी हुई देखी। तो उससे थोड़ा पहले ही आग लगी होगी। ढाई बजे रात को जब कि यह आग लग रही थी उस समय लोगों ने जलते हुए देखा। बदकिस्मती से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब उस समय छुट्टी पर थे और एस० डी० एम० अल्मोड़ा भी टूर पर गये हुए थे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर वहां पर थे। उनको टेलीफोन से सूचना दी गयी। वह लोग मौके पर चार बजे के करीब पहुंच गये और उनके साथ ऐडीशनल एस० डी० एम० भी वहां पर थे। बदकिस्मती से वहां पर कोई जिसे एक माकूल फायर ब्रिगेड कहा जाय ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए आग को काबू में लाने में बड़ी दिक्कत हुई। डी० पी० ओ० ने उसी समय नैनीताल फोन किया और वहां से करीब ९ बजे सुबह फायर ब्रिगेड आ गया। उससे आग को दबाने में कामयाबी हासिल हुई। उससे पहले जब तक कि यह फायर ब्रिगेड नहीं आया तब तक आस-पास के मकान जिनमें आग लगने का अन्देशा था उनको तोड़ने की कोशिश की गयी और दूसरे तरीके जो किये जा सकते थे, वह किये गये।

ऐसा अन्दाज है कि इसमें करीब ३ लाख रुपये का नुकसान हुआ होगा। ११ बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची जिन में ३१ के करीब दुकानें थीं और १६ के करीब ऐसे हिस्से थे मकानों के जिन में लोग रहते थे। किस कारण से यह आग लगी यह अभी तक जाहिर नहीं हो सका है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वहां पर स्थानीय जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके साथ मीटिंग की और इसके वास्ते चन्दा वगैरा भी इकट्ठा किया। ३०० रुपये उसी समय तक इकट्ठा हो चुका था। बाकी सूचना

ऐसी है कि शायद एक हजार तक चन्दा हो गया है। यहां से उन्होंने तार से सूचना मांगी कि दो हजार रुपये की ग्रांट हमको दी जाय ताकि हम फौरन मदद कर सकें। इसकी उनके पास मंजूरी जा चुकी है। १७ व्यक्ति ऐसे थे जिन पर इस आग से प्रभाव पड़ा जो बिलकुल निराश्रित थे। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के या दोस्तों और जानने वालों के मकानों में चले गये लेकिन १७ व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास कोई आश्रय नहीं था। इसक लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दस-दस रुपये फी व्यक्ति फौरन दिये और कहा कि उसके बाद फिर और मदद करने की कोशिश की जायगी, दूसरे व्यक्तियों की भी।

अल्मोड़ा म्युनिसिपल बोर्ड ने फौरन क्या किया, किस तरह से उन लोगों की मदद की जाय इसके लिए हमसे स्वीकृति मांगी है और वह हम उनको दे देंगे। ६ हजार रुपया उन्होंने तय किया है कि उससे कुछ आरजी तौर से दूकानें बना दी जायं ताकि उनका काम चल सके।

विष्ट साहब के खत में इस बात का भी जिक्र था कि उन्होंने बहुत पहले एक खत मुख्य मंत्री जी को लिखा था जिसका जवाब उनके पास नहीं गया। मेरे पास जो सूचना है उसमें एक खत है जिसकी कापी इन्डोर्स की गयी है विष्ट साहब को। उसमें लिख दिया गया था कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, लोहाघाट वगैरह ऐसी जगहें है जहां टाउन एरियाज हैं और फायरब्रिगेड का खर्च वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुलिस की ओर से कवाल टाउन्स में फायरब्रिग्रेड का प्रबन्ध किया जाता है। रानीखेत में केन्टोन्मेन्ट के एरिया में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रबन्ध हो सकता है। अल्मोड़ा की बाबत उस खत में ऐसा था कि फायरब्रिगेड का वहां प्रबन्ध था चूंकि आग लगने पर कुछ विशेष प्रबन्ध वह नहीं कर पाये। तो मालूम होता है उनके पास विशेष प्रबन्ध नहीं था। अब अल्मोड़ा में लग सकती है या नहीं और उसका खर्चा वह बरदाश्त कर सकते हैं या नहीं और उसमें सरकार कहां तक मदद कर सकती है, यह सब प्रश्न विचाराधीन होंगे। फिलहाल तो तुरन्त मदद करने का सवाल है उसके लिये कोशिश की जा रही है। मुझे यकीन है जो प्रबन्ध इस समय वहां पर है उससे वह समुचित प्रबन्ध कर सकेंगे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अल्मोड़ा में पिछले तीन वर्षों में सात बार आग लगने की घटनायें हुई है और हर एक में एक-एक लाख का नुकसान हुआ है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इसकी सूचना मिली थी कि इससे पहले भी वहां पर आग लगी है लेकिन उनमें एक-एक लाख का नुकसान हुआ, ऐसी सूचना नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस खत की बाबत उन्होंने जिक्र किया है उसमें कहा गया है कि अल्मोड़ा में फायरब्रिगेड है और आज मन्त्री जी कहते हैं कि वहां पर नहीं है तो इस विरोधाभास को स्पष्ट करेंगे और किस अफसर ने ऐसी गलत रिपोर्ट दी उनके ऊपर कार्यवाही की जायगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--वह खत जरूर पुराना है। उस समय हमारा खयाल था कि वहां पर होगा। अब इसके बाद यह मालूम हुआ कि वह गलत है। तो आशा थी कि उनकी तरफ से कंट्रेडिक्शन होगा। अब इसकी इन्क्वायरी कर ली जायगी।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि सम्पत्ति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को चोट लगने या किसी के जलने आदि की भी कोई सूचना सरकार को है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा हो।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि विष्ट जी ने जो सवाल उठाया है और जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है उसको देखते हुए यह बात मालूम होती है कि वहां आग बुझाने के पर्याप्त उपाय नहीं हैं और इस बात को भी देखते हुए कि जो पहले आग लगी वह बुझाई जा नहीं सकी तो सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि वहां आग को समाप्त करने के पर्याप्त उपाय सम्पन्न हों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सरकार तो यह जरूर चाहती है कि सब जगह पर्याप्त प्रबन्ध हो आग को बुझाने के लिये लेकिन हमारा यह प्रदेश इतना बड़ा है और साधन इतने सीमित हैं कि उसमें हम कहां तक यह कर सकते हैं, इस बात को देखना और विचार करना पड़ेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चूंकि अब उनको यह मालूम हो गया है कि अल्मोड़ा में फायर ब्रिगेड नहीं है और पहले उनको भी यह खयाल था कि वहां पर है तो यह खयाल उनका जिस अधिकारी की गलत सूचना पर आधारित है, सरकार उस अधिकारी से गलत सूचना देने के कारण कोई स्पष्टीकरण मांगेगी और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, उससे पूछ लिया जा सकता है लेकिन कोई गलत सूचना उसने जान-बूझ कर नहीं दी क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उनको भी यह ज्ञान था कि जो भी वहां पर प्रबन्ध था वह काफी नहीं था। इस तरह की बात उसके अन्दर है। तो ठीक-ठीक क्या है, क्या-क्या वहां पर मौजूद है और उसको फायर ब्रिगेड समझा गया यह सब मैं ठीक से नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष---आप इसकी जांच करायेंगे कि क्या बात थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वह तो होगा ही कि किस तरह से यह बात है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मन्त्री जी यह प्रबन्ध करेंगे कि पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिये नेचुरल कैलेमिटीज फंड से कुछ विशेष सहायता वह करें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जितने भी आवश्यक, उचित साधन होंगे उन पर सरकार विचार करेगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी जो १७ परिवार आश्रय विहीन हो गये हैं और जिनका सब कुछ नष्ट हो गया है, उनको घर बनाने के लिये और बसाने के लिये कोई अनुदान अथवा थोड़ा-सा ऋण देने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यहां जो डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट इस सम्बन्ध में आयेगी उसके ऊपर जो भी उचित होगा, करने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा आदि में फायर ब्रिगेड इसलिये नहीं है कि वहां के लोग उसके खर्च को बरदाश्त नहीं कर सकते, तो क्या वहां कई बार आग लग चुकी है इस बात को देखते हुए सरकार कुछ विशेष सहायता दे कर कोई फायर ब्रिगेड का प्रबन्ध वहां के लिये करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैंने एक साधरण उत्तर दिया। आग लगने की संभावना कहां हमेशा रहेगी यह नहीं कहा जा सकता। पिथौरागढ़ में बरसों के बाद एक आध बार आग लगी है और भी पहाड़ों पर कई जगहों से कई बार इसकी मांग हुई है। अपने साधनों को देख कर जहां हम ज्यादा जरूरत समझेंगे वहां इसका प्रबन्ध करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अग्निपीड़ितों की जितनी क्षति हुई है क्या सरकार उसको पूरा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रूम सिंह तथा श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के विषय में जानकारी की मांग

श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं १० तारीख से बराबर शाहजहांपुर में जो रबी की क्षति फसल हो गयी है, सूखा पाला आदि से. . .

श्री अध्यक्ष---वह तो स्वीकार नहीं हुआ। आप अपने बजट भाषण में उसे कह दीजियेगा।

श्री रूम सिंह---वहां लाखों आदमी संकट में हैं और इसलिये उस पर अलग से विचार होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---मैं एक दिन एक ही प्रश्न लेता हूं ।

श्री रूम सिंह---मैं १० तारीख से बराबर दे रहा हूं, आप इसको देख लें।

श्री अध्यक्ष---मैंने उसकी इजाजत नहीं दी है । आप बैठें ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---मेरा भी प्रश्न इसी संबंध में है ।

* * *

श्री अध्यक्ष---आप अपने शब्दों को वापस लें। आप अपने शब्दों को वापस लें।

(श्री बंशीधर शुक्ल अपने स्थान पर खड़े रह कर बराबर बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष---आप अपने स्थान को छोड़ दें। मैं आज्ञा देता हूं कि आप सदन को छोड़ दें।

श्री बंशीधर शुक्ल---जी हां। मैं सदन छोड़ दूंगा। मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आप सदन को छोड़ दें। यदि आप नहीं बैठते तो मैं आपको इंगित करूंगा।

श्री बंशीधर शुक्ल---बैठने में क्या है। मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष---आप सदन छोड़ दें ।

श्री बंशीधर शुक्ल---कितने दिन के लिये ? आप कहिये तो मैं हमेशा के लिये सदन छोड़ दूं। मैं तो जनता के पास फिर जाऊंगा।

* * *

नोट---[***] माननीय सदस्य ने कुछ बड़े अपशब्द कहे थे जो श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिये गये और शब्द वापस न लेने पर और बोलते रहने पर उन्हें सदन छोड़ने की आज्ञा दी गई तब वे सदन छोड़ कर चले गये ।

१९६०--६१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद---(क्रमागत)†

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अपनी प्रगति पर मुझे कुछ शंका होती है। आँकड़ों को देखने के बाद पता चलता है कि इस प्रदेश में एक जेल के बंदी पर साल में ३४६ रुपया खर्च होता है और यहां के एक आदमी की औसत आय साल में २५९ रुपया है। जब हम इस बजट में इतना टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि जिसमें ६५ फीसदी से ज्यादा रुपया केवल तनख्वाहों और भत्तों पर खर्च होता है तो यह कहने को विवश होना पड़ता है कि हमारा ढांचा ठीक नहीं चल रहा है।

श्री बंशीधर शुक्ल के भाषण से आपत्तिजनक अंश निकाल देने का सुझाव

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं जरा निवेदन करना चाहता था अगर आज्ञा हो ?

श्री अध्यक्ष---इस समय ये भाषण दे रहे हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह---बड़ा अशोभनीय कांड हो गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके प्रति उन्होंने शब्द कहे हैं उनको प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाय, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष---प्रस्ताव आप नहीं कर सकते हैं। मैं खुद ही देख लूंगा, वह काट दिया जायगा।

१९६०--६१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद---(क्रमागत)

श्री उदयशंकर---प्रतिवर्ष हमारा कैपिटल एक्सपेंडीचर से घटा करके घाटे का जो हर साल हमारा बजट बनता है उसे सरप्लस बजट में परिणत कर दिया जाता है। बड़ी-बड़ी धनराशि जो हम इस राज्य में सिंचाई, विद्युत योजनाओं इत्यादि पर खर्च करते हैं उन पर जो हमारी निकासी होती है, जब उनकी ओर देखते हैं तो एक बड़ी निराशा होती है। या तो हमारे मंत्रिगणों का ग्रिप अपने डिपार्टमेंट पर नहीं है, अन्यथा जो अधिकारी हैं वह इतने ढीले-ढाले और उच्छृंखल हैं कि वह हमारे मंत्रियों के काबू में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जितना पैसा जनता से सरकार के लिए लिया जाता है, जनता का वह पैसा जिन मदों में खर्च किया जाता है, उन खर्च की हुई मदों से जितनी आमदनी आनी चाहिए वह न आ पाये, यह प्रशासन के ढीलेपन की निशानी है और हमें सचेत हो कर वह पूरी आमदनी लेनी चाहिए जितनी कि उस रुपये से हमको मिलनी चाहिए।

हम जब देखते हैं अपने भू-राजस्व कर की नीति को और अपने इस दावे को कि हम एक कल्याणकारी राज्य की ओर एक समाजवादी समाज की स्थापना करते हैं तो हमें एक दूसरी निराशा होती है। वह लोग जो पिछले मध्यवर्ती थे, एक ही किस्म की जमीन के लिए अगर एक रुपया सरकार को मालगुजारी के रूप में देते हैं तो वही किसान जिसने १० गुना लगान का अदा करके भूमिधरी का हक प्राप्त किया उसे उसी किस्म की जमीन के लिए दो रुपया देना पड़ता है। सीरदार को ४ रुपया देना पड़ता है और जो अधिवासी सीरदारी का हक प्राप्त करता है उसे ८ रुपया देना पड़ता है। यह जो असमानता हमारी भूराजस्व की नीति में है वह मेहनतकश के ऊपर एक बोझा, एक प्रीमियम डालती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी

---

†१६ फरवरी, १९६० की कार्यवाही से।

इस नीति को एक ऐसे रूप में बदले जिसमें जमीन जोतने वालों को एक तरह का भू-राजस्व कर देना पड़े। यह तो एक ऐसी बात हो जाती है कि जो अपने हाथों से मेहनत करे, जिसके घर के सारे आदमी खेती में लगे रहें, जिसके पास थोड़ी खेती हो, ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा पैदा करे वह सरकार को ज्यादा कर दे और जिनके पास ज्यादा जमीनें हों, जो कम पैदा करें वह सरकार को कम दें, यह नीति बड़ी असमान नीति है।

दूसरे, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट पर हम करोड़ों रुपया साल में खर्च करते हैं और अगर यह कोआपरेटिव डिपार्टमेंट आज १० वर्षों के भीतर भी जो बजट में मध्यवर्ती मुनाफा ठेकेदार खा जाता है उसको रोकने में समर्थ नहीं हुआ।

मैं पिछले १० वर्षों के भीतर भी यह देख नहीं पाया हूं कि हमारे प्रदेश में कार्य करने वाले जो मेहनतकश लोग हैं उनकी मेहनत का पैसा उन्हीं को मिले। हमारे प्रदेश में लेबर कोआपरेटिव सोसाइटियां बनाकर ठेकेदारों को जितना पैसा दिया जाता है वह पैसा सीधे उन मेहनतकश लोगों को मिलना चाहिये, इस ओर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस ओर हमारे डिपार्टमेंट्स का कोई भी प्रयास नहीं रहा है। इस ओर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हमें एक समाजवादी समाज की स्थापना करना है और उस लक्ष्य को पूरा करना है तो हमें इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। इस डिपार्टमेंट का अस्तित्व ही बेकार है अगर वह धन का उपयोग इस तरह नहीं करता कि जिसमें जो मेहनतकश लोग हैं उनको अधिक से अधिक धन मिले तथा जो बीच के लोग हैं उनसे धन निकले।

श्रीमन्, जिस तरह से हमारा शासन चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध आती है और वह हमारे जीवन में सर्वत्र दिखाई पड़ रही है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मैं, श्रीमन्, दो मिनट और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अभी दो मिनट आपके बाकी हैं।

श्री उदयशंकर--आज हर आदमी की जबान पर यह बात फैली हुई है कि बिना सिफारिश के कोई काम चल नहीं सकता है। श्रीमन्, इस चीज को जल्द से जल्द हमें दूर करना है। आज देहातों में पुलिस पूरे तौर से सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अंग्रेजों के जमाने में भी जितनी देर केस डायरियां वे लोग रोकते थे आज हम देखते हैं कि उससे कहीं अधिक दिनों देर तक केस डायरियां और जनरल डायरियां रोक दी जाती हैं और रोक कर उनमें पुलिस के काम होते हैं। एक तीसरी बात जो भ्रष्टाचार के संबंध में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज भ्रष्टाचार करने वालों को यह आश्वासन किसी प्रकार हो गया है कि वे भ्रष्टाचार करके भी अपने आप को बचा सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में, कुछ दिन पहले, सिंचाई के मंत्री महोदय ने एक चीफ इंजीनियर महोदय को छुट्टी पर जाने के लिये मजबूर किया और उन्होंने रिटायरमेंट के पहले ही छुट्टी के लिये दरख्वास्त दी। सुना जाता है कि वे चीफ इंजीनियर महोदय अब लियाजन आफिसर बना दिये गये हैं। तो यह ऐसी चीज है जो शासन की नींव को हिलाती है और लोगों में शासन की तरफ से विश्वास उठ जाता है....

श्री अध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं समझता था कि जब मैं बोलने के लिये खड़ा हूंगा तब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां सदन में उपस्थित रहेंगे क्योंकि मैं अपना भाषण उसी सभ्यता से शुरू करना चाहता हूं जिस सभ्यता का वह अपने को प्रतीक समझते हैं और मैं पहले यह श्लोक पढ़ता हूं--

"सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्।
अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्विषी।"

[श्री राजनारायण]

विधान निर्णय की सभा में पहले तो आना ही नहीं चाहिये। प्रवेश करने पर न्याय-पूर्ण ही बोलना चाहिये। लेकिन जो लोग सभा में जाकर अन्याय होने पर बोलते ही नहीं या असत्य का पक्ष लेते हैं, वे सभासद पापी हैं। जो हमारी प्राचीन परंपरा और संस्कृति रही है, उसका भी उदाहरण रखता हूं। वह आगे यह है--

"यत्र धर्मो ऽधर्मेण सत्यं यत्र मृतेन च।
हन्यते प्रेक्षमाणानां हताः तत्रा सभासदाः॥"

जिस देश के शासकों की सभा में न्याय, अन्याय से पीड़ित होकर पराजित हो जाय तो धर्म को अधर्म क्या वेध सकता है, सभासद् ही वेधे जाते हैं। चूंकि सम्मानित सदस्यगण बैठे हुए हैं इसलिये मैं कह देना आवश्यक समझता हूं कि अगर इस सभा में सत्य, असत्य से पीड़ित हो, धर्म अधर्म से पीड़ित हो तो उसका पाप हम सभी लोगों पर पड़ेगा।

अब इस संबंध में मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इसी दृष्टिकोण से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है वह असत्य है, भ्रामक है, वस्तुस्थिति को छिपाने वाला है और ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जिससे गरीबी, भुखमरी, शोषण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। इन तमाम बातों की गुंजायश इस बजट में है। कहा जाता है कि यह जनता का बजट है। मगर मैं बिना किसी हिचक के कह सकता हूं कि यह "विकृत नौकरशाही का बजट" है।

अब श्रीमन्, बहुत से लोगों का यह खयाल हुआ होगा कि शायद हमने कुछ कटु शब्दों का प्रयोग कर दिया। मगर बात ऐसी नहीं है, हमने बहुत ही विनम्र शब्दों का प्रयोग किया है। मैं एक वाक्य पुन: दोहराना चाहता हूं कि मधुर भाषण और शिष्ट व्यवहार परस्पर विरोधी सिद्धान्तों के संघर्षों को टाल नहीं सकते, यह गांधी जी का वाक्य है। जब सिद्धान्तों का परस्पर विरोध हो तो चाहे कोई कितना ही मधुर भाषी हो, चाहे कोई कितना ही हाथ-पैर जोड़ने वाला हो, चाहे कोई कितना ही शिष्ट व्यवहार करे--आज इसी को शिष्ट कहने लगे हैं--मगर यह संघर्ष टलता नहीं है। इसलिये मैं देखता हूं कि आज सरकारी पक्ष में और सोशलिस्ट पार्टी में यह संघर्ष अटल हो रहा है, निश्चय हो रहा है।

श्रीमन्, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को सूचना दे दी थी, समाचार-पत्रों में भी पढ़ा गया होगा और २५ नवम्बर को दिल्ली में जन-प्रदर्शन द्वारा इस सरकार को तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू को भी सूचना थी कि यदि दाम, भाषा, जान, टैक्स, नीति सोशलिस्ट पार्टी की नहीं मानी जायगी तो जनहित में पहली मई से सारे देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू होगा। श्रीमन्, आपको याद होगा कि १० मई, १९५७ से इन्हीं मांगों को लेकर १९ महीने की सजा यह बन्दा भुगत चुका है। श्रीमन्, हमारी मांग है कि अलाभकर जोत पर से लगान माफ किया जाय और किसानों के लिये जो दुखदायी टैक्स हैं उनको समाप्त किया जाय, जैसे सिंचाई टैक्स, बिक्री-कर का विकृत स्वरूप आदि। इन सारी बातों को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर राज-नारायण की बात को मान लूं और साढ़े ६ एकड़ से नीचे के जो अलाभकर किसान हैं उनका लगान माफ कर दिया जाय तो १० करोड़ रुपये की कमी हो जायगी, इसकी पूर्ति का साधन क्या है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस साल बजट के पूर्व ही मैंने उनको इसकी पूरी व्यवस्था दी थी। हमने उनसे कहा था कि १० करोड़ रुपये का बचाना बहुत ही आसान है। एक हजार रुपया महीने से ज्यादा किसी को तनख्वाह मत दो। एक हजार रुपये महीने से ज्यादा जिस किसी की आमदनी हो उसको ले लो। इससे हमारे प्रदेश में कई करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। मगर सरकार ने हमारी इस साधु सम्मति को ठुकरा दिया और इसको मानने से इनकार किया है। छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी नहीं, वह अपनी जगह पर ही है।

अगर मैं इतना ही कहूं कि छोटे कर्मचारियों जैसे--चपरासियों और अध्यापकों की तन-ख्वाहें बढ़ा दी जायं, तब तो सरकार कहती है कि खर्चे के लिये पैसा कहाँ से लायें लेकिन जब हम

कहते हैं कि १ हजार रुपये से ज्यादा आमदनी किसी की न हों, इसके लिये सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। एक मंत्री पर ६-७ हजार रुपया मासिक खर्च हो रहा है, पूरा हिसाब हमने लगा लिया है। मंत्रियों की तनख्वाह, उनके गमनागमन के साधन, सजा सजाया भवन, उनकी और उनके परिवार वालों की चिकित्सा के लिये अस्पताल में प्रबंध और दवायें, इसके अलावा और भी जो भत्ते उनको मिलते हैं, उनको अगर जोड़ लिया जाय तो प्रत्येक मंत्री पर ६ हजार रुपये से कम का खर्चा नहीं पड़ेगा। यह है गरीब मुल्क के मंत्रियों की हालत। बजट में अब उसको छिपाया कैसे जाता है, इसको मैं बजट के ही आंकड़ों से साबित करना चाहूंगा। बजट में जो आमदनी है, अगर सरकार को बजट बनाने की अक्ल आ जाय और बजट को वह सत्य ढंग से बनाये, असत्य ढंग पर उसको पेश न किया जाय, तो उसमें ही बहुत-सा रुपया अच्छे कामों के लिये निकाला जा सकता है। माननीय नारायणदत्त जी ने १९५७-५८ के आंकड़े दिये।

श्री अध्यक्ष---क्या उनके आंकड़ों को आप स्वीकार करते हैं ?

श्री राजनारायण---जो सही हैं उनको स्वीकार करते हैं और जो गलत हैं उनको स्वीकार नहीं करते। लेकिन अधिकांश सही हैं। सरकार की ओर से उनके मुख्य वक्ता माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, उनको अपने आंकड़ों पर खुद ही विश्वास नहीं है, ऐसा वे कहते हैं तो उन्हीं के आंकड़ों से उन्हीं के तर्कों को काटना कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेकिन इस सदन में बहुत से सम्मानित सदस्य हैं, जिनके लिये उन आंकड़ों की आवश्यकता है, इसलिये थोड़े से मैं उन आंकड़ों को दे देना चाहता हूं। १९५७-५८ के मूल बजट को ले लीजिये। उसमें आय ९६.६६ करोड़ रुपया है, व्यय १०८.३३ करोड़ रुपया है। यानी ११.६७ करोड़ रुपये का घाटा था। लेकिन साल के अन्त में आय बढ़ कर १०४.९४ करोड़ हो गई और व्यय घट कर ९९.४२ करोड़ हो गया यानी वर्ष के अन्त में ५.५२ करोड़ की बचत हो गयी। इस प्रकार से जो बजट पेश किया गया था वह असत्य था, सत्य नहीं था। इस प्रकार से झूठा, काल्पनिक और खयाली बजट पेश किया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है। इसलिये जनहित का कार्य करने में सरकार पीछे रह जाती है। यह उचित नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिये। श्रीमन्, इसमें देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि ३०८ लाख रुपये की कमी हुई है शिक्षा, चिकित्सा और समाज-कल्याण आदि के कामों में।

अब १९५८-५९ को देख लिया जाय। मूल बजट में बताया गया कि आय १०८.२३ करोड़ होगी और व्यय ११२.७७ करोड़। इस प्रकार से घाटा ४.५४ करोड़ का दिखाया गया। लेकिन वर्ष के अन्त में आमदनी हुई ११७.२३ करोड़ और व्यय हो गया ११६.१३ करोड़ इस प्रकार से १.१० करोड़ का सरप्लस (लाभ) हो गया। क्या सरकार के बजट पेश करने की यह जादूगरी नहीं है ? क्या इसको समाजवाद और जनतंत्र का बजट कहा जा सकता है ? जिस बजट में वस्तु स्थिति पर पर्दा डाला जाता है, जिस बजट में वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं कराया जाता, क्या उसको सत्य कहा जा सकता है ?

१९५९-६० को अगर देखा जाय तो और तमाशा दिखायी पड़ता है। उसकी आय ११९.७० करोड़ है, व्यय १२१.४७ है, यानी १.७७ करोड़ घाटा था और दुहराये तखमीने १२२.५० करोड़ हो गये और व्यय भी बाद में १२२ करोड़ ५० लाख हो गया। इसमें भी पहले का जो घाटा था वह खत्म हो गया।

सन् १९६०-६१ का बजट आता है। इसके बारे में मैं आपसे क्या बतलाऊं क्योंकि अभी तो वह रकम खर्च होती है। लेकिन साल के अन्त में यही स्थिति आ जायगी कि दिखलाया जायगा कुछ और साल का अन्त आते-आते हो जायगा कुछ। श्रीमन्, आंकड़े के संबंध में भी मैं कुछ बतलाना चाहता हूं। सरकार की ओर से आंकड़ों द्वारा प्रदेश का जो सिंहावलोकन किया गया है उसको देखा जाय तो सन् ५६–५७ की कुल आमदनी को बांटा गया है। सन् ५५ से ५७ तक के आंकड़ों की सिंहावलोकन पुस्तिका में और सन् ५६ से ५८ तक की सिंहावलोकन पुस्तिका

[श्री राजनारायण]

में पुनः उसी ५६–५७ की आय को बांटा गया है । उसमें नगर की कुल आमदनी कितनी दी गयी है उसको आप देखें । पारसाल भी ५६–५७ की संशोधित आय दी गयी थी और इस साल भी रिवाइज करके उसे दिया गया है । पारसाल बतलाया गया है कि सन् ५६–५७ में नगरों की कुल आमदनी ६०४ करोड़ थी, और नगर के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी ६५६.२ रुपया के करीब है । और फिर इस साल की सिंहावलोकन पुस्तिका में उसी ५६–५७ के रिवाइज्ड आंकड़े दिये गये हैं जिसमें दिखलाया गया है कि पारसाल नगर की आमदनी बढ़कर ६०७ करोड़ हो गई । यह जरा देखने की बात है कि पारसाल तो ६०४ करोड़ दिखलाया गया है और उसी साल की आमदनी को इस साल की सिंहावलोकन पुस्तिका में ६०७ करोड़ दिखलाया गया है यानी ३ करोड़ की बढ़ोत्तरी दिखलाई गयी है । इसी तरह से संशोधित औसत आमदनी को भी देखा जाय तो पारसाल प्रति व्यक्ति ६५६.२ रुपया दिखलाया गया है और इस साल की पुस्तिका में उसे ६४५.८ रुपया दिखलाया गया है । यानी १०.४ रु० प्रति व्यक्ति औसत आमदनी नगर की कम हो गयी है जब कि नगर की आमदनी संशोधित आंकड़े के हिसाब से ३ करोड़ बढ़ी । यह कहां से आ गया ? आमदनी में तो बढ़ोत्तरी हुई और प्रति व्यक्ति औसत आमदनी में १०.४ रुपये की कमी हो गयी है । आखिर इसका क्या कारण है ? क्यों सरकार इस तरह के आंकड़ों द्वारा सत्य को छिपाती है ?

श्री अध्यक्ष––आबादी तो नहीं बढ़ गयी ?

श्री राजनारायण––उस सम्बन्ध में भी मैं बतलाऊंगा । लेकिन मेरा तो कहना यह है कि ५६-५७ के संशोधित आंकड़े पारसाल की आंकड़ों की पुस्तक में भी कुछ और दिखलाये गये हैं और ५६–५७ के ही आंकड़े इस साल संशोधित रूप में कुछ और दिखलाये गये हैं । पारसाल ५६–५७ में जहां प्रति व्यक्ति औसत संशोधित आमदनी ६५६.२ रुपया दिखलायी गयी है वहीं ५६ से ५८ तक के आंकड़े में उसी साल की औसत आमदनी संशोधित रूप में ६४५.८ रुपया दिखलाई गयी है । यानी १०.४ रुपये की कमी हो गयी है । श्रीमन्, इसका क्या कारण है ? उत्तर प्रदेश में जब कि चारों तरफ यह हवा बही कि देहातों की आमदनी गिरती जायगी और शहरों की आमदनी बढ़ती जायगी तो सरकार के आंकड़े बनाने वालों ने सोचा कि सरकार की पोजीशन को किस तरह से बचायें और इसके लिये उन्होंने शहरों की औसत आमदनी को इस साल में कम कर दिया और देहातों की आमदनी को करीब १० फी सदी बढ़ा दिया । यह कैसा जादू है ? श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार इस तरह का असत्य बजट पेश करती है, इस तरह का भ्रामक बजट पेश करती है तथा इस तरह से वस्तुस्थिति को छिपाने वाला बजट पेश करती है तो देश का सत्यानाश अवश्यम्भावी है ।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ जो सरकार से सम्बन्धित विभाग हैं उसके ब्योरे को अगर देखा जाय तो अब तक इस सरकार ने कोई भी ऐसा कार्य किया है जिसको हम विकास का कार्य बतला सकते हैं ? हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, हमारे यहां जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं और जो दबे हुए हैं या जो दूसरे ऐसे लोग हैं उनके उत्थान के लिये बजट में सरकार ने क्या रखा है? हमने कहा था कि दर्जा ८ तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई मुफ्त और अनिवार्य करो । हमारे उप-शिक्षा मंत्री जी अपना बयान तो अखबार में दे सकते हैं कि हम भी अपने यहां शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करने वाले हैं लेकिन क्या प्रस्तुत बजट में कहीं भी दर्जा ८ तक की फीस माफी की या अनिवार्य शिक्षा की झलक है ? बार-बार सभी स्थायी समितियों ने फैसला किया है कि बजट का २० प्रतिशत शिक्षा अनुदान में जाना चाहिये लेकिन आप देखें कि कुल शिक्षा के आंकड़े अगर जोड़े जायं तो वे बजट के करीब १३ प्रतिशत से अधिक नहीं हैं । यही १७ प्रतिशत सन् ३६–३७ में था और ३७–३८ में भी होता था । आज भी जो कल्याणकारी राज्य बनाने की कल्पना करते हैं वह आजतक शिक्षा के अनुदान को २० प्रतिशत तक नहीं ला पाये, संख्या बढ़ी है लेकिन प्रतिशत नहीं बढ़ा है ।

न्याय विभाग में जहां ३६-३७ और ३८-३९ में ३ प्रतिशत से कुछ अधिक न्याय प्रशासन पर खर्च होता था वह इस साल १.१ हुआ है । मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों कुछ माननीय सदस्यों को भ्रम हो जाता है कि यह सरकार न्यायकारिणी और कार्यकारिणी को अलग करना चाहती है ? यह उन की भ्रान्ति है और गलत धारणा है । चाहे वह कहे कुछ लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज भी जिलों में जो जुडिशियल आफिसर्स हैं या मैजिस्ट्रेट हैं, क्या वह सही मानों में स्वतंत्र हैं ? क्या उनका कैरेक्टर रोल जजों के हाथ में है या आज भी उन के ट्रान्सफर और कैरेक्टर रोल्स कलेक्टर के हाथ में है ? क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों की यही स्वतंत्रता है कि वह यहां से उन्नाव या सुल्तानपुर चले गये जहां पर तथा कथित न्याय अलग नहीं, वहां पर वह किस के मातहत रहेंगे ? फिर वही कलक्टर की मातहती । मुझे इस तरह की जानकारी इसलिये हुई कि मेरा मुकदमा चल रहा था, तो मैंने जुडीशियल मैजिस्ट्रेट से कहा था कि आप कलेक्टर के अन्डर हैं या नहीं हैं ? और बहुत सी बातें हुई, उन्होंने कहा कि हम तो छोटे आदमी हैं । फिर देखा जाय कि दस बजे फैसला सुनाने के लिये बुलाया गया लेकिन साढ़े ३ बजे फैसला सुनाया गया जब गवर्नमेंट की एडवाइस हासिल कर ली गयी.....

श्री अध्यक्ष--आप अदालत के फैसले की बात पर न जायं ।

श्री राजनारायण--अब मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य पुलिस बजट पर जरा ध्यान दें । आप देखें कि पिछले साल जब यह बजट आया था तब से अब तक क्या प्रगति हुई । इस बीच में इलाहाबाद में विद्यार्थियों पर गोली चली, कानपुर में निहत्थी जनता पर गोली चली, मथुरा के भी एक कस्बे में पुलिस द्वारा जनता पर गोली चलाई गयी, अभी मिर्जापुर में भी निहत्थी मजदूर जनता पर गोली चलाई गयी । जनतंत्र में इस तरह से इस कल्याणकारी राज्य में पुलिस द्वारा गोली चलाई गयी । हमें शर्म आती है और नतमस्तक होना पड़ता है कि पूज्य बापू जिस ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और जिस का नाम लेकर आज शासन बनाये बैठे हैं उस राज्य में इस तरह से अपने देशवासियों पर, अपने निहत्थे भाइयों पर गोली चलाई जाय, अपने विद्यार्थियों, अपने किसानों और अपने मजदूरों पर गोली चलाई जाय और ऐसे कुकृत्यों में वह जरा नहीं झिझकते और जहां गोली चलाना चाहिये वहां से भागते हैं, वह है बार्डर इशू (सीमा क्षेत्र की समस्या) जिस पर हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । मैं तो कहूंगा कि जनतंत्र का जरा तो यह सरकार ध्यान रखे । सरकार को तो यह फारमूला अख्तियार करना चाहिये कि जब तक जनता निहत्थी रहेगी तब तक गोली नहीं चलाई जायगी । यदि जनता की ओर से हत्या हुई हो और आगे भी ऐसी सम्भावना हो तब ऐसी गोली चलाने की बात आ सकती है । उदाहरण के लिये पूछा जा सकता है कि फिर शासन कैसे चलेगा ? हम ने उसका एक उदारहण देखा है । एक थाटे साहब, आई० जी० पुलिस थे, उन्होंने कहा था कि मैं इतने दिनों के तजुर्बे और पद पर रहने के बाद कह सकता हूं कि जितनी गोलियां मेरे जमाने में चलाई गयीं वे अनावश्यक थीं और बिना गोली चलाये भी शान्ति व्यवस्था स्थापित हो सकती थी । इंगलैंड का नमूना है जहां पर ७७ साल से जनता पर गोली नहीं चली । वहां पर राज्य के विरुद्ध बड़े-बड़े प्रदर्शन और सभाएं हुईं और जब स्वेज कैनाल का मामला चल रहा था उस समय पार्लियामेंट के दरवाजों के शीशे तक खड़खड़ा डाले गये, लेकिन वहां गोली नहीं चलाई गयी । यहां बहाने बनाये जाते हैं कि अगर बस पर ईंटा चलाये जायेंगे तो पुलिस क्या करें बस पर ईंटा पड़ जायेगा तो बस बनाई जा सकती है लेकिन जिसकी जान सरकार गोली से लेती है उसको नया पैदा नहीं किया जा सकता है ।

इसी तरह से श्रीमन्, ट्रेड (राज्य सरकार व्यापार योजना) नीति को देखा जाय । पारसाल कहा गया था कि स्टेट ट्रेडिंग होगी । इस साल कुछ नहीं कहा गया । जब तक खेती तथा उद्योग की वस्तुओं की कीमतों में संतुलन नहीं होगा, जनहित नहीं हो सकता ।

भाषा नीति के बारे में भी सफाई के साथ नहीं कहा जाता है कि हिन्दी का ही प्रयोग होगा, अंग्रेजी का नहीं । जब हम अंग्रेजी के बहिष्कार की बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि संविधान के अन्दर मान्यता प्राप्त जितनी भाषाएं हैं सब की तरक्की हो । आज झगड़ा हिन्दी और उर्दू के बीच नहीं है, हिन्दी और मराठी के बीच नहीं है, हिन्दी और बंगला के बीच नहीं है, हिन्दी और तेलगू के बीच नहीं है, झगड़ा

[श्री राजनारायण]

हिन्दी और अंग्रेजी का है। जो लोग अंग्रेजी को कायम रखना चाहते हैं वह हिन्दी के ही दुश्मन नहीं हैं बल्कि वे तामिल के, गुजराती के, मराठी के, बंगला के, सभी के दुश्मन हैं।

जाति नीति को देखा जाय। यहां बहुत से हरिजन कहे जाने वाले बन्धु भी हैं। सिर्फ एक सोशलिस्ट पार्टी है जिसने कहा है कि कम से कम ६० परसेंट जगह सरकारी नौकरियों में और राज सत्ता के प्रमुख स्थानों में हरिजन, शूद्र, आदिवासियों, मुसलमानों और औरतों को मिलनी चाहिये। क्या सरकार इसके लिये कोई व्यवस्था कर रही है? इस बजट के अन्दर उनके लिये कोई गुंजाइश की गयी है? नहीं की गयी है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार जहां एक तरफ हर प्रकार से अराजकता पैदा कर रही है, भुखमरी बढ़ा रही है और बेकारी बढ़ा रही है, वहां दूसरी तरफ सूबे पर आर्थिक बोझ भी अधिक से अधिक बढ़ाती चली जा रही है। ३१ मार्च, सन् ५८ को २६६ करोड़ ६१ लाख कर्जा था। १०१ करोड़ १८ लाख कर्ज लिया गया और अदा किया गया कुल ५० करोड़ २ लाख। कर्ज लिया जाता है ज्यादा और दिया जाता है कम। ३१ मार्च, १९५९ को कर्जा हुआ ३१३ करोड़ ५४ लाख, ३१ मार्च, १९६० को ३५८ करोड़ ४६ लाख और, ३१ मार्च, १९६१ को अनुमानित है ४११ करोड़ ३० लाख। यह सब रुपया कहां खर्च किया जा रहा है, सरकार को इसकी सफाई देनी चाहिये। लेकिन सरकार के पास सफाई नहीं है। इसलिये नहीं है कि जो भी पैसा खर्च हो रहा है वह उत्पादक यानी प्रोडक्टिव इंवेस्टमेन्ट नहीं हो रही है जिससे कि आमदनी बढ़े। इसी साल को देखें—२६ करोड़ का जो पूंजी व्यय है वह पूरे पूरे आंकड़ों का करीब १७ प्रतिशत है। इतना पूंजी व्यय पर खर्च हो, उसमें भी तमाशा यह कि वह खर्चा किया जा रहा है कुछ सड़कों और भवनों के बनाने में। हम एक बारगी नहीं कह सकते कि यह थोड़ी सी रकम जो सरकार ने पूंजी व्यय में रखी है वह सही तरीके से खर्च होगी और उससे आमदनी होगी। इसलिये सरकार को सोचना चाहिये कि सरकार इस तरह से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बरबाद न करे। सरकार कहेगी कि हम भी कुछ कर्ज देते हैं। कितना देते हैं? इस साल कुल कर्ज दिया है १३२ करोड़ जिसमें ६८ करोड़ ३७ लाख विद्युत बोर्ड का भी शामिल है। मगर यहां कर्जा किसको दिया जा रहा है? किसान को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमने उसके अलग आंकड़े निकाल रखे हैं। प्रकीर्ण (मिसलेनियस) में १९५८ में १० करोड़ ९९ लाख रुपया कर्जा दिया गया, १९५९ में ११ करोड़ ३४ लाख और १९६० में १२ करोड़ ९६ लाख और १९६१ में १४ करोड़ ४४ लाख रुपया कर्जा देने की बात है। हमको भ्रम में डालने के लिये शरणार्थी लिख दिया गया है। अगर इस कर्ज का ब्यौरा, आयेगा तो मालूम होगा कि जो सरकार से संबंधित हैं उन्हीं को कर्जा मिला है। जो सरकारी कर्मचारी बड़े-बड़े पदों पर विराजमान हैं उनको कर्जा देने की लिस्ट को देखा जाय तो १९६१ में ६७,००,००० रु० हो गया है। वह भी छोटे सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता है। क्योंकि हमको निजी जानकारी है, जेल का एक छोटा कर्मचारी है जिसको पांच वर्ष से मकान बनाने के लिये कर्जा मांगने पर भी नहीं मिल रहा है।

किसानों की ऋण की क्या स्थिति है इसको भी देखा जाय। सरकार कह सकती है कि हम किसानों को ऋण दे रहे हैं पर वास्तविकता क्या है यह इससे स्पष्ट है कि १९५८ में किसानों पर ऋण बकाया था ७ करोड़ ८४ लाख, १९५९ में था ९ करोड़ २३ लाख, १९६० में था ७ करोड़ ९३ लाख और १९६१ में रह गया ५ करोड़ ४२ लाख। तो किसानों से कर्जा वसूल तो अधिक किया जायगा लेकिन ऋण उनको कम दिया जायगा।

इसी प्रकार नगरपालिकाओं के संबंध में देखा जाय। नगरपालिकाएं हमारी सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सही स्वरूप हो सकती हैं। लेकिन उनको भी कर्जा कम दिया जा रहा है और वसूल ज्यादा किया जा रहा है। १९५८ में कर्जा बकाया था १२ करोड़ ९६ लाख लेकिन १९६१ में २१ करोड़ ८६ लाख रह गया। तो इनसे भी जोरों

के साथ वसूल किया जा रहा है। लेकिन बड़े आदमियों से इस तरह नहीं वसूल किया जाता है।

अब चूंकि लाल बत्ती जल गई है इसलिये अधिक ब्यौरे में न जाकर मैं एक महान भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री। इसके संबंध में दो साल पूर्व से मैं और हमारे एक साथी सीतापुर के, बराबर सरकार को लिख रहे हैं कि क्या कारण है कि सरकार ने अभी तक इसकी बैलेंस शीट कोई नहीं दी। सदन में कई बार इसी बात को कहा। इस साल सरकार ने कुछ आंकड़े दिये हैं। कुल हमारी लागत पूंजी १९५८–५९ में ४ करोड़ ८४ लाख थी, १९५९–६० में ४ करोड़ ९१ लाख थी और १९६०–६१ में ६ करोड़ ८१ लाख होगी जबकि इसमें कहते हैं कारखाने के प्रसार को जो उत्पादन कार्य १९६०–६१ में करेगा उनमें खर्च होने वाली मदों को जोड़ दें तो। मगर इसमें लिखा हुआ है "उपरिलिखित लेखा नकद धनराशि के आधार पर अर्थात वर्ष में किये गये प्रतिदानों और जमा खाते में दर्ज की गई आय के आधार पर तैयार किया जाता है। आरम्भिक और अन्तिम स्टाक की स्थिति प्राप्त नहीं है।" कितने बोरे सीमेंट स्टाक में पहले थे और अब कितने हैं इसको चिट्ठे में नहीं रखा गया है। फिर यह कोई हिसाब हुआ? यह जनता के धन का दुरुपयोग हुआ है। अगर मैं कहूं इसके पीछे चोरी, गबन तथा भ्रष्टाचार छिपा हुआ है तो क्या बुरी बात है? बारबार यहां सदन में कहने के बावजूद आज जो वहां का चिट्ठा पेश किया गया है उसमें नहीं बतलाया गया कि हमारे पास कितना सीमेंट था और कितना आज है। जो नकदी पैसा मिला और गया वह लिख दिया।

सरकार की भ्रष्टाचारिता किस तरह से है, इसके आंकड़े हमारे पास हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ने जो सूचना विभाग स्थापित किया है उस विभाग के लिये एक स्पेशल आडिट कमेटी जरूर बैठानी चाहिये। एक साप्ताहिक पत्रिका हमारे पास है जिसमें ४८,००० रु० सरकार का खर्च हुआ और कहा गया एक प्रति २ रु० को बिकेगी जबकि उससे अच्छी पत्रिकायें १२ आने में मिलती हैं। जिले के सूचना विभागों में बांटी गई और डायरेक्टर महोदय की ओर से यहां तक विभागीय आदेश गये कि इसमें विभाग के सम्मान और तुम्हारे सम्मान की सुरक्षा है तुम सारी पत्रिकाओं को बेचो। यह आखिर देखा जाय कि इस प्रोग्रेस में क्या है। राधा-कृष्ण गले मिलन! हो सकता है कि इसके बनाने में कुछ अच्छाई हो लेकिन इससे प्रदेश की प्रगति कैसे हो सकती है? यह हमारा ४८ हजार रुपया मिट्टी का सिक्का थोड़े ही था जो इस तरह से बरबाद कर दिया गया है।

मैं ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। भ्रष्टाचार और रेडटेपिज्म की एक कहानी बतलाऊंगा। माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी इस सदन के सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं। एक कमेटी सत्याश्रम प्रबन्ध के लिये बनी हुई है जिसके वह सदर हैं। तारीखवार ब्यौरा हमारे पास है। उसमें यह लिखा हुआ है कि सन् ५७ से एक मकान में हंसराज नामक व्यक्ति एक ट्रसपासर है। रेंट कंट्रोलर ने उसको हटाने के लिये सन ५७ में आदेश दिया और पुलिस ने हटाया नहीं। सन् ५९ में उस संस्था के नाम वह मकान एलाट हो गया लेकिन आज तक वह मकान नहीं मिल पाया है। यह रेड टेपिज्म (लाल फीतावाद) है।

डैम्स की योजनायें जो इस प्रदेश में बनी हैं उन्हें इस सरकार ने बनाया है यह कहना भी गलत है। १५ अगस्त, १९४७ के पूर्व के सर्वेक्षणों के आधार पर जो बांध पूर्ण किये जा चुके हैं अथवा जिन पर कार्य चालू है उनका ब्यौरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने श्री महाराज सिंह भारती द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में दिया है। १५ अगस्त, १९४७ के पूर्व किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर निर्मित बांध :—

माताटीला डैम, नौगढ़ डैम, सारदा सागर, अर्जुन डैम, रंगवा डैम, चन्द्रप्रभा डैम, ललितपुर डैम, अहरौरा डैम, सपरार डैम, नगवां बांध।

[श्री राजनारायण]

१५ अगस्त, १९४७ के पूर्व किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर निर्माण की अवस्था में बांध:—

माताटीला बांध, जिरगो जलाशय, सारदा सागर, नानक सागर योजना, तुमारिया जलाशय, मेजा जलाशय, बाल्मीकी जलाशय और अपर खजूरी जलाशय। तो ये जितने डैम इस समय बन रहे हैं उनका सर्वेक्षण या तो सब अंग्रेजी राज्य के जमाने में हुआ था या उनकी आधारभूत योजना अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन द्वारा की गयी थी।

शिक्षा संस्थाओं के संबंध में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे प्रदेश में शिक्षा संस्थायें बिलकुल सरकारी राजनीति के अड्डे बनती जा रही हैं। इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय बन्द हुए और वहां पी० ए० सी० गयी। आप व्यक्तिगत ढंग से बड़े दुखी थे। लगातार हमने कोशिश की, जांच समिति बैठाने का प्रस्ताव पास हुआ जिसमें नारायण दत्त तिवारी, झारखंडे राय तथा अन्य पार्टियों के नेता सम्मिलित थे। लिहाजा एक कमेटी का निर्माण हो जो विश्वविद्यालयों में फैले हुए भ्रष्टाचार की जांच करे।

अभी तक तो हमने सरकारी पक्ष के लिये कहा। लेकिन अब मैं अपने लिये कहना चाहता हूं कि आज यह सरकार निरंकुश क्यों हो रही है। इसमें हमारा दोष है। इसके लिये हम ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी पद्धति देखें। क्या हमने उस परिपाटी को पालित किया? स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव जी भी हमारी इस राय के समर्थक थे कि विरोधी पक्ष के लोग किसी भी सरकारी कमेटी में न जायं। 'पार्लियामेंटरी प्रोसीजर इन इंडिया' श्री ए० आर० मुखर्जी द्वारा लिखा गया है—

"A question may arise whether an office to which no salary is attached but some honorarium or allowance is paid for the services rendered, e. g. chairmanship or membership of statutory committees, etc. other than the committees of the House, is an office of profit which would disqualify a member."

ब्रिटिश पार्लियामेंट में पार्लियामेन्ट का सदस्य यदि किसी सरकारी कमेटी में सेवा करता है तो उतना काफी है उसको सदस्यता से वंचित करने के लिये अर्थात् पार्लियामेन्ट का सदस्य सरकारी कमेटियों में नहीं जाता। मगर यहां केवल सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर अन्य लोग इन सरकारी कमेटियों में जा जा कर अपनी प्रगतिशीलता को कभी-कभी तिलांजलि देते हैं, सिद्धान्तों से कम्प्रोमाइज करते हैं। सिद्धान्तों से समझौते करते हैं .....

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, आज माननीय राजनारायण जी ने अपना भाषण शास्त्रों के उद्धरण से प्रारम्भ किया। बहुत अच्छा उपदेश था कि मधुर भाषण हो, शिष्ट व्यवहार हो। श्रीमन्, हम लोगों की ऐसी धारणा थी, कम से कम मेरी तो अवश्य थी कि भाषण का माधुर्य और व्यवहार की शिष्टता, यह एक मानव के लिये बड़ा उच्चतम अलंकार है।

(इस समय १ बजकर २८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री बेचन राम, गुप्त, पीठासीन हुए।)

यह भावना आज और भी पुष्ट हो गयी जब माननीय राजनारायण जी, नेता सोशलिस्ट पार्टी, के मखारविन्द से हमें यह उपदेश मिला। श्रीमन्, किताब लिखने वाले और विचारक बड़ी अजीब-अजीब बातें लिख गये हैं। बहुत दिन हुए, तब मैंने कहीं पढ़ा था, राजनारायण जी के संबंध में नहीं, और अंग्रेजी में चूंकि है तो कदाचित वह उन पर लागू भी न हो, उसमें लिखा था कि 'Oh, physician heel thyself' श्रीमन, ठीक कहते हैं राजनारायण जी कि पक्षपात छोड़कर इस सदन के सभासद विचार-विनिमय करें। इस बात

को अंगीकार करते हुए मैं आज माननीय नारायण दत्त जी तिवारी उप-नेता विरोधी दल, का सब से पहले अभिनन्दन करूंगा। जिस योग्यता से, जिस गंभीरता से और जिस सौम्यता से उन्होंने अपने विचार इस सदन के समक्ष रखे हैं वह प्रशंसनीय हैं और वह हमारे बधाई के पात्र हैं। विरोधी दल के उपनेता महोदय हमारी बधाई के और भी अधिक पात्र हो जाते हैं जब उनके भाषण का सूक्ष्म अध्ययन करने पर उसमें अन्तिम विश्लेषण से यह पता चलता है कि वह वस्तुतः वित्त मंत्री के इस बजट भाषण का प्रशंसा सूचक है। श्रीमन्, उन्होंने आरम्भ में ही भाषा, विषय, रचना, विचार-विन्यास इन सबकी प्रशंसा की है और मैं अत्यन्त नम्रता से उनके विचारों से अपने आप को सम्बद्ध करना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही कि यदि इस बजट भाषण में बहुत ही सुरभ और सुन्दर क्यारियां हैं तो मरुस्थल भी हैं और उन मरुस्थलों की ओर उन्होंने अत्यन्त योग्यता से ध्यान आकर्षित किया। श्रीमन्, मैं उनको और इस सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस दल, कांग्रेस दल के मंत्रिगण, मुख्य मंत्री महोदय और उच्च से उच्चतम व्यक्ति जिनके हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व है वे अनुभव करते हैं, उनको एक जिन्दा अहसास है, कि विकास योजनाओं में लगे हुए भी हमारे भारत और प्रदेश में हमारे परियोजनाओं में मरुस्थल हैं। श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से एक उद्धरण माननीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू, की बजट स्पीच, जो उन्होंने उत्तर देते हुए दी थी उसमें से आदरणीय सदन के समक्ष पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—

"The budget contains the dry bones of that drama, which I see, the drama of India, that drama which has been full of many things—high optimism, set-backs, brave endeavours, some triumphs, many obstacles and at the same time of a great determination to go along, whether we have to cross the deserts or the wilderness, so that we can ultimately, with all our people, reach the promised land.

There is no choice but to carry a heavy load of taxation and to spread it out as far as one can. Socialism.....".

माननीय नारायण दत्त जी का इस अगले वाक्य पर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय वक्ता ने जो कुछ भी अंग्रेजी में पढ़ा है, उसकी हिन्दी करने की कृपा करें।

श्री मदन मोहन—अभी मैंने समाप्त नहीं किया है। अगर न करता तो शिकायत करते।

"Socialism does not come and will not come so long as the country is poverty-stricken, so long as there is grinding poverty for every one".

उन्होंने कहा था कि जो बजट इस वक्त उपस्थित किया जा रहा है उसमें भारत के उस अभिनय को वह देख रहे हैं जिस अभिनय में सूखी हुई हड्डियों में दृश्य दिखाई दे रहा है। इस अभिनय में हमनें बहुत-सी चीजें देखीं। ऊंची आशाएं जो जन को उभारने वाली होती हैं, और वह असफलताएं जो पीछे खींचती हैं लेकिन उनके साथ-साथ महान वीरतायुक्त कोशिशें तथा प्रयास और कुछ सफलताएं हैं और अनेक अड़चनें, इन सब के होते हुए भी, इस अभिनय में भारत और प्रदेश के प्रजागण आगे बढ़ने के लिये कृत संकल्प है चाहे उन्हें रेगिस्तान से ही, जंगलों से ही क्यों न गुजरना पड़े लेकिन उसमें से गुजर जायगा जब तक कि हम उस उद्दिष्ट स्थान पर न पहुंच जायं जहां हमारी आशाएं पूरी होंगी। हमें इन करों को अपने ऊपर लादना

[श्री मदन मोहन]

ही पड़ेगा। इन करों के बोझों को लादना यों पड़ेगा कि सोशलिज्म यानी समाजवाद नहीं स्थापित हो सकता जब तक कि हमारे देश में लोग दरिद्रता से पीड़ित रहेंगे। जब तक यहां के व्यक्ति दरिद्र हैं तब तक सोशलिज्म की स्थापना की कल्पना व्यर्थ है। यह नेहरू जी ने कहा था। इस बजट को, श्रीमान, देखा जाय। माननीय नेता विरोधी दल इसके ऊपर ध्यान दें। अपने बजट भाषण में मंत्री महोदय ने एक शब्द भी इससे असम्बद्ध नहीं कहा। भाषण के पहले और चतुर्थ अनुच्छेद में वह देखें अंग्रेजी के—मैं समझता हूं माननीय देवनारायण जी इसकी जरूरत नहीं समझेंगे कि मैं इसका भी हिन्दी अनुवाद करूं, क्योंकि हिन्दी में भाषण सब के पास है—उसमें श्रीमन् देखें कि कितनी नम्रता है, कितनी व्याकुलता है और कितना एहसास है कि हम अपने ध्येय पर अभी नहीं पहुंचे हैं। मैं पहला अनुच्छेद पढ़ रहा हूं —

"The wider perspective of the series of our Five-Year Plans is to raise the standard of living of the common man by creating more employment opportunities, increasing production and ensuring its fair and equitable distribution. This is certainly a formidable task, (एक दुरूह कार्य है) particularly in view of the fact that when we set this objective for ourselves a few years ago, our levels of production and standards of living were indeed very low."

क्या यह संभव हो सकेगा कि ५ मिनट मुझे और दे दिये जायं ?

श्री अधिष्ठाता—अच्छी बात है।

श्री मदन मोहन—धन्यवाद। यह, श्रीमन्, आगे कहते हैं, इसे देखा जाय —

"The progress achieved so far, however, is definite evidence of the determination of our people to raise themselves to continued higher levels of material well-being and intellectual advancement."

श्रीमन्, आदरणीय तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस भाषा में नम्रता, व्याकुलता और असफलता की भान तीनों चीजें मिली हुई हैं। कहीं-कहीं हम अफसल हुए हैं और अन्त में जाकर जो माननीय नेहरू जी ने कहा था उसी के ऊपर बल दिया गया है कि—

".....definite evidence of the determination of our people to raise themselves to continued higher levels.....".

श्रीमन्, इसको देखते हुए जो माननीय नारायण दत्त जी ने कहा वह हमें स्वीकार है। एक बात और उन्होंने कहा कि तुम्हारा बजट असन्तुलित है और तुम कई वर्षों से यह तरीका अख्तियार किये हुए हो, कि कमी का बजट दिखलाकर नया कर आरोपित करते हो या पुराने करों को परिवर्द्धित करते हो। हम उनसे सहमत हैं कि कर अगर हम किसी भी समाज के ऊपर आरोपित करें या किसी कर में हम संवर्द्धन करें, तो करदाता को अधिकार है कि वह सरकार से यह आशा करे कि उसका प्रतिदान उसे मिले। हम उनसे सहमत हैं। लेकिन यहां पर इस आलोचना तक आकर माननीय नारायणदत्त जी रुक जाते हैं। मैं आपकी आज्ञा से इसके आगे की कड़ी इस आदरणीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। वह कड़ी यह है कि वित्त मंत्री तुम कर लगाओ तो उसका प्रतिदान दो, वरना नहीं लगा सकते। अब आगे की कड़ी यह है कि इस बजट में तुमने कोई कर नहीं बढ़ाया, इसमें कोई कर नहीं आरोपित किया। वित्त मन्त्री जी, यद्यपि प्रस्तुत बजट कमी का बजट है, तब भी पूर्ववर्ती बजटों का अनुकरण न करके कर नहीं लगाया है। अतः आप हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। यह मानना पड़ेगा कि यह माननीय तिवारी जी के तर्क का अनिवार्य परिणाम है जिसको उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नेता विरोधी दल के भाषण को देखा जाय, तो इस दृष्टि से, जैसा कि मैंने कहा, अन्तिम विश्लेषण में, जो कुछ उन्होंने कहा वह मंत्री जी के भाषण की प्रशंसा में ही कहा जा सकता है।

अन्त में श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। एक शिकायत यह थी कि 'लम्पसम' यानी एक-मुश्त तुम व्यवस्था अपने बजट में विकास कार्यों के लिये करते हो, और तुम्हारे बजट में हम यह देखते हैं कि कुछ पूरा कर पाते हो और कुछ नहीं कर पाते हो, और किसी मद में ज्यादा व्यय कर देते हो और किसी मद में कम व्यय कर देते हो। यह उनके आरोप हैं। अब, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम संसार के इतिहास में यह देखते हैं कि मानव के इतिहास के पृष्ठ मानव की अफसलता और सफलता के इतिहास हैं। अभी वर्तमान तिहास में यू० एस० ए० का उदाहरण आप के सामने प्रस्तुत करता हूं। श्रीमन्, राकेट के सम्बन्ध में उन्होंने बराबर प्रयोग किया। रूस को कैसे सफलता प्राप्त होती है, यह हमें विदित नहीं होता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में हमने यह देखा कि राकेट के सम्बन्ध में कई बार असफलता हुई। अब इसके दो परिणाम हो सकते थे—या तो राकेट के निर्माण में वह अधिकाधिक प्रयत्न करें और अधिकाधिक खर्च करें और खर्च करने के बाद सफलता प्राप्त करें या दूसरा तरीका यह कि उस राकेट में असफलताओं के कारणों का अन्वेषण हो और अन्वेषण के सम्बन्ध में योजना स्थगित की जाय। श्रीमन्, इसी प्रकार हमारी योजनायें बन रही हैं। बहुत-सी योजनायें ऐसी हैं जो असफल होती हैं, उनके ऊपर अधिक संलग्नता के साथ काम किया जाता है या दूसरी तरफ यह होता है कि उन प्रयोगों का, उन अनुभवों का हमें विश्लेषण करना पड़ता है, ताकि हम अपनी असफलता का अन्वेषण करें और अन्वेषण करके, फिर आगे बढ़ें। यह स्वाभाविक चीज है कि कहीं अधिकाधिक प्रयत्न करने के कारण किसी मद में अधिक व्यय हो अथवा किसी समय इसको स्थगित कर दें यह जानने के लिये कि क्या असफलता का कारण है और उस मद में कम व्यय हो। इन दोनों बातों में बजट थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त जरूर होता है। अगर इस प्रस्तुत बजट को देखें, तो, श्रीमन्, हमें यह वाक्य मिलता है जो आदरणीय वित्त मन्त्री ने इसमें स्पष्ट कह दिया है, वह पढ़कर मैं समाप्त करता हूं।

"As development proceeds, it inevitably creates a certain imbalance in the social and economic structure of the community which is reflected in the diversification of certain demands and intensification of certain others."

तो यह स्वाभाविक है कि हम चन्द योजनायें बनाते हैं। उनसे सम्बन्धित विभिन्न समस्यायें हमारे सामने आती हैं। कभी व्यय कम होता है और कभी व्यय अधिक होता है। इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखा जाय, तो आदरणीय नारायणदत्त तिवारी जी सहमत होंगे कि हम अपरिवर्तनीय (wooden) योजना नहीं बना सकते हैं। हमें ऐसी योजनायें बनानी पड़ेंगी जिनमें अधिक से अधिक गुंजायश कार्य करने की हो, विशेष कर जब कि हम पंचायतों और गांव सभाओं को इस सम्बन्ध में कार्य सम्पन्न करने का अधिकार दे रहे हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मौके पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

आय-व्यय के जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई जरूर दूंगा कि उन्होंने जनता की भावनाओं को महसूस किया और उस पर और नया कर नहीं लगाया। मेरे उधर के साथी कल इस बात पर बड़ी खुशी जाहिर कर रहे थे कि हमारा बजट ४० करोड़ से बढ़ कर १३३ करोड़ का हो गया है, यह देश के लिये सौभाग्य की बात है। इसमें शक नहीं कि जैसे-जैसे देश का बजट बड़ा होता जाता है वैसे-वैसे उसमें काम भी ज्यादा होता है और उससे खुशहाली भी ज्यादा होती है। श्रीमन्, मैं आपका और आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि जितना रुपया इन बजटों में खर्च करने के लिये रखा जाता है और जितने करों का बोझ जनता पर लादा गया है क्या हमें सफलता भी उसी के हिसाब से मिली है। मैं कहूंगा कि यह चीज दोनों तरफ के सदस्य मानेंगे कि सफलता उतनी नहीं मिली है। उधर के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि विरोधी पक्ष केवल बुराई ही बुराई देखता है,

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

भलाई नहीं खता । मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि जहां इतना रूपया खर्च हुआ है उसके मुकाबले में बहुत कम अच्छा कार्य हुआ है । उसके बारे में पहाड़ खोदा और चुहिया बरामद हुई वाली कहावत ही लागू हो सकती है । आज विकास योजनाओं में जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है उससे जितनी आशा की जाती थी उतनी सफलता नहीं मिली है । हमें इस पर विचार करना चाहिये । आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं कि जहां के लोग पानी पीने के लिये तरसते हैं....

श्री अधिष्ठाता---माननीय वीरेन्द्र शाह जी, या तो आप बैठें या फिर लाबी में चले जायं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---उनको शुद्ध पानी प्राप्त नहीं है । पिछले साल में बजट की बहस के समय माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने बतलाया था कि हरिजनों के लिये अगर १२ हजार कुवें और बनाये जायं तो उनके लिये पानी का इंतजाम हो जायगा । हरिजनों को छोड़िये, आज भी गांव के गांव ऐसे हैं कि जहां पीने के पानी के साधन नहीं हैं। उन क्षेत्रों में एन० ई० एस० ब्लाक्स खुले हुए हैं, लेकिन पीने का पानी उनको नहीं मिलता ।

आज करोड़ों रुपया अनाज ज्यादा पैदा करने के लिये खर्च किया जा रहा है और बड़े जोर से सरकार के बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, ग्राम सेवक और सेक्रेटरी आदि इसके लिये लगाये गये हैं । लेकिन हमें देखना है कि क्या सही मानों में सरकार चाहती है कि अनाज की पैदावार बढ़ाई जाय । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, और प्रत्यक्ष रूप से देहात में देखने के बाद कहना पड़ता है कि यह सरकार महज कागजों पर ही काम देखना चाहती है और असलियत में गल्ले की पैदावार में बढ़ोत्तरी नहीं चाहती । मैं इसके लिये थोड़ी-सी मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं । गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील एक ऐसी तहसील है कि जिसमें अगर थोड़ा सा रुपया खर्च कर दिया जाय तो हजारों एकड़ की फसल सूखे और बाढ़ से बचाई जा सकती है । जब से मैं यहां आया हूं मैंने बराबर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है, बार-बार कहा है कि चकदह के इलाके में केवल ५, ७ हजार रुपया लगाने की जरूरत है । वहां बांध बनाने से काफी फायदा हो सकता है । हजारों मन फसल बचाई जा सकती है, टेहड़ी के इलाके में १५, २० हजार रुपया लगा कर उससे हजारों एकड़ फसल बचायी जा सकती है, मझार में ४० व ५० हजार रुपया लगा कर लाखों रुपये की फसल बचाई जा सकती है । और उसको छोड़ दीजिये । माइनर इर्रीगेशन के अंदर लाखों रुपया बेकार खर्च होता है । उसके लिये मैंने बार-बार सुझाव दिया कि फरेंदा तहसील में छोटे-छोटे नाले ऐसे हैं कि जिन पर अगर फाटकदार पुल बना दिये जायं, जिनमें केवल १०, ५ हजार रुपया ही लगाने की गुंजायश है, इससे ज्यादा के वह नहीं है, तो अगर यह पुल बना दिये जायं तो सूखे के जमाने में उन फाटकों को बन्द करके खरीफ के सैकड़ों एकड़ खेत को सिंचाई का काम लिया जा सकता है और आवागमन के रास्ते भी उन के द्वारा बन सकते हैं और रबी की फसल की भी सिंचाई उनसे हो सकती है । इसके लिए मैंने ही नहीं, कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बी० डी० ओ० ने प्रस्ताव पास करके भेजा, लेकिन इस सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगी । तो मैं कैसे कहूं कि यह सरकार सही मानों में गल्ला बढ़ाना चाहती है या पैदावार ज्यादा करना चाहती है ? इतना ही नहीं, ४ साल पहले उस इलाके में सूखा पड़ा, धान की फसल सूख गयी, किसानों पर कर्ज का बोझ हो गया । अगले साल कुछ अच्छी पैदावार हुई तो सरकार ने आवागमन पर उस क्षेत्र में पाबन्दी लगा दी ताकि पैदा करने वाले को पैसा न मिले और खाने वालों को उतना ही मंहगा अनाज खरीदना पड़े । आज वहां ११ रुपया मन धान बिक रहा है जबकि जिले के दूसरे हिस्सों में जब वही धान जाता है तो १३-१४ रुपया मन बिकता है । यह क्यों बिकता है ? इसका कारण है कि जब तक किसान ४ जगह पूजा नहीं करते हैं, फी गाड़ी २-४ रुपया पुलिस को नहीं देते हैं तब तक वे ले जा नहीं सकते । नदी का बैन लगा है । एक नदी की १० नदियां सहायक हैं; किसानों को एक नाले को पार करके, पैसा देकर दूसरे को पार करने के लिए फिर पैसा देना पड़ता है । कदम-कदम पर काश्तकारों को पैसा देना पड़ता है । दुनियां भर का भ्रष्टाचार हो रहा है ।

ऐसा सुझाव दिया गया कि मंत्री जी एक ऐसा एरिया बनावें जिससे गल्ला जिले के बाहर न निकले, लेकिन उस जिले में हर जगह जा सके उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इस कन्ट्रोल से एक तरफ भ्रष्टाचार का बोल-बाला हुआ, दूसरी तरफ किसानों को अपने गल्ले का जो सही दाम मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और खाने वालों को भी गल्ला सस्ता नहीं मिला। उसे मंहगा इसलिए मिलता है कि उस पर इतना घूस देना पड़ता है कि मजबूरन गल्ला महंगा बेचते हैं। १७-१८ रुपये मन सरकार चावल खरीदती है और सूखा के जमाने में किसानों ने जो धान सरकार से बीज में लिया उसका दाम उनसे २० रुपये मन के हिसाब से लिया जा रहा है। क्या इसी से किसानों की भलाई हो सकती है? इसी तरह से किसान पनप सकते हैं? नहीं पनप सकते। अतः मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ता है कि यह सरकार जो कागज पर कुछ कहती है या जबान से कुछ कहती है, वह करती नहीं है। सिर्फ कहने के लिए सब कहा जा रहा है, करने के लिए नहीं।

मैं माननीय मंत्री जी को इस बारे में धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस साल लोलुपता की बात नहीं की है जो गत वर्षों में की जाती थी। १९५७-५८ में श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जब फायनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने बजट भाषणों में ऐलान किया था कि सरकार की मंशा यह है कि धीरे-धीरे करके पढ़ाई में लोगों को सहूलियतें दी जायं और मिडिल क्लास तक पढ़ाई में फीस माफ कर दी जाय। बड़ी खुशी हुई थी। एक छोटा सा सूबा इन्हीं का काश्मीर है; वहां बी० ए०, एम० ए० तक की फ्री पढ़ाई है। दूसरे देशों में भी फ्री पढ़ाई होती है, लेकिन हमारी क्या हालत है? पढ़ाई का खर्चा इतना बढ़ गया है कि मामूली आदमियों की बरदाश्त से बाहर हो रहा है। हमें खुशी थी कि पढ़ाई मिडिल तक फ्री हो जायगी, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जबसे दर्जा ६ की फीस माफ हुई उसके बाद कोई दर्जा नहीं बढ़ा, हालांकि आश्वासन दिया गया था कि दर्जा ७-८ तक एक-एक साल करके इसको माफ कर देंगे। पिछले साल मुझे तो यह भय होने लगा था माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाव से कि दर्जा ६ की जो फीस माफ हो गयी है वह भी लेने लगेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सदन इसका काफी विरोध कर रहा है तो उन्होंने वैसे ही रहने दिया। मैं सरकार से यह भी मोतालबा करूंगा कि उसे यह सारा रुपया खर्च करने के पहले ध्यान करना पड़ेगा कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा आवे। और यदि शिक्षा नहीं आयेगी तो जितना भी रुपया हम विकास पर देंगे उसका सदुपयोग नहीं हो सकेगा। जो कुछ भी रुपया जा रहा है उसमें से ६५ परसेंट रुपया तो सरकारी नौकरियों पर खर्च हो रहा है। जो ३५ परसेंट बचा है उसमें से ज्यादातर भ्रष्टाचार में जा रहा है। बहुत थोड़ा पैसा है जो निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। उस पैसे से भी वही लोग फायदा उठाते हैं जिनके पास बुद्धि है, पैसा है, ताल्लुकात हैं। गरीबों तक यह पैसा बिलकुल नहीं पहुंचता।

श्रीमन्, मैं पैसे के जादू को क्या कहूं? पैसे से लोग इस सरकार के फैसले को रुकवाये हुए हैं। नेता सोशलिस्ट पार्टी, श्री राजनारायण जी ने, अभी बतलाया है इशारतन कि कमिश्नर का एक फैसला है एक मकान के सम्बन्ध में—वह भी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, बल्कि एक संस्था के लिए, मकान कन्ट्रोलर ने सत्याश्रम को एलाट किया ट्रेस पासर ने अपील की कमिश्नर ने ट्रेस पासर मान कर उसको हरा दिया। उसके बाद जिसके खिलाफ डिग्री हुई थी उसने गवर्नमेंट को अपील की। अपील से भी फैसला हो गया। सन् ५७ में फैसला हुआ और उसके बाद से अब तक वह ट्रेसपासर नहीं हटाया गया। उसका मकान मालिक करोड़ पति है, इलैक्शन में हजारों रुपये देता है, मिनिस्टरों से उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिये वह कब्जा किये बैठा है। पुलिस से उसको खाली कराने के आदेश जारी होते हैं, लेकिन फिर भी वह मकान उस संस्था को नहीं मिलता है और इसके कारण उस संस्था को ४५ हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उसको दियासलाई का कारखाना खोलने के लिये रुपया मिला था, लेकिन यह सोचने की बात है कि अपने स्वार्थ के कारण उसको वह मकान नहीं मिलने दिया गया। अगर वह कारखाना उसमें कायम कर सकता, तो आज न जाने कितने बेरोजगार आदमियों को उसमें रोजगार मिल गया होता, उससे कितने ही आदमियों का पेट भरता।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

श्रीमन्, मैं जनता की गाढ़ी कमाई का जिक्र कर रहा था...

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किस केस के बारे में कहा जा रहा है, उनके भाषण से कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसको जरा माननीय सदस्य स्पष्ट तो करें।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य इसको जरा स्पष्ट कर दें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—एक सत्याश्रम है, श्रीमन्, उसके लिये ४५ हजार रुपया सिलाई का कारखाना खोलने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से स्वीकार हुआ था। हाउस कन्ट्रोलर ने डिग्री दी, उसके बाद कमिश्नर साहब के यहां से डिग्री हुई, उसके बाद गवर्नमेंट के यहां अपील हुई। मेरा खयाल है कि जो माननीय मंत्री सिविल सप्लाई के हैं उनको एक चिट्ठी भी इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष जी ने लिखी है। लेकिन अफसोस है कि मंत्री जी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने उनको एक खत लिखा। वह खत मेरे पास है, अगर आप आज्ञा दें तो उसे पढ़ सकता हूं.....

श्री जगमोहन सिंह नेगी—आप तो दियासलाई के कारखाने की बात कर रहे थे। जब आपने दियासलाई के कारखाने का नाम लिया तो मुझे ताज्जुब हुआ। वैसे सत्याश्रम का तो मुझे पता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—वह चिट्ठी मेरे पास है, मैं उसे दिखा सकता हूं। इसके अलावा श्रीमन्, जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई के रुपयों का, जो इस बजट के द्वारा खर्च किया जाता है नाजायज तरीके से खर्च होता है उसका मैं जिक्र कर रहा था। उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के अन्दर आज से नहीं, शुरू से ही जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरह से रुपया बरबाद किया जा रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। सन् १९५२ में एक बार उसमें आग लगी थी उसके स्टोर में, तो उस समय ४५ हजार का सामान जल गया था। उसके बाद डाइरेक्टर महोदय ने यह आश्वासन दिया कमेटी को कि.....

श्री अधिष्ठाता—कितने का सामान जला ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी—४५ हजार का। तो मैं यह कह रहा था कि कमेटी को यह बताया गया कि यह आग वायरिंग की वजह से लगी है। फिर उसके बाद सन् १९५८ में प्रश्नों के समय माननीय मंत्री जी ने मुझे यह जवाब दिया कि इस साल हजरतगंज के शोरूम में जो आग लगी है उसकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति पर नहीं है क्योंकि वह आग बिजली के तारों के कारण लगी थी। श्रीमन्, अक्टूबर में आग लगी थी, सितम्बर के महीने में वहां के असिस्टेन्ट मैनेजर ने अपने मैनेजर को लिखा था कि तार खराब हैं और आग लगने का अन्देशा है। लेकिन उसके लिखने पर भी वहां के स्पेशल मैनेजर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और बीस हजार रुपयों का नुकसान फिर आग से हो गया। सरकार ने उनसे यह पूछा तक नहीं कि जब तुम्हारे मातहत अफसरों ने पहले से यह लिखा था कि वहां के तार खराब हैं तो तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। आज अगर देखा जाय तो वहां के सभी शोरूमों में गबन और भ्रष्टाचार है।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया।

कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी (जिला इलाहाबाद)—मान्यवर, मैं १९६०-६१ के बजट का स्वागत करने के लिये खड़ी हुई हूं। चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था इसलिये इसमें हम किसी विशेष क्रान्ति की उम्मीद नहीं करते थे। इसमें हम केवल इतनी ही आशा करते थे कि पिछले समय में जो हमारी असफलतायें रही हैं उनको दृष्टिकोण में रख कर आवश्यक तब्दीलियां करके आगे बढ़ सकें। सबसे पहले मुझे यह विश्वास दिलाना है कि यह एक बैलेन्स्ड बजट है। इसमें ३६८ करोड़ रुपये के हमारे असेट्स हैं जो कि हमको मिलने हैं

और जो हमको देना है उसकी रकम २८४ करोड़ रुपया है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि हमारी आर्थिक अवस्था भी मजबूत है।

इसके बाद मुझे माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के गम्भीर और नम्र शब्दों में किये गये भाषण पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। उनके अलावा अन्य सदस्यों ने भी जिक्र किया कि पिछले वर्ष में हमारा कैपिटल एक्सपेंडीचर ३२ करोड़ था और इस वर्ष २६ करोड़ है, यह घटता क्यों चला जा रहा है जिससे आमदनी की उम्मीद कम होती है। अगर वह वास्तव में देखने का कष्ट करते तो मालूम होता कि ऐसा क्यों हुआ है। वास्तव में १९५९-६० के बजट में जो रुपया था उसमें एलेक्ट्रिसिटी का रुपया भी शामिल था जो लगभग ५ करोड़ रुपया होता है लेकिन इस वर्ष में एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग से बनाया गया है और वह रुपया निकाल कर अलग से उस बोर्ड को लोन के रूप में दे दिया गया है। इस तरह से २६ करोड़ में ५ करोड़ शामिल करने पर ३१ करोड़ हो जाते हैं। दूसरे यह कि पिछले साल साढ़े चार करोड़ रुपया जो स्टेट ट्रेडिंग के लिये रखना पड़ा वह इस साल अन्न का भाव संतुलित होने के कारण नहीं रखा गया है। तो इस तरह से साढ़े चार करोड़ भी जोड़ कर साढ़े पैंतीस करोड़ रुपया हो जाता है।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहती हूं कि अक्सर लोग यह भूल किया करते हैं कि वह इस स्टेट को सोशलिस्टिक स्टेट मानकर बात किया करते हैं। दरअसल यह स्टेट सोशलिस्टिक स्टेट नहीं है बल्कि यह सोशलिस्टिक पैटर्न स्टेट है जिसमें न केवल पब्लिक मनी ही लगता है बल्कि प्राइवेट मनी भी लगता है। इसलिये हमारा कैपिटल ज्यादा है या कम, यह बात तभी मालूम हो सकती है जबकि यह मालूम किया जाय कि प्राइवेट मनी कितना लगा हुआ है। मैं माननीय तिवारी जी को बता देना चाहती हूं कि वह अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें मालूम होगा कि हमारा कैपिटल पहले से बढ़ा है। बजट की सफलता का अनुमान हम रोज की तरक्की को देख कर ही लगा सकते हैं कि आया सफलता हुई या नहीं। हम देखते हैं कि पाठशालायें बढ़ी हैं, सड़कें बढ़ी हैं, अस्पताल बढ़े हैं यद्यपि मेरी कांस्टीटुएन्सी में किसी प्रकार का कोई भी अस्पताल इन बारह वर्षों में नहीं बना।

एक सदस्य—वहां कोई बीमार नहीं पड़ता होगा।

कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी—यह अच्छी बात है कि कोई बीमार न पड़े। "Laws of Nature are the same everywhere and breakers of them are also everywhere". वास्तव में हमारे यहां आयुर्वेदिक या किसी तरह का कोई अस्पताल नहीं बढ़ा।

इसके अलावा मैं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में एक सराहनीय बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उन्होंने घोषणा की कि बख्शी के तालाब में पशु की खाल उतारने, पशु शव का प्रयोग करने, चमड़ा कमाने और जूते बनाने के केन्द्र का कार्य सन् १९६० से शुरू हो गया है। इसका भविष्य कितना उज्ज्वल है, यह वही समझ सकते हैं जो यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश से लाखों रुपये का कच्चा चमड़ा बाहर चला जाता था।

जब इसका यहां प्रयोग होगा तो हम को कितना लाभ होगा, यह भविष्य ही स्वयं बता देगा। उद्योग मन्त्री जी यहां हैं नहीं, अगर होते तो मैं उनसे कहती कि ट्रेनीज को ट्रेनिंग हाईली मेकैनाइज्ड मशीनों से न देकर साधारण मशीनों से देनी चाहिए ताकि वहां के सीखे लोग बेकारी के चक्कर में न पड़कर अपना काम शुरू कर सकें। दाखले के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी इलाकों के लोग आवें और हरिजन भाइयों को तरजीह मिलनी चाहिए।

मैं नम्रता के साथ एक चीज रखना चाहती हूं। सब जानते हैं कि यह कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी बजट है। लेकिन मैं एक नुक्ते निगाह से देखा करती हूं कि ये हैं क्या। कुछ ऐसे अभागे कुटुम्ब हैं जिनका इन में कोई स्थान नहीं है। वे अभागी बहनें या स्त्रियां हैं जो विधवा हैं और कई-कई बच्चों के साथ हैं। यह निश्चय बात है कि वे सारे दिन काम करके भी पूरी रोजी नहीं कमा सकती हैं। इस से भी ज्यादा भयंकर हालत उस औरत की है जिस के पास कई बच्चे खाने के लिए हैं और पति किसी भयंकर रोग में पड़ा हुआ है।

(इस समय २ बज कर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

[कुमारी कमल कुमारी गोईंदी]

तीसरी वे बहनें हैं जिनको हम छोटी जाति की कहते हैं और जिनका पति अपनी पूरी मजदूरी के पैसे से शराब पीकर जूता लेकर उनके सिर पर खड़ा हो जाता है कि खाना दो। मैं उम्मीद करती थी कि जहां ७० वर्ष के बूढ़े आदमी के लिए हमारे प्रदेश में प्रबन्ध किया गया है वहां इन अभागी बहनों के लिए भी कुछ होना चाहिए था। मैं अपने क्षेत्र की बहुत सी मिसालें दे सकती हूं। मैं एक बार पैदल जा रही थी तो देखा कि एक आदमी बीमार पड़ा हुआ था अपनी झोपड़ी के बाहर। पड़ोस के लोगों ने बताया कि इसे टी० बी० है और बहुत प्रयत्न करने पर भी इसे कहीं जगह नहीं मिली। उसकी बीबी तो शायद खाने के लिए अनाज लेने को गयी हुई थी, और छोटे छोटे बच्चे वहां से एकाध मील की दूरी पर दो, चार पैसे की मजदूरी के लिए ईंटों के भट्टे पर काम करने गये हुये थे। लौटते में मैंने वह आदमी मरा हुआ पाया। अब विधवा बहन की हालत आप सोच ही सकते हैं जो निस्सहाय हो। इस प्रदेश में ऐसी फेमिलीज ३, ४ लाख के करीब होंगी, जिनमें लगभग १५, २० लाख व्यक्ति होंगे, जिनके ऊपर इतना कष्ट है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेकर देखें तो इतनी ही लगभग मिलेंगी। ऐसा मेरा अन्दाज है। इसके बजट के लिए तरीका भी मैं बहुत ही आसानी के साथ बता सकती हूं। हमारे शैल्टर होम जो सोशल वेलफेयर में खुलते हैं, उसका मतलब इतना ही होता है कि अभागी बहनों को लेकर परमानेंट हाउस में देहरादून या लखनऊ भेज दें। इलाहाबाद में एक शेल्टर होम है। केवल ३, ४ औरतें उसमें हैं। फिलैंथ्रोपिकसोसाइटियां, जैसे आर्य समाज, इत्यादि, वहां उन्हें ट्रान्सफर कर सकती हैं। उन्हीं सोसाइटियों को अगर थोड़ी सी मदद देकर उन से काम लिया जाय तो उनके सेवक ही उन बहनों को पहुंचा सकते हैं। उसका बजट ९,००० रुपये है। उसे तजुर्बे के लिए मुझे दे दीजिये और कोई भी क्षेत्र दे दीजिये। मैं १२० रुपये सालाना यानी १० रुपये मासिक फी फेमिली देकर उनका स्तर उठा सकती हूं। मैं चाहती हूं कि उनको चर्खा, सीने की मशीन और होजियरी की मशीनें आदि दी जावें। जब मैं जाती हूं तो माननीय मन्त्री जी मदद दे दिया करते हैं लेकिन यह उदारता पूरे प्रदेश के लिए बजट में कर दें तो उनकी मैं बहुत आभारी हूंगी।

प्राहिबिशन का मैं कुछ जिक्र करना चाहती हूं। उसके लिए कुछ वर्षों से कोई कदम आगे बढ़ा ही नहीं है जबकि लाभ केवल ३ करोड़ का है और हानि बेहद है। उसका वर्णन करते-करते रात बीत जाय। माननीय तिवारी जी के साथ मैं नहीं मानती कि टैक्स बढ़ा कर इसे रोका जाय। मैं तो चाहती हूं कि इसे टोटली अबालिश कर दिया जाय।

समय कम है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी अपनी बात समाप्त करती हूं। इर्रीगेशन में गूलों की बात कही गयी। उसके लिए भूमि एक्वायर करने के कानून में संशोधन होना चाहिए। वहां के एग्जीक्यूटिव आफिसर या इन्जीनियर को ही अधिकार होना चाहिए कि जहां से आवश्यक हो खेती के काम के लिए वह गूल निकाल कर ले जांय। नहीं तो यह धन रखा ही रह जाय।

जाते-जाते अवस्थी जी के लिए एक बात मैं कहना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि सिंचाई वालों का कलेक्शन किस तरह से कम है। जब सूखा पड़ता है तो वह छूट के लिए कहते हैं और यहां आकर कहते हैं कि कलेक्शन कम कैसे हो गया। मैं केवल इतना ही उनसे नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि यह छूट के कारण कमी हुई है, न कि पानी कम देने के कारण। हम भी चाहते थे कि जहां-जहां सूखा पड़ा हो वहां-वहां छूट दी जाय। इसको सरकार ने स्वीकार किया। इसके लिए हमें सरकार को धन्यवाद देना ही चाहिए कि उसने हमारी आवाज को किसानों को सहायता देने के रूप में बदल दिया। इसलिए बजाय इसके कि हमें इसकी शिकायत हो, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

कहा गया कि घाटे का बजट सरप्लस हो जाता है। यह तो हमारा एक गुण है। बनाते समय हम इतनी होशियारी से बनायें कि किसी काम के लिए कमी न हो जाय और उसको इस्तेमाल करने के समय इतनी होशियारी से खर्च करें कि एक पैसा भी ज्यादा खर्च न हो जाय और उसमें

से कुछ बच जाय। घर के खर्चे में ही देख लीजिये। शादी विवाह में जब हम खर्चा रखते हैं और जब उसको खर्च करते हैं तो उसमें इस बात का खयाल रखते हैं कि किसी मुसीबत के लिए कुछ बच जाय और बेजा खर्चा न हो जाय। इसलिए यह तो एक गुड साइन है। इसके बजाय कि आप यह बतायें कि इतना सरप्लस हुआ, आप यह बता दें कि इतने प्रतिशत हुआ, तो उसमें थोड़ा तथ्य आ जायगा और बात जरा साफ हो जायगी।

अन्त में माननीय मन्त्री जी को मैं बापू के शब्दों का ध्यान दिलाना चाहती हूं। बापू जी के लिए तो स्वराज्य "Village self-sufficiency on the basis of universalization of Khadi and prohibition" के बिना स्वराज्य नहीं था।

इन तीन बातों पर जोर देते हुए मैं माननीय मन्त्री जी को उनके बजट का समर्थन करते हुये, फिर से धन्यवाद देती हूं और यह बताना चाहती हूं कि हमारी लाएबिलिटीज २८४ करोड़ और असेट्स ३६८ करोड़ है, इस लिए हमें खतरे की कोई बात नहीं है। फिर भी मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगी कि जो भी गलती हो उसकी ओर ध्यान दिला दें ताकि आगे को सुधार हो सके।

श्री रघुवीर सिंह (जिला इटावा)----माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मन्त्री जी के बजट भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने घोषणा की कि आज तक जो प्रगति हमने की है उससे स्पष्ट है कि हम और हमारा प्रान्त आर्थिक और बौद्धिक क्षेत्र में कितना अग्रसर हुआ है। लेकिन, श्रीमन्, मुझे खेद है कि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने प्रतिशत हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अग्रसर हो चुके हैं और आगे कितने हो सकेंगे और यह कि यह उत्थान सरकार के किन-किन कार्यकलापों के अधीन हुआ है। जहां तक मेरा अपना खयाल है, हमारे प्रान्त में अधिक से अधिक ५ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको विकसित कहा जा सकता है। उनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो स्वावलम्बी हैं और कुछ ऐसे हैं जो सरकारी कार्यकलापों से नहीं बल्कि अपने आप उन्होंने अपना उत्थान किया है। अब केवल ५ प्रतिशत आदमियों का उत्थान प्रान्त का उत्थान नहीं कहा जा सकता। मानलीजिये यह जंजीर जो सामने लटकी हुई है, अगर इसमें १०० कड़ी हैं जिनमें ५ कड़ी बहुत ही मजबूत हैं और ९५ बहुत कमजोर हैं। लेकिन इस जंजीर की मजबूती का जो माप-दण्ड होगा वह सब से कमजोर कड़ी होगी, उससे ही शक्ति का अन्दाजा लगाया जायगा। यह नहीं है कि ५ बहुत ही मजबूत हैं तो उनका मिश्रण करके हम कह दें कि हमारी जंजीर मजबूत है। इसलिए सरकार को यह जानना चाहिए कि हमारे प्रदेश की स्थिति आज क्या है। हमारे मन्त्री महोदय को यह ज्ञात नहीं है कि हमारे देहाती क्षेत्रों में क्या हो रहा है। उन्होंने खुद अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए यह कहा कि हमारे प्रदेश की अधिकतम जनता कृषि के ऊपर अपना जीवनयापन करती है। इस बात को जानते हुये भी माननीय मन्त्री महोदय ने ऐसा खयाल नहीं किया कि हमारा कितना विकास हुआ है।

आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री महोदय से या अपनी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कृषि का कितना उत्पादन बढ़ाया, उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र को कितना बढ़ाया और उन्होंने उद्योग धंधों के उत्पादन को कितना बढ़ाया। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनका आपस में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक खेती कभी अग्रसर नहीं हो सकती। चाहे आप फर्टिलाइजर डालें या कुछ भी डालें, इससे दिन पर दिन खेतों में कमजोरी बढ़ेगी। हां, मैं मानता हूं कि हरी खाद, पशुओं के गोबर और सिंचाई से खेती का उत्थान हो सकता है, लेकिन सरकार इतना हमको बतला दे कि उसने कृषि की तरक्की के लिए इनमें से कौन-कौन से साधन जुटाये? मान्यवर, हमारे यहां केवल २९ फीसदी जमीन ही सिंचाई के नीचे अभी तक आ सकी है; और उसमें से १४ फीसदी जमीन ऐसी है जिसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है और १५ फीसदी भूमि ऐसी है जिसको काश्तकारों ने स्वयं अपने साधनों से सिंचित बनाया है। तो सरकार को इस बात को कहने में लज्जा आनी चाहिए, जब कि १४ फी सदी जमीन ही सरकार के द्वारा सींची जा रही है। किसी भी सरकार के लिए यह शोभा की बात नहीं है कि वह इस तरह के

श्री रघुवीर सिंह]

कारनामों पर देश और प्रदेश के विकास का दावा करे। वह भी क्यों? सरकार स्वयं इस बात को मानती है कि इस समय हमारे प्रदेश की ८५ फी सदी जनता ग्रामों में रहती है और उनके जीवनयापन का एकमात्र सहारा खेती है। और तब भी खेती का उत्थान नहीं हो सका है। इसका अर्थ यह है कि ८५ फीसदी जनता का उत्थान नहीं हुआ है तो प्रदेश का भी उत्थान नहीं हो सका है। अब कोई अपने हाथ से ही अपनी पीठ को थपथपायें तो दूसरी बात है, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे मालूम हो सके कि हमारा प्रदेश उत्थान की ओर अग्रसर हुआ है।

हमारे लिए आवश्यक है कि हम खेती पर ही ज्यादा जोर दें और उसके बाद ही दूसरे उद्योग आदि की तथा शिक्षा की बात करें क्योंकि बिना खाये कोई श्रमिक काम नहीं कर सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि खेती हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और अगर खेती का उत्पादन बढ़ेगा तो उद्योग भी अपने आप बढ़ेंगे क्योंकि खेती का उत्पादन बढ़ने से हमारे यहां की ८५ फी सदी जनता की क्रय-शक्ति बढ़ेगी। जब तक क्रय-शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक आप चाहे अपने उद्योग धंधों के द्वारा कितना भी सामान तैयार करें, उसकी खपत नहीं हो सकेगी। जब उसको खरीदने वाला ही अपने यहां कोई नहीं होगा तो फिर वे उद्योग आगे बढ़ भी कैसे सकेंगे? ऐसी हालत में तो वे सारे उद्योग अपने आप ही चौपट हो जायेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमको सबसे पहले खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए और उसके बाद जो दूसरे उद्योग धंधे हैं वह तो अपने आप ही बढ़ जायेंगे। कोई भी श्रमिक भूखा पेट रहकर काम तो कर नहीं सकता और उसे भी खाना तथा और चीजें खरीदनी होंगी। इस तरह से यह स्पष्ट है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि खेती हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है जिसके द्वारा यहां की ८५ फी सदी जनता अपना जीवनयापन करती है, इसलिए खेती को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। नेहरू जी का भी यही कहना है। श्रीमन्, मन्त्री महोदय ने आगे यह भी कहा है कि जैसे-जैसे प्रगति होती है सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में कुछ असन्तुलन भी बढ़ता जाता है और उस असन्तुलन को नजरअन्दाज करके उसे दूर न किया जाय तथा कुछ खास क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जाने लगे तो उससे गड़बड़ी पैदा हो जाती है और फिलहाल जो मुख्य उद्देश्य होता है उस की पूर्ति में विलम्ब हो जाता है। मुझे खेद है कि इस बात को जानते हुये भी माननीय मन्त्री महोदय ने इस ओर कोई प्रयास नहीं किया है। क्या इस बजट को असन्तुलित बजट नहीं कहा जा सकता है?

श्रीमन्, अब मुझे यह कहना है कि इस सरकार का यह बजट केवल असंतुलित ही नहीं है बल्कि दोषपूर्ण भी है। सरकार की नीति ही दोषपूर्ण है और वह इसलिए कि सरकार ने अब तक जो कुछ बजट में व्यवस्था की है या सरकार के द्वारा जिन नीतियों का संचालन हुआ है उससे साफ जाहिर है कि सरकार की नागरिक और ग्रामीण नीतियां अलग-अलग हैं। क्या सरकार ने नागरिकों की भांति ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी कभी कोई कृषि के लिए अनुदान दिया है? कर्जा गांवों को देते हैं तो वह शहरों में भी मिलता है, लेकिन अनुदान कृषि आदि का गांवों के लिए कोई नहीं मिलता। दूसरे नगरों में हाउसिंग कमेटियां बनीं जिनके द्वारा मकान बनते हैं तो क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी कोई इस प्रकार की व्यवस्था हुई? तीसरी बात यह है कि इसी तरह से शिक्षा-सुरक्षा आदि पर बराबर शहरों में सरकार खर्च करती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कभी इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि गांवों के प्रति सरकार की अन्यायपूर्ण नीति क्यों है।

एक बात और देखने में आयी है कि सरकार ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है इस की नयी मदों को मैंने देखा कि बजट का कोई बटवारा जिला स्तर पर नहीं है। हमारे एटा जिले का नयी मदों में कहीं नाम ही नहीं है। क्या यह दोष की बात नहीं है? क्यों सरकार ने ऐसा किया? क्या हमारा एटा जिला पूर्णतः विकसित हो चुका? क्या वहां कोई कहने वाला नहीं है, क्या बात है कि न वहां कोई शिक्षा का काम, न कृषि में, न सिंचाई में और न बिजली में ही कोई पैसा दिया

गया है ? (एक आवाज: एक डिप्टी मिनिस्टर तो मिल गया आप को) एक डिप्टी मिनिस्टर के मिलने से क्या पूरे जिले का विकास हो गया ? हमारे जिले में बहुत से छोटे-छोटे उद्योगों की योजनायें थीं जिन को अगर किया जाता तो बहुत कुछ उन्नति हो सकती थी। हमारे जलेसर कस्बे की आबादी १६,००० की है, म्युनिसिपैलिटी और तहसील वहां पर है; वहां पीतल और कलमी शोरे का काम बहुत होता है, फूल के बर्तन और गुलाबजल बनाने का काम वहां कुटीर उद्योग के रूप में होता है, उसके लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

बराबर मैं २ साल से कह रहा हूं कि वहां बिजली आदि का प्रबन्ध किया जाय, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। खेद है कि चिराग के नीचे ही अंधेरा है, मारहरा में पावर हाउस होते हुये भी न वहां रोशनी का इन्तजाम है और न कुटीर उद्योगों के लिए बिजली दी गयी है। हमारे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने एक प्रस्ताव भी भेजा है कि लट्ठों का व्यय हम दे देंगे लेकिन २ साल से कोई व्यवस्था नहीं की गयी और न जाने क्यों वहां के ठेकेदार महोदय की बात सरकार मानती है।

इसके अलावा हमारे जिले के आवागढ़ और जलेसर क्षेत्रों में साधन सहकारी समितियां कायम हुई हैं। कुछ पुरानी, कुछ नयी, 'कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा'। उनका विशेष काम कर्जा बांटना है। अगर किसी आदमी की हैसियत के अनुसार उसे २०० रुपया मिल सकता है तो उसे एक चौथाई का तो खाद ही लेना पड़ता है चाहे उसमें पुराना कूड़ा-करकट कुछ भी हो और बाकी तीन चौथाई रुपया देते हैं। मुझे जब भी यह बात मालूम हुई मैंने बी० डी० ओ० से कहा, डी० एम० से कहा कि यह खाद का कोई समय है जो आप चौथाई खाद देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ऐसे आदेश हैं। मैंने उन से कहा कि यह खाद देने का कोई समय नहीं है। उन्होंने कहा था कि टाप ड्रेसिंग की जायगी। लेकिन टाप ड्रेसिंग कब की जाती है ? जब दो-दो और ढाई-ढाई फुट का गेहूं और जौ खड़ा है अगर उस समय अमोनियम सलफेट डाली जायगी तो वह आधी नीचे गिरेगी और आधी ऊपर रह जायगी और बाली को जला देगी। जो नीचे जायेगी उससे उस की पकावट में नुकसान होगा और दाना पतला हो जायगा। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि समय के अनुसार काम किया जाय तो अच्छा होता है। बिना समय के किया जाय तो वह बेकार है। इसी प्रकार साधन समितियों द्वारा और बातें भी होती हैं। कुछ लोग इकट्ठे होकर अपना कुछ प्रस्ताव पास कर लेते हैं और उसके जरिये मनमानी करते हैं।

मार्केटिंग सोसाइटी की बात भी मुझे कहनी है। एटा जिले के बारे में मुझे मालूम है दूसरे जिलों में भी ऐसा ही होता होगा। जितना गल्ला सुबह से शाम तक तौला जाता है और शाम को जब बोरों में भरा जाता है तो मैं कोई निश्चित आंकड़े तो नहीं दे सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसमें बहुत बड़ी बढ़ोत्तरी होती है और उसका बटवारा करने में कर्मचारी वर्ग में झगड़े तक होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां यह कहा जाता है कि किसान को बनिये लूटते हैं तो बनिये तो नमस्ते करके लूटते हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी तमाचा मार कर लूटते हैं। सेठ आदमी कुछ बिनती करके लूटता है। तोल में अन्तर होता है तो झगड़ भी लेते हैं, कहते हैं कि दुबारा तोलो। लेकिन आज सरकारी कर्मचारी से नहीं कह सकते कि दुबारा तोलो। और भी कठिनाई है। अगर कोई खास उनसे जानकारी हुई तो गल्ला फौरन तुल जाता है अन्यथा बैल और गाड़ी सुबह की आयी हुई शाम तक रहती है और बड़ी परेशानी होती है। फिर दुबारा तुलाने की बात तो क्या कही जाय, वह यही चाहते हैं कि किसी तरह से तुले और हम घर को जायं।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त।

***श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह कुछ थोड़ा सा समय मुझे अधिक दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि आजादी के बाद इस देश में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मेरा खयाल यह है कि इतनी धनराशि व्यय करने के बाद देश में पर्याप्त कार्य हुये हैं। मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं करता कि हमारे मन्त्रिगण गरीबी को मिटाने की उच्चतम प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य नहीं करते। मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं करता कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं, वे सब बेईमान हैं और अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने विरोधी पक्ष के भाषणों को सुना। मुझे खुशी है कि तिवारी जी ने एक अच्छा भाषण दिया और खासतौर से अंकों के सम्बन्ध में कुछ नई बातें हमारे सामने रखीं। मैं विरोधी पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि वह शान्ति से मेरी बात को सुनें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हम एक एक्सपैंडिंग इकोनोमी, जो कि परिवर्तित हो रही है, जिसका विकास हो रहा है उसमें से होकर गुजर रहे हैं और इस देश में अहिंसा के मार्ग से महान् क्रान्ति हो रही है जिसके कारण हो सकता है कि कुछ लोगों को महान् पीड़ा भी हो रही हो। आर्थिक परिवर्तनों में, जिन अंगों के निहित हित थे, सम्भव है कि उन लोगों को पीड़ा हो सकती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश में महान् क्रान्ति करना चाहते हैं और जिन देशों की तरफ़ उनकी निगाहें हैं जरा उन देशों में जो विकास हुआ है या हो रहा है उसकी तरफ भी नजर डालें कि उसके पीछे कैसी-कैसी बातें छिपी थीं। आज उन्हीं देशों की रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहता हूं कि वहां सैकड़ों लोग समय-समय पर गोली के शिकार हुए। तो हमने एक रास्ता अख्तियार किया जो केन्द्रीयकरण या रेजीमेंन्टेशन का नहीं था बल्कि ऐसा रास्ता है जिसमें हर आदमी को स्वतन्त्रता है। विश्व के बड़े-बड़े लोगों ने स्वीकार किया है कि इस देश में जो स्वतंत्रता है वह शायद अन्य विकसित देशों में भी नहीं है।

लेकिन मैं मंत्रिपक्ष से कहना चाहता हूं कि मैं आज तक इस बात को नहीं समझ सका कि एक नारा हमारे देश में लगता है, वह अमेरिका में भी लगा, रशा में भी लगा कि हमारी प्लानिंग होनी चाहिये। और उसका स्तर क्या होना चाहिये? स्तर यह होना चाहिये कि हम रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करें। मैं कहता हूं कि इसमें हमको संशोधन करना पड़ेगा; जिस महान् व्यक्ति के पीछे हमने चलने का प्रयत्न किया उसकी निगाह से हमें अपनी आर्थिक नीति को परिवर्तित करना पड़ेगा; प्लानिंग में यह परिवर्तन करना पड़ेगा कि पहले हम मिनिमम स्टेन्डर्ड आफ लिविंग के लक्ष को लेकर चलें, हाई स्टैन्डर्ड आफ लिविंग की बात बाद में सोचें। अमेरिका भी आज यही कहता है जहां प्रत्येक आदमी के पीछे मोटर है और टेलीफोन है, वे भी कहते हैं कि हमको जीवन का स्तर ऊंचा करना है। तो हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम इस देश में एक मिनिमम स्टैंडर्ड पैदा करें और इस स्टैंडर्ड से जब हम सारी प्लानिंग को कसते हैं और जब हम अपनी बजट की योजनाओं को देखते हैं तो मुझे निराशा होती है। मेरा कहना यह है कि आज इस देश की कृषि और इंडस्ट्री के पीछे जो शक्ति है वह है इलेक्ट्रिफिकेशन। हमने इस सम्बन्ध में बहुत किया लेकिन हम असफल रहे। मुझे खेद है कि जो उत्पादन और जन-संख्या की वृद्धि हो रही है उसके अनुमान से इस देश में कृषि के परिणाम इतने अच्छे नहीं हुए हैं।

विश्व बैंक की जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि इस देश में क्षमता है कि मौजूदा टैक्निक्स से हम यहां के उत्पादन को चार या पांच गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन कृषि का उत्पादन इस देश में प्रति एकड़ और प्रति व्यक्ति घटा है। यह हमारी चिन्ता का विषय होना चाहिये। इस देश का औद्योगीकरण उस समय तक सफल नहीं होगा जब तक कि इस देश की आधार भीत जो कि हमारी कृषि है उसे स्थापित नहीं किया जायगा। आज यदि हम निश्चय करें इस बात का कि आगामी ५ वर्ष में हम इस देश के कृषि के उत्पादन को कम से कम ५० फीसदी बढ़ा दें तो मैं समझता हूं कि बढ़ाने का उत्तरदायित्व

हमारे देश के कृषि विभाग का होना चाहिये। कृषि विभाग जिसके ऊपर कि हम पहले से ५ गुना अधिक खर्च करते हैं तो उसका परिणाम हम उसकी रिपोर्ट से नहीं देखेंगे बल्कि इस चीज से देखेंगे कि वह प्रति एकड़ और प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना बढ़ाता है। यदि वह विभाग इसमें असफल होता है और उसको हम खत्म कर दें तो कोई भी चिन्ता की बात नहीं है।

साधन समितियां जो हमारे देश में बनी हैं मैं उनका प्रबल समर्थक हूं। बल्कि कोआपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ जो एक नारा लगाया गया मैं उसका विरोधी हूं। या तो यह एक पोलिटिकल स्टेंट था या उन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग को समझने की कोशिश नहीं की। देश में साधन समितियों का विरोध किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिये। कृषि मंत्री यहां पर नहीं हैं लेकिन साधन समितियों का जिस तरह से उन्होंने निर्माण किया है वह मुझे ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करता। १० हजार साधन समितियों को बनाते समय पंडित जवाहर-लाल जी ने जो बात कही थी उसकी तरफ मुझे आशा है कि एग्रीकल्चर का यह जो विभाग है और कोआपरेटिव का जो विभाग है वह उस तरफ ध्यान देगा। मंत्री जी ने एक्सपेंशन की बात की है। मैं कहता हूं कि आज जरूरत एक्सपेंशन की नहीं है। आज कंसालिडेशन की जरूरत है। आज इस देश की चाहे एजूकेशन हो, चाहे कोआपरेटिव हो, चाहे इंडस्ट्री हो, सब में एक्सपेंशन से ज्यादा कंसालिडेशन और क्वान्टिटी से ज्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। मैं ज्यादा आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट की इन्डेटेडनेस किस तरह से बढ़ रही है। मार्च, ३१, १९४७ में हमारी इन्डेटेडनेस ४४ करोड़ थी। सन् ५० में वह ६८ करोड़ हो गयी, ३१ मार्च, सन् ५३ को १ अरब ६७ करोड़ हो गयी, ३१ मार्च, १९६० को वह ३ अरब ७५ करोड़ हो जायगी और ३१ मार्च, १९६१ को ४ अरब ११ करोड़ हो जायगी। जो यह कहते हैं कि गवर्नमेंट जो कर्जा ले रही है वह कोई खराब बात है, मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि हमारी स्टेट को और भी कर्जा लेना पड़े तो उसके लेने में कोई पर-शानी नहीं होनी चाहिये लेकिन वह कर्जा प्रोडक्टिव कामों में लगना चाहिये। मुझे अफसोस है कि आज १०-१२ साल के बाद हमारे जितने ऋण हुये हैं उनका अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आज से ५-७ साल बाद हमारी सरकार की इन्डेटेडनेस इतनी हो जाय कि जो उसके इंस्टालमेंट्स और लम्पसम हमें पे करना पड़ेगा उससे हमारे बजट की और दूसरी परिस्थिति क्या होगी, उसका हमें अनुमान होना चाहिये। हम जो भी रुपया लगावें उसमें हमारी पालिसी यह होनी चाहिये कि वह रुपया लगाने के तीन साल बाद उसका रिटर्न हमें मिलना शुरू हो जाय और ब्याज के साथ ही कम से कम १० परसेंट का रिटर्न प्राप्त होता जाय ताकि इस इंडेटेडनेस को पूरा किया जा सके। मैं चाहता हूं कि आर्थिक इंडेटेडनेस की पालिसी का इस तरीके पर निरूपण हो।

मेरे पास समय नहीं है लेकिन एक तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि प्रदेश की सब से बड़ी कमजोरी जो प्लानिंग में शुरू से ही थी वह थी एलेक्ट्रिकल पावर की इस प्रदेश में व्यवस्था न होना। ५-६ साल पहले जब मैंने हाफिज साहब से कहा था कि आपको इस ओर ध्यान देना चाहिये और अगर हो सके तो भाखरा-नांगल या किसी दूसरी योजना से हमको ज्यादा से ज्यादा बिजली प्राप्त करना चाहिये तो उस समय उन्होंने कहा था कि २-३ साल के भीतर ही आप देखेंगे कि इतनी बिजली इस प्रदेश में मैं दे दूंगा कि जिसको लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि वेस्टर्न यू० पी० की बात कल हाउस में कही गयी थी कि हमारे रिहन्द बांध से इतनी बिजली पैदा हो जायगी कि जिसको आगे १०-१५ साल तक कोई लेने वाले नहीं होंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर यही बात है तो फिर क्यों नहीं थर्मल पावर स्टेशन उसी जगह इंस्टाल किया जा रहा है और क्यों नहीं आपके जो पश्चिमी जिले हैं जहां पर इंडस्ट्री राइप है, लोग डेवलप करने के लिए तैयार हैं, उन मेरठ,

[श्री देवकीनन्दन विभव]

बरेली और आगरा डिवीजनों में बिजली मिलती है ? मैं पूछना चाहता हूं कि वहां बिजली की क्या व्यवस्था है । खटीमा और बहादुरगंज की स्कीमें हमें कहीं ले जाने वाली नहीं हैं । एक सब से बड़ी गलती जो इस प्रदेश में हुई वह यह थी कि जो यहां की पावर सप्लाई कम्पनीज थीं उनका लाइसेंस रिन्यु कर दिया गया । उनको कर्जे दिये गये और ये पावर सप्लाई कम्पनीज जिनकी बागडोर इंगलैण्ड के हाथ में है, वह ऐजस्टमेंट एंट्री करके वहां की मशीनें खरीद कर लायेंगी जिसका नतीजा यह होगा कि अगर आप नेशनलाइज करेंगे तो आपको रुपये की चवन्नी भी नहीं मिलेगी । आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ऐसी है कि कोई भी नेशनल गवर्नमेंट, जिसको जरा भी नेशनैलिटी का ध्यान होता, उसके लाइसेंस को रिन्यु न करती । मार्टिन बर्न कम्पनी, एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनीज को जिस तरह से संचालित कर रही है, अफसोस है कि फिर भी उनका लाइसेंस रिन्यु कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमें वापस ले लिये गये ।

जहां तक विनिमय का प्रश्न है, अगर विनिमय रेअन फैक्टरी और दूसरी फैक्टरियों के लिए मिल सकता है तो प्रदेश के विद्युतकरण के लिए भी प्राप्त हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त ।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट निराशाजनक, असन्तोष प्रगट करने वाला प्रतीत होता है । इसका कारण यह है कि इस बजट में सिवाय दो शब्दों के कि गरीबों को भी इससे लाभ होगा, गरीबों के प्रति और कुछ नहीं कहा गया है ।

जिन ग्रामीणों की ८० प्रतिशत आबादी है, उनके लिए और गरीब मजदूरों के लिए एक भी योजना इसके अन्दर नहीं है । जहां अब लोगों को जाड़ों में पयाल ओढ़ कर सोना पड़ता है, वर्षों तक रजाई ओढ़ना मयस्सर नहीं होता, उनके लिए इसमें कोई भी योजना नहीं दिखायी देती । यह आफत क्यों खड़ी हो रही है ? इसका कारण यह है कि गन्ने का उत्पादन तो बढ़ता चला जा रहा है । गन्ना नौ महीने या साल भर में तैयार होता है । दूसरी फसलें छः महीने, चार महीने या तीन महीने में तैयार हो जाती हैं । गेहूं और धान का क्षेत्र बहुत कम होता जा रहा है । इन फसलों की कमी के कारण गरीब मजदूर पर क्या असर पड़ता है, यह आप जान सकते हैं । गरीब मजदूर के लिए गांव में कोई नौकरी या दस्तकारी तो होती नहीं । या तो वह खेतों में जाकर हल चलाता है जो हल चलाने वाले हैं या उसके अलावा जो दूसरे गरीब मजदूर हैं वह फसल काट कर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं । कहीं दो, तीन महीने और कहीं ६ महीने तक का अन्न इकट्ठा कर लेते हैं जहां फसल काफी काटने को मिल जाती है । इसी के आधार पर वह अपना खर्च चलाते हैं और साल व्यतीत करते हैं । प्रदेश के जिस भाग में चावल अधिक पैदा होता था वहां भी अब गन्ना अधिक पैदा होने लगा है । वहां के लोगों को दो महीने के लिए भी अन्न नहीं मिलता है । जिन लोगों के पास गन्ना कुछ बीघों में होता है वह उसको काटकर मिल वालों को ले जाकर दे आते हैं । उनका भी यह हाल है कि गाड़ियां ले लेकर जब वह मिलों में जाते हैं तो तीन तीन दिन उन्हें वापस आने में लगता है । जो कुछ उन्हें मिलता है वह भी कर्ज देने वालों को दे देना पड़ता है जिनसे कि वह कर्ज लिए रहते हैं क्योंकि कर्ज ले लेकर तो उनका काम चलता है । उन गरीब मजदूरों के लिए कोई भी व्यवसाय नहीं है । कर्ज देने वाले आते हैं, बीस-बीस, पचास-पचास रुपया कर्ज देकर चले जाते हैं और फिर उनसे वसूलते रहते हैं । सरकार से अगर कोई लोन लिया जाय, तो उसके लिए तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । बड़ी तस्दीकें करनी पड़ती हैं और फिर उसको दिलाने में अनेकों परेशानियां उठानी पड़ती हैं । बहुत सारे लोग इन परेशानियों के कारण सरकार से कर्ज लेने नहीं जाते क्योंकि कभी-कभी जहां १०० रुपये मंजूर होते हैं वहां ५० रुपये ही उनके पल्ले पड़ते हैं इन सबकी वजह से वह गरीब काश्तकार और मजदूर इस तरह के कर्जे को लेने के लिए तैयार नहीं होते ।

मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि पश्चिमी इलाकों में गेहूं पैदा होता है। तराई का भाग भी उससे लगा हुआ है। उसमें नैनीताल और देहरादून का जिक्र तो हुआ बिजनौर को छोड़ दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि बिजनौर को क्यों छोड़ दिया गया। कोटद्वार से लेकर नैनीताल तक एक भी पुल किसी नदी पर नहीं बंधा और न कोई सिंचाई का साधन उपलब्ध किया गया है। गांव के अन्दर जो गरीब मजदूर हैं उनके बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिए काफी असन्तोष जनता में फैला रहता है। जनता सोचती है कि असेम्बली में बैठने वाले लोग गरीब मजदूरों के बारे में क्या करते हैं। मैं तो कहा करता हूं कि वहां गरीब मजदूर कोई है ही नहीं, इसलिए गरीब मजदूरों के बारे में सोचा क्या जाय, विचार क्या किया जाय। जब कि यहां उनके हित की कोई बात होती ही नहीं। जो आप कहते हैं कि जमींदारी खत्म हुई, तो जमींदारी के खात्मे से कितनी जमीन उनको मिली? गांव वालों ने जहां कहीं कुछ जमीन तोड़ी भी है वहां उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। वह इस कारण कि वहां डिमार्केशन का झगड़ा पैदा हो गया है। जंगलात के लोग कहते हैं कि यह भूमि जंगल की है। सन् ५४ से डिमार्केशन चल रहा है। आज वह जमीन उनसे छीन ली गई है। जंगल तराई वगैरह में जो यह चीज कही जाती है कि वहां जंगल की सम्पत्ति बढ़नी चाहिए, तो उसके साथ-साथ कुछ लोग जंगल में रहने वाले भी ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाकों में या जंगलों में रह कर अपना जीवन निर्वाह उसी से करते हैं। मैं देहरादून की मिसाल देना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि गरीब मजदूरों के साथ वहां क्या किया जा रहा है। देहरादून में ३० ठेकेदार ऐसे हैं जो कि हरिजन हैं, जो कभी टोकरियां उठाते थे, लेकिन अपने प्रयास से जिन्होंने ठेकेदारी का काम चूने का शुरू किया। यह चूने का व्यवसाय वहां बहुत काफी होता है। पहले तो समतल भूमि को खोदकर पत्थर निकाले जाते थे, लेकिन अब पर्वतीय प्रदेश में चूने के पत्थर काफी संख्या में मिलते हैं। ये पत्थर दो तरह के हैं। एक तो बड़े सख्त हैं और दूसर मुलायम हैं। सख्त पत्थर से जो चूना तैयार किया जाता है वह काफी कीमती होता है और जो मुलायम पत्थर से तैयार किया जाता है वह कम कीमत का होता है। तो जो इस प्रकार के कीमती चूने के पत्थर हैं वह बड़े-बड़े लोगों को दे रखे हैं और उसके लिए इन ३० गरीब ठेकेदारों की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं तो पर्वतीय भाग काश्तकारों का पर्वत के रहने वालों का होता है और कहीं पर डी० एफ० ओ० की नौबत आती है। वह कहते हैं कि तुमको अगर कोई कान लेना है तो उसके लिये ८,००० रुपया जमा किया जाय तब तुमको यह कान मिल सकती है। जब कि दूसरे लोगों को ६ आना रायल्टी पर पत्थर वगैरह दिया जाता है तो इस प्रकार का व्यवहार प्रदेश के अन्दर गरीब मजदूरों के साथ किया जाता है जिसमें कई हजार की तादाद में लोग लगे हुये हैं। इस काम की तरफ विशेष ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता। उनको अगर कोयले के लिये गाड़ी की आवश्यकता होती है तो उस समय उनको गाड़ी मिलती है जब वह मौसम निकल जाता है। चूने के मौसम में उनको गाड़ी नहीं मिलती है। उनको ऐसे समय कोयला दिया जाता है जब कि मौसम निकल जाता है। जब अधिकारियों के पास दौड़-धूप की तो यह भी टालमटोल करते हैं। इस प्रकार से कई हजार लोग जो मजदूरी करते हैं उनके बारे में सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये।

वहां पर पर्वतीय क्षेत्र में पेरिस प्लास्टर बनाने की योजना बहुत अच्छी चल सकती है। मगर मैंने उदाहरण पेश कर दिया कि उनकी तरफ कोई ध्यान न होने से उनको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। सरकार ने बतलाया है कि सहकारिक आधार पर बहुत से काम शुरू करने जा रहे हैं जिनसे गरीबों का फायदा होगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह से लोगों को लकड़ी और कोयला देकर भट्ठा चलाने की योजना है उसी प्रकार से इन लोगों को सहकारिक आधार पर यदि कोयला और लकड़ी दी जाय तो ये मजदूर भी अपना काम जारी कर सकते हैं। मगर अभी तक इन गरीब मजदूरों का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यदि विचार किया जाता है तो उन लोगों के लिये किया जाता है जो पैसे वाले हैं और जो पैसे में वृद्धि करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि उद्योग-धंधे सिखाये जायं। उद्योग-धन्धे वही सीख सकते हैं जिनके पास खाने पीने का साधन हो। एक मजदूर के लड़के को यदि आप १०,

[श्री शिवराम]

१५, २० रुपया वजीफा देते हैं तो उस आधार पर वह एक साल तक काम सीखता है लेकिन उस व्यवसाय को चलाने के लिये वह परेशान होता है। वह उस व्यवसाय को चला नहीं पाता है। २५०, ३०० रुपये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से दिये जाते हैं लेकिन फिर भी उनको परेशानी उठानी पड़ती है। कम से कम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्लासेज चल रहे हैं प्रत्येक स्थान पर उनमें कम से कम जहां पर एक वर्ष का कोर्स है वह दो वर्ष का कोर्स होना चाहिये। एक साल में वह लड़का ठीक प्रकार से सीख नहीं पाता है उसको एक वर्ष के लिये ट्रेनिंग पर रखा जाय। अब एक-एक शिक्षक रखे गये हैं। काम बहुत बढ़ गया है और उन शिक्षकों को १२, १३ वर्ष बीत गये हैं लेकिन अभी तक उनको कोई तरक्की नहीं दी गई। जब कि संचालक और उपसंचालक को स्थायी कर दिया गया है जो कि इसी स्कीम के अन्तर्गत थे लेकिन जो कर्मचारी इस स्कीम में १२, १३ साल से काम करते आ रहे हैं उनको अभी तक परमानेन्ट नहीं किया गया है। जैसे अन्य विभागों में परमानेंट किये जा रहे हैं उसी प्रकार से इसके लिये भी विचार होना चाहिये। जो देश को ऊंचे उठाने के लिये काफी प्रयत्नशील प्रतीत होते हैं और ज्यादा काम करने वाले हैं उन शिक्षकों को स्थायी करने के लिये कुछ विचार नहीं किया गया। यदि इनको स्थायी किया जाय तो यह सम्भव है कि जितने उद्योग-धंधे हैं उनको उन्नत करने के लिये ये काफी अग्रसर हो सकते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से उन निर्देशकों की तरफ ध्यान देना चाहिये जो इतने दिनों से इसमें काम कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि इसी प्रकार से उद्योग-धन्धे ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुये हैं। जिन जिलों में उद्योग अधिकारी नियुक्त किये गये हैं वहां पर जो उद्योग हैं उनको पनपाने के लिये विशेष ध्यान सरकार का होना चाहिये, जैसे कि चमड़े के विषय में विशेष तौर पर कहा जाता है। कितना बड़ा यह चमड़े का उद्योग है? उसके लिये भी सहकारिता के आधार पर चलाने की बात कही जाती है। सरकार १८ हजार टन चमड़ा बाहर भेजती है। यहां से बने हुये जूते भी सरकार बाहर भेजती है। लेकिन उस उद्योग-धंधे को पनपाने के लिये, जिसमें गरीब मजदूर बहुत बड़ी तादाद में लगे हुये हैं उनके लिये कुछ नहीं किया जाता है। वे हाथ पर हाथ रक्खे बैठे हुये हैं। वे इस काम को छोड़ते जाते हैं। इसका यही कारण है कि उनको चमड़ा नहीं मिलता है। जो चमड़ा यहां बनता है उसको बाहर सरकार भेज देती है। इसलिये यह काम करने में मजदूरों को परेशानी रहती है और वे मजबूरी का अनुभव करते हैं। जो छोटे-मोटे उद्योग-धन्धे ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुये हैं उनको पनपाने के लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। देहात में गरीबों की भलाई के लिये कुछ काम चालू किये जा रहे हैं लेकिन जो उद्योग जिस क्षेत्र में विकसित होता है उसको वहीं पर विकसित करना अनिवार्य प्रतीत होता है दूसरे, उसके सेलेक्शन में परेशानी आती है। जहां पढ़े-लिखे लड़कों को लेने की योजना है वहां गांव के गरीब लड़के, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं उनको कोई भी ट्रेनिंग प्राप्त करने की सुविधा नहीं मिल पाती। प्रत्येक जिले में एक केन्द्र कम से कम इस प्रकार का होना चाहिये कि जहां वे पढ़े-लिखे बच्चे भी, जो उस काम में दिलचस्पी रखते हों, काम सीख सकें और लाभ उठा सकें और अच्छे कारीगर बन सकें।

तीसरी बात, हरिजनों की छात्रवृति का जो मसला है उसके बारे में है। उसमें इस साल काफी परेशानी लड़कों को आई है। सुना है कि १९५७-५८ की छात्रवृत्तियां इस वर्ष दी जा रही हैं और अभी अक्टूबर में बांटी गयी हैं। पता नहीं इसका कारण क्या है? इसी तरह अनेक स्थानों पर जो शिक्षा के केन्द्र हैं वहां बाहर से हरिजन विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और उन के निवास का कोई प्रबन्ध नहीं हो पाता और उससे उन लड़कों को बड़ी परेशानी होती है। सरकार ने प्रत्येक जिले में कुछ न कुछ प्रबन्ध किया है लेकिन इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां काफी शिक्षा संस्थायें हैं और लड़के इधर-उधर रह रहे हैं वहां वे शांति-पूर्वक एक स्थान पर रह कर शिक्षा ग्रहण कर सकें इसके लिये कुछ किया जाना चाहिये और उनको अधिक सुविधायें प्रदान करने का प्रयत्न सरकार को करना चाहिये।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि इस बजट के सामान्य विवाद में आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को जिन्होंने हमारे विकास का यह बजट इस सदन के सम्मुख रखा, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं अपने कर्त्तव्य में कोताही करूंगा यदि मैं विरोधी दल के उपनेता माननीय तिवारी जी को भी यहां धन्यवाद न दूं जिन्होंने इस असंतुलित बजट की बड़े संतुलित ढंग से आलोचना की। इसके लिये मैं उनका अभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। सचमुच सरकार और विरोधी दल आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के सहयोग के बगैर दोनों का काम चल नहीं सकता। जैसा तिवारी जी ने कहा था कि इस बजट में कुछ हरियाली और कुछ सूखे स्थान हमें नजर आते हैं, यदि वे सारे स्थान हरियाली के स्थान होते तो फिर माननीय तिवारी जी को या विरोधी दल के लोगों को कहने को क्या रह जायगा? और यदि सरकार भी पूर्णरूप से सारा काम पूरा कर दे तो सरकार के पास करने के लिये भी कुछ नहीं रह जायगा। सरकार भी स्वयं यह महसूस करती है कि जितने भी हम काम कर रहे हैं वह हमारे उन इरादों के लिये जो देश के लिये हमने किये हैं, पूरे नहीं हैं। तो तिवारी जी ने जो आलोचना की है, मैं मानता हूं कि वह उसी ढंग की नहीं है जैसी कि हम विरोधी दलों से आशा किया करते हैं।

मैं इसके लिये परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि इस बार दो बातों की चर्चा यहां सदन में सुनने को नहीं मिल रही है। एक विषय तो सदन के सम्मुख लगातार कई वर्षों से यह था कि प्रदेश में भुखमरी है जो आये दिन, समय बेसमय आया करती थी। ईश्वर की कृपा से इस बार बहुत शान्ति रही और अब तक के भाषणों में भुखमरी की बहुत लम्बी चौड़ी चर्चा नहीं हुई। दूसरा एक विषय है जिसकी बहुत चर्चा हुआ करती थी। उसके लिये भी मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं। वह है केरल का विषय। वह भी सौभाग्य से इस साल बन्द है। इसलिये सदन का वातावरण काफी शान्त है और हमारा विचार-विमर्श बहुत गम्भीर वातावरण में और सही मार्ग से चल रहा है।

मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान अवश्य आकर्षित करूंगा। सिंचाई की योजनायें, मैं नहीं कह सकता कि खेती की उन्नति के लिये जितनी सिंचाई की आवश्यकता है, वह पूर्ण है, परन्तु मैं इस ओर सरकार का ध्यान जरूर दिलाऊंगा कि जमुना स्कीम बहुत पुराने जमाने से पड़ी हुई है। मुझे तो यह मालूम हुआ कि प्रधान मंत्री ने सन् १९४८ में उसका उद्घाटन किया था। वह कई बार समाप्त हुई, फिर चली और फिर समाप्त हुई। सौभाग्य से इस बजट में उस जमुना स्कीम की अच्छे शब्दों में चर्चा है और सरकार का कुछ निश्चित इरादा मालूम पड़ता है कि वह जमुना स्कीम का विचार पूरा करने जा रही है जिससे हमारे प्रदेश की सिंचाई और बिजली की योजनाओं में बहुत सहायता मिलेगी। सरकार ने इस बजट में गांव पंचायतों के विकास के लिये कुछ विशेष धनराशि का जो आयोजन किया है इसके लिये भी मैं सरकार का बहुत आभारी हूं और मैं समझता हूं कि सरकार के ध्यान में उनके विकास की तरफ और गांव में स्वराज्यका कुछ स्वप्न जा सके इस तरफ सरकार का कुछ ध्यान गया।

अभी माननीय लारी साहब चर्चा कर रहे थे--फ्री एजूकेशन की। एक दफा इस सदन में और भी चर्चा थी और मैंने कहा था कि, फ्री एजूकेशन तब तक नहीं होगी जब तक कि अध्यापक मुफ्त न मिल जायं। अगर वेतन लेने वाला अध्यापक इस देश में है तो बच्चों पर फीस न लेकर कोई दूसरा टैक्स लगेगा। उन्होंने कश्मीर की चर्चा की। सौभाग्य से गत वर्ष काश्मीर में कुछ मुझे भी और मेरे अन्य साथियों को भी जाने का सौभाग्य हासिल हुआ। बख्शी साहब ने जहां कश्मीर के और हालात की चर्चा की, उन्हों ने स्वयं यह भी कहा अपने शब्दों में कि अगर हमने कोई भूल की है तो इस प्रदेश में फ्री एजूकेशन करने की है। इसके अलावा कश्मीर से इस प्रदेश की तुलना इसलिये नहीं हो सकती कि कश्मीर की एक स्थिति जुदा है। केन्द्रीय सरकार से जो सहायता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

मिलती है वह न केवल शिक्षा के लिये, बल्कि विकास के अन्य कार्यों के लिये भी इस देश के हर प्रदेश से कहीं अधिक वहां मिलती है। तो वहां का उदाहरण यहां इस रूप में देना मैं समझता हूं बहुत उचित नहीं है।

एक बात का ध्यान और भी मैं आपको दिलाऊं। बहुत लोगों ने चर्चा की है कि हमारे प्रदेश की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। जैसे आंकड़े मैं आप के सामने रख रहा हूं उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारे प्रदेश पर इतना बड़ा कर्जा है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को यह समझा जाय कि बहुत डांवाडोल है। ४११ करोड़ रुपये का कर्जा इस प्रदेश की सरकार पर है—इस में बांड्स वगैरा: शामिल हैं। इसमें २८३ करोड़ कर्जा ऐसा है जो कैश है, लेकिन ३०५ करोड़ रुपये की सम्पत्ति ऐसी सरकार के पास मौजूद है जिसमें डैम्स, कम्पनियां इत्यादि सब हैं, जोकि कर्जा लेकर सम्पत्ति हमारी सरकार ने कायम की है। ६५ करोड़ ऐसा है जो इंडस्ट्री के नाम से सरकार ने दिया है और वसूल करना है। इसी तरह से सिंकिंग फंड के अन्दर भी १० करोड़ रुपया जमा है जो केन्द्रीय सरकार को हमें देना है। इस तरह से यह कह देना कि बहुत बड़ा कर्जा है, यह कहां तक उचित है। अगर कर्ज लेकर भी कोई काम किया जाय तो प्रदेश के हित में है। व्यक्ति भी कर्जा इसलिये लेता है कि वह ऐसी कोई तरक्की करे। हां, वह कर्ज गलत होता है अगर उसका दुरुपयोग हो और उससे कोई संपत्ति पैदा न की जा रही हो, जिससे आगे हमारी दौलत का कोई बढ़ावा हो। तो कर्ज लेकर सरकार उसे केवल ऐसी योजनाओं में लगा रही है जो योजनाएं आज नहीं बल्कि अगले १० वर्षों में आर्थिक तौर पर इस प्रदेश के विकास के लिये बहुत अच्छी सिद्ध होंगी।

मैं इतनी बात सरकार से जरूर कहूंगा कि सिंचाई विभाग में ही नहीं, बल्कि हर विभाग में यदि सरकार यह कर दे कि जो मांगों की दरख्वास्त हों जनता की, उनको चाहे नीचे का छोटा अधिकारी मंजूर करे, कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दरख्वास्त को कैन्सिल करने का जो अधिकार है वह सरकार के उच्चाधिकारियों को होना चाहिये। अगर ऐसा हो तो इससे एक फायदा यह होगा कि उच्चाधिकारियों तक जनता की वह बातें पहुंच जायेंगी जो नीचे के अफसरों से उनको मालूम नहीं होती हैं और उन पर उचित आदेश हो सकेंगे। छोटी से छोटी दरखास्त को भी कैन्सिल करने का अधिकार उच्चाधिकारियों को होना चाहिये। इससे अनुचित आज्ञायें नहीं हो पायेंगी। तो मेरा इस संबन्ध में यह सुझाव है जिसे मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।

एक सुझाव मैं प्रदेश की सुरक्षा के लिये देना चाहता हूं। आज जो कत्ल और डकैतियां हो रही हैं उनके सम्बन्ध में यदि कोई मुकदमा न्यायालय से छूट जाता है तब भी उसके बाद भी उसकी जांच बराबर होती रहनी चाहिये। न्यायालय से मुकदमा छूट जाने के बाद उसकी जांच खत्म नहीं होनी चाहिये। आजकल यह होता है कि मुकदमा समाप्त होने के बाद जो जनता में उद्दण्ड लोग हैं वे और अधिक निर्भय और निडर हो जायगे। कई मुकदमें सही जांच आदि न होने के कारण सच्चे होते हुये भी छूट जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि न्यायालयों से, जांच में किसी प्रकार की कमी रह जाने के कारण, जो दोषी व्यक्ति हैं वे छूट जाते हैं और निर्दोष व्यक्ति सजा पा जाते हैं। तो यदि यह जांच कार्यवाही मुकदमा खत्म होने के बाद भी रहे तो अच्छा है, इससे काफी फायदा होगा। अभी पंजाब का एक उदाहरण देखने में आया है और वहां एक कत्ल की जांच १२ वर्ष के बाद सही निकली और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो दोषी थे। तो यह चीज यहां पर भी जारी रहना चाहिये।

अब मुझे छात्र आन्दोलन के विषय में भी कुछ कहना है। यह इस प्रदेश के लिये एक समस्या बन गई है। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा छात्र आन्दोलनों में हमारा प्रदेश कहीं आगे रहा है। मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा दोष छात्रों के माता पिता के ऊपर है। माता पिता के सुसंस्कार ही छात्रों को योग्य और अनुशासन योग्य बना सकते हैं। मैं इस बात को इसलिये कहता हूं कि मैं एक रोज एक माननीय सदस्य के यहां

गया उनके लड़के ने मुझे नमस्ते नहीं किया। वह एक मास्टर साहब से पढ़ रहा था। जब उस लड़के ने नमस्ते नहीं की तो उनके पिता जी ने मास्टर साहब से शिकायत की कि आपने इसको कुछ सिखाया नहीं है। मैंने इस पर उनसे कहा कि उसमें मास्टर साहब क्या करें? यह तो जैसा आप ने उसको सिखाया है, जैसी आप ने उसकी आदत डाली है, उसी का यह परिणाम है। तो जो शिक्षा माता-पिता शुरू से ही देते हैं वही उसके जीवन भर साथ रहती है। और जिनकी देख रेख अच्छी नहीं होती वे सदैव उदन्ड हो जाते हैं। जब माता-पिता अपने कर्त्तव्य में कोताही करने लगते हैं तब अध्यापक लोग भी उस दर्जे तक शिक्षण कार्य नहीं करते जिस दर्जे तक उनसे आशा की जाती है। तीसरी कमी जो है जिसके कारण यह छात्र आन्दोलन होते हैं वह है राजनैतिक लोगों का हाथ। जब कोई पार्टी उनमें हस्ताक्षेप करने लगती है तो भी यह आन्दोलन उठ खड़े होते हैं। तो यह दो, तीन मुख्य कारण हैं जिनको मैं इन छात्र आन्दोलनों के लिये मुख्य कारण समझता हूं। इसके अलावा एक मुख्य कारण उन संस्थाओं में चुनाव का होना भी है। वहां पर यूनियनों का चुनाव भी अनुशासनहीनता का एक कारण है। यदि इन यूनियनों का चुनाव बन्द कर दिया जाय तो उससे भी यह आन्दोलन बन्द हो सकते हैं। हमारे यहां कई स्कूल और कालेज हैं जहां पर प्रिन्सिपल चुनाव नहीं होने देते हैं और वहां पर शान्ति रहती है। उदाहरण के लिये रामपुर में एक कालेज है जहां कि चुनाव नहीं होते। वहां पर कभी कोई अन्दोलन नहीं दिखाई देता। इसलिये वहां पर यह चुनाव नहीं होना चाहिये।

मुझे एक बात और भी कहनी है, वह है बेकारी के सम्बन्ध में, जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो कारखाने आज खोले जा रहे हैं, मैं सुझाव देता हूं कि यह कारखाने ज्यादातर एक ही शहर में न बन जायें, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। कारखाने देहात में और इधर-उधर खोले जायें। इससे वहां के आस-पास के मजदूरों को रोजी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जिस शहर में ज्यादा कारखाने होते हैं वहां वह बीमारी का कारण बन जाते हैं और दूर से जो मजदूर आते हैं वह एक जगह पर बीमारी का शिकार बनते हैं। यदि देहात, देहात में कारखानों की योजना होगी तो उससे बेकारी दूर होगी और साथ ही एक शहर में बहुत से कारखाने होने के कारण जो मजदूर और मालिक में असंतोष पैदा होकर, मजदूरों के एक कारखाने से दूसरे कारखाने में चले जाने और हरताल और काम बन्द करने की बातें होती रहती हैं वह भी अलग-अलग कारखाने होने पर नहीं होंगी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कारखाने कायम किये जायं तो मैं समझता हूं कि इससे सरकार का, जनता का, और बेकारी का, सबका हल होगा। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री और विरोधी दलों के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के संबन्ध में अपने विचार व्यक्तकरने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट की कमजोरियों को जहां हम अनुभव करते हैं वहां इस बजट के तैयार करने वाले भी उन्हें अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। इसी बजट से शुरू से ही जो भूमिका इस बजट के तैयार करने में माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दी, और शुरूआत में ही जो बातें सामने आईं, उन्हे देखते हुये मैं अनुभव करता हूं कि दरअस्ल यह बजट हमारे प्रदेश की द्वितिय पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष का है। अन्तिम वर्ष का बजट होने के नाते, आगे आने वाले बजट के आय व्यय का जो विवरण होने वाला है, न महज उसका विवेचन करते हैं बल्कि चूंकि यह द्वितीय योजना की अन्तिम लड़ी है, पिछली बातों के विवरण का भी जिक्र करना बहुत ही स्वभाविक था। परन्तु यदि मैं यह कहूं कि पिछले चार सालों का इतिहास बल्कि पिछले नौ सालों का इतिहास--जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के ५ साल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ४ साल शामिल हैं--एक ऐसा चित्र पेश करता है जो बहुत ही निराशाजनक है और जो भी दावे कांग्रेस सरकार की तरफ से किये गये थे उनका खोखलापन साबित करता है। क्योंकि उनके खोखलेपन में जाना और उनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्शोधन नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

सिंहावलोकन करना अपनी कमजोरियों को ही प्रकट करना था और नैतिक साहस हमारी इस सरकार में नहीं है कि वह उस खोखलेपन को देख सके, उसे स्वीकार कर सके और उसके लिये कोई रास्ता निकाल सके। इसलिये यह निर्मल, निर्जीव, उत्साहहीन निराशाजनक मुनीम जी का चिट्ठा पेश कर दिया गया जिसमें न तो भविष्य के लिये कोई आशा है और न भूतकाल के लिये कोई गौरव है।

बजट भाषण में एक जगह पर कहा गया है :—"विशेषकर जब हम इस बात को ध्यान में रक्खें कि कुछ वर्ष पहले जब हमने अपने लिये यह उद्देश्य निर्धारित किया था तो उस समय हमारे उत्पादन तथा रहन-सहन के स्तर बहुत ही गिरे हुये थे। हमने जो प्रगति इस समय तक कर ली है उससे यह निश्चित रूप से जाहिर होता है कि हमारे देशवासियों ने इसका पक्का संकल्प कर लिया है कि अपनी आर्थिक और बौद्धिक काबलियत बढ़ाकर ही दम लेंगे। ऐसी सूरत में योजना की अन्तरिम अवधियों में वार्षिक बजट बनाने का उद्देश्य केवल साधनों की मांग तथा पूर्ति में संतुलन करना ही नहीं रह जाता। जैसे-जैसे विकास होता है, समाज के सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में अनिवार्य रूप से कुछ असंतुलन पैदा हो जाता है।"

इसके साथ-साथ एक दूसरा उदाहरण भी आपके सामने रखना चाहता हूं, पेश्तर इसके कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, "मैंने अभी जो कहा है उसे ध्यान में रखकर हमको इस वर्ष यह सुनिश्चित करना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न किये जायं और साथ ही अब तक जो कमियां दिखाई पड़ी हैं उन्हें अगली योजना में दूर करने के लिये पर्याप्त उपाय किये जांय।"

मैं आपसे यह बात अर्ज कर देना चाहता हूं, कि इस गवर्नमेंट ने इतना नैतिक साहस भी प्रदर्शित नहीं किया कि पिछले चार साल की खामियों के बारे में जो जिक्र किया गया, उसका कुछ थोड़ा सा विवरण भी पेश कर देती। मैं आपसे अर्ज करूं कि कुल मिलाकर अगर देखा जाय कि जो काम इसमें किये गये हैं और जिनकी वजह से यह बजट पूरा का पूरा निराशा का बजट प्रतीत होता है, उसका मूल कारण यह है कि पिछले चार सालों का इतिहास इस सरकार की असफलताओं और नाकामयाबी का इतिहास रहा है। इसी की रोशनी में मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि कुल मिलाकर अगर हम देखें कि इस प्रदेश की सरकार ने कृषि के ढांचे के पुनर्निमाण के लिये सबसे अधिक साधन जुटाने और योजनायें बनाने का दावा किया तो सन् १९५२ में हमारे प्रदेश में ४७५ लाख एकड़ जमीन पर खेती होती थी जो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़कर १९५९ में ५,३०,०००,०० एकड़ हो गयी। इसके अलावा और मैं कोई ऐसी चीज नहीं समझता जिसमें इस प्रदेश की सरकार ने कोई प्राप्ति की हो, इस चार साल में ही नहीं बल्कि पिछले ९ सालों में। यह बात खासतौर से इसलिये और भी महत्वपूर्ण है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य रखा गया था कि अगले ५ साल के अन्दर २० लाख टन अन्न का उत्पादन बढ़ाना है। सरकार ने अब पैदावार के आंकड़े देना भी बंद कर दिया है, लेकिन पहले यह आंकड़े दिये जाते थे। अगर ५ मन प्रति एकड़ की पैदावार भी मानी जाय तो इस बढ़े हुए क्षेत्र के १४५ लाख एकड़ में जितनी पैदावार बढ़ जानी चाहिये थी, वह कहीं बढ़ी हुई दिखायी नहीं देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इस बात को अनुभव करती है।

पिछले सन् ४८–४९ को यदि १०० का आंकड़ा मान लिया जाय तो सरकार के द्वारा जो आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार ५३ में १०१, और ५९ में १२२ तथा इस बीच में ५४ में ११३, ५५ में १२७, ५६ में ११२, ५७ में ११७, ५८ में १०७, और ५९ में १२७ खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है। इसको योजनाबद्ध पैदावार की बढ़ोत्तरी नहीं कह सकते। चाहे प्रगति एक एक करके हो, लेकिन उस प्रगति की रफ्तार चाहे जितनी धीमी हो लेकिन वह योजनाबद्ध होनी चाहिये, लगातार और अखंडरूप से चलती

रहनी चाहिये । लेकिन हमारी खेती की पैदावार अगर सन् ४८ में १०० का आँकड़ा मान लिया जाय तो ५३ से ५९ तक केवल २१ की वृद्धि हुई है और वह भी उतार चढ़ाव के साथ । कभी १२७ आता है, कभी १११ और कभी १०७।

इसी तरह से हम अनुभव करते हैं कि जो पिछले ४ सालों में अनुदान दिये गये हैं और हमारे प्रदेश को खेती के विकास के लिये जो साधन जुटाये गये हैं, उनको अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि इस प्रदेश की सरकार ने खेती के विकास के लिये २०,१८,००,००० मन उन्नतशील बीज का वितरण किया और खाद ७,८२,००,००० मन बांटा। खेती के विकास के लिये कृषि के उपकरण और साधन जो जुटाये गये उनमें १४,४०,००,००० रुपया खर्च हुआ है, सिंचाई के अन्दर अब तक करीब ५० करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है पूरे प्रदेश की कृषि के लिये । अब प्रश्न यह है कि जहां करीब २० करोड़ मन उन्नत बीज बांटा जा चुका हो, करीब ९ करोड़ मन उन्नत खाद बांटी जा चुकी हो, जहां करीब १४ करोड़ रुपये के कृषि के औजार मुहइया कराये जा चुके हों और सिंचाई में ५० करोड़ रुपया अब तक लगाया जा चुका हो, उसके बाद भी आज से ९ वर्ष पहले जो पैदावार थी अगर उसे १०० का आंकड़ा माना जाय तो उसके बाद से यह आंकड़ा बढ़ते-बढ़ते १२५ बैठता है। तो इस सरकार से मेरी अर्ज यह है कि उसे अपने गरेबां में मुंह डालकर इस आर्थिक अवस्था का सिंहावलोकन करके इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि पिछले ९ वर्षों में उसने गरीबों से टैक्स के रूप में जितने साधन जुटाये उससे ऐसा लगता है कि खेती में कुछ भी पैदावार नहीं बढ़ी है और उसका मतलब यह है कि बीज बेकार गये, खाद बेकार गयी और सिंचाई पर ५० करोड़ रुपये बेकार गये। जो १,५५,००,००० एकड़ नयी जमीन तोड़ी गयी है उससे कुछ पैदावार भले ही बढ़ गयी हो तो बढ़ गयी हो, इससे ज्यादा मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। सरकार जो प्रति एकड़ पैदावार के आंकड़े पहले देती थी अगर पिछले तीन साल के वह प्रति एकड़ पैदावार के आंकड़े दे तो उससे प्रमाणित हो जायगा कि पिछले सालों से हमारी पैदावार गिरती चली गयी है। इस प्रकार जो आज खेती की स्थिति है उसको माननीय वित्त मंत्री जी मान लें कि जो हमारे इतने रुपये खेती में लगे वे डूब गये, इसलिये कि इसमें प्राकृतिक विपदाओं आदि का भी बहुत हाथ होता है। कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, यानी बराबर हर साल इस तरह की कोई न कोई विपदा सामने आ ही निकलती है ।

यह तो खेती की स्थिति है और अगर उद्योग की प्रगति को देखा जाय तो उसकी रफ्तार भी इस बीच में बहुत कम रही है। जो रिपोर्ट हमारे सामने पिछले ४ सालों की है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले आप चीनी को ही लीजिये । सन् ५३ में हमारे प्रदेश की चीनी मिलें ७ लाख टन चीनी पैदा करती थीं और उन्होंने सन् ५४ में ५ लाख टन, सन् ५५ में ९ लाख टन, सन् ५६ में ९ लाख टन, सन् ५७ में १० लाख टन, सन् ५८ में ९ लाख टन और पिछले साल सन् ५९ में ८ लाख टन ही चीनी पैदा की। बहुत तेज चले, बहुत प्रगति की, बड़ी-बड़ी योजना बनायी और उस संबंध में लाखों करोड़ रुपये खर्च किये और इसके बाद भी इतनी ही चीनी हाथ लगी। इस प्रकार अगर हम पिछले ९ वर्ष के आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि उस वक्त जो हमारी योजना थी उसको देखते हुए आज ९ वर्ष के बाद हम चीनी की पैदावार में उतनी प्रगति नहीं कर सके हैं।

इसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग को लीजिये। सन् ५४ में ९ करोड़ पौण्ड सूती वस्त्र पैदा हुआ और सन् ५५ में बहुत प्रगति हुई तो ७ करोड़ पौण्ड, सन् ५६ में ९ करोड़ पौण्ड, सन् ५७ में १० करोड़ पौण्ड, सन् ५८ में ८ करोड़ पौण्ड पैदा हुआ और पिछले साल सन १९५९ में और कम पैदा हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे उद्योगों में भी हमारी प्रगति नहीं हुई है ।

[आचार्य दीपंकर]

तीसरी मिसाल लोहे की लीजिये। सन् ५२ में ७ हजार टन, सन् ५३ में ५ हजार टन, सन् ५४ में ८ हजार टन, सन् ५५ में ८ हजार टन, सन् ५६ में १० हजार टन, सन् ५७ में ११ हजार टन और सन् ५८ में १० हजार टन का उत्पादन हुआ। इसी तरह से बिजली आदि के कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनकी तरफ हम धीरे-धीरे प्रगति कर रहे हैं। उसके भी दूसरे कारण हैं जिनको मैं अन्त में आगे चलकर अपने सामने रखूंगा। इसी तरह की मिसालें और भी औद्योगिक प्रगति की दी जा सकती हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग हों, चाहे सरकारी क्षेत्र के उद्योग हों, उनके अन्दर लगे हुए कर्मचारियों की संख्या से भी औद्योगिक प्रगति की रफ्तार को जाना जा सकता है। ५३ में २ लाख कर्मचारी, ५४ में फिर २ लाख, ५५ में भी २ लाख, ५६ में २ लाख ३२ हजार की बढ़ोत्तरी हुई, ५७ में २ लाख ४२ हजार और ५८ में २ लाख २६ हजार रही। अब प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या घटकर करीब १९,३८,००० रह गई। इस तरह से कर्मचारी जो काम करते हैं और जैसे-जैसे उद्योग बढ़ता है उसके अनुसार कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती है परन्तु आप कि उनकी संख्या में भी पिछले ९ साल से एक ठहराव-सा है और इन फिगर्स से औद्योगिक प्रगति की रफ्तार का भी पता चलता है।

मैं एक पांचवीं मिसाल और दूंगा कि औद्योगिक श्रम की भी सरासर लगातार कमाई या अर्निंग घटी है। सन् ५३ में एक इंडस्ट्रियल वर्कर कमाता था १,०४८ रुपया, सन् ५४ में ९७९ रुपया, सन् ५५ में ९०० रुपया। इस तरह से आप देखें कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी लगातार गिरती चली गई है। पिछले ९ वर्ष में जब से योजना अनुगामी अर्थ व्यवस्था का संगठन है और जब से बड़ी-बड़ी योजनायें और प्लान्स संगठित करने की कोशिश की गई है और उन योजनाओं की सफलता के लिये, उस जनता से जिसकी आय लगातार गिरी है, करोड़ों और अरबों का टैक्स लिया गया है परन्तु कोई प्रगति इन ९ वर्षों में नहीं हुई। इस बजट को पढ़ने के बाद, जब कि इसमें कोई नये टैक्सेज नहीं बढ़े हैं और इस सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हमारे सूबे के प्रति व्यक्ति की आय के तथ्य सामने आये तो कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने अपनी पीठ थपथपाई कि कम से कम इस साल हमने नये टैक्स नहीं बढ़ाये। उनका ऐसा अन्दाज था कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है लेकिन मैं कहूंगा कि सन् ५५ में हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय थी २६८ रुपया, ५६ में २६५ रुपया, ५७ में २५६ रुपया, ५८ में २४६ रुपया और ५९ में २६९ रुपया। तो मैं आप से अर्ज करूंगा कि जो सन् ५५ में करीब २६९ रुपया थी वह ठीक ५ वर्ष बाद ५९ में फिर वहीं पहुंच गई २६९ पर, जहां पहले थी, इस तरह से आप देखें कि प्रति व्यक्ति आय प्रदेश की बढ़ी है। किस बात पर आत्मसंतोष किया जाय? आत्मसंतोष कहना तो कठिन है आत्मवंचना कहा जा सकता है।

इस तरह के ५ साल के परिश्रम से जो आम जनता का जीवन स्तर गिरा है उसको देखते हुए यह स्पष्ट है कि इसी वजह से इस साल नये टैक्स नहीं लगाये गये, वह लगाना चाहते थे लेकिन वास्तविकता यह थी कि टैक्स लगाने की गुंजायश ही नहीं रह गई थी कि जनता पर अब और टैक्स लादा जा सकता। जिस जनता ने अपने टैक्स से ४० करोड़ रुपए की आय को बढ़ाकर २ अरब कर दिया उस गरीब जनता की स्वयं की आय बराबर लगातार गिरती गई और वह भी उस हालत में जब कि अरबों रुपया उसके जीवनस्तर के उत्थान के लिये खर्च किया गया है। किसी को मतभेद हो सकता है कि जीवनस्तर देहात के लोगों का गिरा, शहर के लोगों का नहीं गिरा या शहर के लोगों का गिरा देहात के लोगों का नहीं गिरा। जीवनस्तर की गिरावट प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कुप्रभाव है, किसी की बख्शिस नहीं है। सन् ५५ में एक ग्राम का आदमी १९९ रुपया कमाता था और ५९ में फिर वह १९९ ही कमाने लगा ५ साल बाद भी। जहां तक शहर का संबंध है, १९५५ में ७१२ रुपया कमाता था और १९५९ में ६७३

रुपया कमाने लगा। बहुत तरक्की हुई! तीन दिन चला, चौबीस घंटे चला और तीन फरलांग पीछे जा पड़ा जहां से चला था। इन असफलताओं का कारण क्या है? प्रदेश की जनता की गिरती हुई आर्थिक स्थिति और बढ़ते हुए टैक्सों का रहस्य क्या है? इस प्रदेश की सरकार समाजवाद की बात और योजनानुगामी अर्थ-व्यवस्था की बात कहती है, लेकिन वह न योजना को समझती है और न सोशलिज्म को समझती है। जो घोड़ा उसे सवारी करने के लिये मिल गया है उस पर सवारी करना ही जानती है? घोड़ा भी जिस तरह से चलता है उस तरह से चलता रहे। अगर उनके सामने प्लान हो और परिश्रम करें और जो अरबों रुपया नव-निर्माण के लिये मिलता है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें तो कोई वजह नहीं है कि अगर बिजली के मामले में सिस्टेमेटिक प्रगति हो सकती है तो दूसरे क्षेत्रों के अन्दर वह प्रगति न हो।

सिंचाई पर सरकार ने पचासों करोड़ रुपया अब तक खर्च किया। बहुत-सी नहरें बनवाईं और ट्यूबवेल चलाये। लेकिन ईमानदारी की बात है, तीन चार जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की बात मैं जानता हूं व्यक्तिगत तरीके से, आज से ९–१० वर्ष पहले किसानों की जो मांग थी सिंचाई की वह अब तक घटी नहीं है। इसी तरह से अलाभकर जोतों का प्रश्न है। दो-दो और एक-एक एकड़ वाले किसानों के संबंध में शुरू से यह मांग रही है कि इन अलाभकर जोत वालों की मालगुजारी माफ होनी चाहिये, लेकिन सरकार आज तक सोचने को तैयार नहीं है।

इसी तरह से एक बहुत बड़ी जन-संख्या है हर एक ग्राम में करीब ५० प्रतिशत, पुराने दस्तकारों की जिनके लिये कोई रोजगार नहीं है। आज सब से बड़ी और पेचीदा समस्या देहातों में उनकी आबादी की है। आज से १० वर्ष पहले जो झोपड़ियां बनाई गई थीं आज भी गांव का एक चमार, मेहतर और खटिक उसी में रहता है। जहां उसकी भैंस बंधती है, सुअर रहते हैं, मां सोती है और बच्चे सोते हैं। पंचायतराज कानून बना, जमींदारी खात्मा का कानून बना लेकिन आज तक सरकार ने इनके मुताल्लिक सोचने की परवाह नहीं की।

इसी प्रकार से चकबन्दी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। सब से बड़ी समस्या यह है कि कानून डिफेक्टिव है। चकों के लिये रास्ता नहीं दिया गया। आज से ३० वर्ष पहले जो बन्दोबस्त हुआ था उसी को बुनियाद बनाकर चकबन्दी जमीन की किस्म तय करती थी। जिन तहसीलों में चकबन्दी का काम हो गया है, उन चकों में जाने के लिये किसानों को रास्ता तक नहीं मिलता है। इस तरफ जब अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो वह अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं। इसलिये मैं इस तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में एक ही बात आयी जिसका मैं बहुत हल्की दृष्टि से समर्थन कर सकता हूं और वह यह कि चौथी श्रेणी के राज कर्मचारियों को जो यात्रा भत्ता के संबंध में सुविधा दी गई है। लेकिन आज भी पी० डब्लू० डी०, सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग में पयूडल रेमनेंट्स बाकी है। १५, २०, ३० साल नौकरी करने के बाद इन विभागों के अन्दर आदमी मुस्तकिल नहीं हो पाते। आज भी मस्टर रोल, जो गुलामी की निशानी थी, इन तीनों विभागों में कायम है और एक ठेकेदार, एक मेट और एक छोटा-सा ओवरसियर जब चाहे किसी को कह सकता है कि तुम कल काम करने नहीं आओगे। मैं कहता हूं कि यह सरकार के चेहरे पर एक कलंक का टीका है कि जिसके राजकर्मचारी १०–१५ साल नौकरी करने के बाद भी अपनी नौकरी असुरक्षित समझते हैं। यह अराजकता है, अव्यवस्था है। सरकारी मुलाजिम को सर्विस की गारन्टी मिलनी चाहिये। डेमोक्रेसी के टाइम में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जीविका की कुछ न कुछ गारन्टी हो।

इसके अलावा मैं यह उचित नहीं समझता कि पूर्व और पश्चिम का सवाल यहां उठाऊं। लेकिन प्रदेश के पूर्वी अंचल में औद्योगिक विकास, नई सभ्यता का प्रकाश

[आचार्य बीरंकर]

पहुंचे, इसके लिये सरकार की तरफ से किसी भी बजट में आज तक ठोस सुझाव नहीं रखे गये। मैं समझता हूं अगर यह पूरा प्रदेश बनारस के आप-पास तक ही रहने लगे तो सम्भव है कि हम लोग ज्यादा खुशकिस्मत होंगे। सवाल मगर यह है कि अगर पूर्वी यू० पी० का यह हाल है तो पश्चिमी यू० पी० के बारे में वित्त मंत्री जी और सरकार यह समझती है कि वह तो बहुत खुशहाल है, वहां किसी प्रकार की योजना की आवश्यकता नहीं है। काफी लम्बे अर्से से जमुना के ऊपर एक पुल की हमने मांग उठायी और बार-बार उसको बांस लेकर नापने वाले पहुंच जाते हैं। मगर वह पूरा शायद इस सरकार के जीवन में नहीं हो पायेगा।

हाईकोर्ट की एक शाखा के लिये पश्चिमी जिलों के लिये मांग की गई। दूर-दूर से लोग न्याय के लिये आते हैं और इसी वजह से आज पश्चिमी यू० पी० के अन्दर एक दुर्भावना पैदा होती जा रही है। मैं इस भावना का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि किसी प्रकार से इस प्रदेश का बटवारा हो और एक विशाल दिल्ली और हरियाना प्रान्त का निर्माण हो। अगर इस भावना का कोई असर पैदा होता है तो उसकी एक वजह यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक सर्किट बेंच पश्चिमी यू० पी० में नहीं खोली जाती।

इस बजट के मुख्य कलेवर के संबंध में जो आलोचना विरोधी पक्ष के सदस्यों ने की है, मैं पूरी तरह से समर्थन करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि इस बजट में जो सब से बड़ी कमजोरी और निराशावाद है, इसका कारण यह है कि पिछले कालों में विकास के नाम पर जो जनता का शोषण किया गया और उस कष्ट संचित धन का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है उससे खुद दुरुपयोग करने वालों को भी आत्मसंतोष नहीं है और इसी वजह से इसके अन्दर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता।

मेरे एक साथी ने इस बात को कहा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां टिकना कठिन था वहां माननीय वित्त मंत्री ने खड़े होकर साहस दिखाने की कोशिश की। जिस तरह से ये चार साल बीते हैं योजना के, और जिस प्रकार से पहले ५ साल बीते हैं उसी प्रकार से अगला साल भी बीतता है तो जब चुनाव के समय जनता के सामने राजनीतिक पार्टियां जायंगी तो उनसे वह कहेगी कि अगली तृतीय पंचवर्षीय योजना की भी वही हालत होगी जो पिछले १० वर्षों में हुई है। इससे ज्यादा अहित देश का दूसरा नहीं हो सकता जो इस सरकार ने किया है। मैं यह नहीं कहता कि बजट मंजूर नहीं होना चाहिये, अगर नहीं होता तो जो दुरुपयोग व अपव्यय होता है वह तो बन्द हो जायगा, इसमें मुझे खुशी है लेकिन जो थोड़ा बहुत काम होता है वह भी बन्द हो जायगा। इस बजट को स्वीकार न किया जाय, यह बात मैं नहीं कहता लेकिन यह जरूर कहता हूं कि इस सरकार को बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है और आत्म आलोचना की आवश्यकता है कि जनता से संचित धन का उसके हाथों बहुत दुरुपयोग हुआ है, इससे ज्यादा निन्दा की बात दूसरी हो नहीं सकती। एक-एक पैसा करके धन जमा किया जाता है और उसके खर्च का हिसाब लगाया जाता है और जब पूरा साल हो जाता है तो करोड़ों रुपये बजट के निकल आते हैं। अपहरण और दुरुपयोग करने के बाद भी पैसा इतना सामने आकर गिर गया कि वह खत्म हो नहीं किया जा सकता, इसलिये वह सदन के सामने लाकर रख दिया गया। इन शब्दों के साथ मैं बजट की आलोचना करता हूं और आशा करता हूं कि अगली योजना के लिये क्लियर कट रूप से सोचा जायगा।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---सन् १९६०-६१ का बजट जो माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है मैं उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं। कल और आज दो दिन तक इस बजट पर बहस होती रही और इस पक्ष व उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक कुछ बातें कहीं। जाहिर है कि हर व्यक्ति के सोचने का तरीका

अलग होता है । लेकिन हम लोगों को जो एक पार्टी के हैं जिन्होंने इस बात को तय किया है कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में एक दिन वह ले आना है जिसके आधार पर इस देश का प्रत्येक प्राणी अच्छी तरह से रह कर संसार में अपने को एक स्वतंत्र आदमी कह सके । इसके लिये कितना काम करना पड़ेगा, यह सोचने कि बात है और उस सोचने के आधार पर सारे कामों का कैसे पूरा किया जायगा, यह सोचने की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि उभय पक्ष ने इस मामले में हमेशा नकारात्मक उत्तर दिया है । प्रजातंत्र की दुहाई बड़े जोर से दी गई है । इस देश में प्रजातंत्र पनपा इस बात का तो बड़ा उत्साह दिखाया गया है, परन्तु सक्रिय रूप से होता यह आया है कि किसी भी तरीके से, किसी भी बात पर सहयोग नहीं दिया गया । हर साल बजट पर बहस होती आई । अगर माननीय सदस्य इस बात को निष्पक्ष भाव से देखने की चेष्टा करें तो उभय पक्ष से हमेशा यह बात आई है कि बजट निराशाजनक है, ढीला लिखा गया है, अधिकारियों ने सोते हुये लिखा है, वित्त मंत्री ने उसे देखा नहीं है । लेकिन ५-६ वर्षों से उन लोगों ने जिनके पास आंखें हैं देखा कि सड़कें, नहरें, बिजलीघर, अस्पताल, स्कूल और भी मनुष्य के जीवन के लिये जितनी आवश्यक सामग्रियां होती हैं और जो ब्रिटिश राज्य में नहीं थीं वे यहां बनीं और उनको इसी सरकार ने बनाया है और उस पर इस पक्ष और उस पक्ष के आदमी जो गांवों और शहरों में रहते हैं, सब ने चलने की चेष्टा की है । फिर भी इन तमाम बातों को देख कर अगर यह कहा जाय कि हमने देखा नहीं, हम जानते नहीं तो भगवान को ही दोष दिया जा सकता है, इन्सान को नहीं ।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

बार-बार पूज्य बापू की इस सदन में दुहाई दी जाती है और इस सदन से बाहर, बहुत कुछ नसीहतें सब को दी गईं । यह ठीक है कि प्रजातंत्र के लिये उन्होंने बहुत-सी बातें कहीं, लेकिन प्रजातंत्र के लिये उन्होंने यह भी कहा था कि जब कोई आदमी बोल रहा हो तो भले ही उसकी बात अरुचिकर हो मगर उसको शान्तिपूर्वक बैठ कर सुनना चाहिये, बीच में छेड़-छाड़ नहीं करना चाहिये । लेकिन प्रजातंत्र की दुहाई देने वाली हमारे देश की एक पार्टी जिसके एक भाई उग्रसेन जी गवाही दे रहे हैं, राजनारायण जी इस समय यहां मौजूद नहीं हैं जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि प्रजातंत्र की दुहाई इस सदन में कैसे दी जाती है । मान्यवर, वे लोग हमसे बड़े हैं और उन्हें शायद संविधान में अधिक बोलने का अवसर भी दिया गया है, इसलिये उसका फायदा उनको उठाना चाहिये, लेकिन जिस दल का वह प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस पार्टी की नीति के बारे में इतने गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि वह इस देश से गरीबी मिटायेगी, समता लायेगी, बहुत कुछ काम करेगी, वह भी यह बात जानना चाहती है कि हमारा प्रतिनिधित्व किस ढंग से वहां रखा जाता है । मैं तो हैरान हूं, बजट के बारे में इधर के कुछ लोगों ने पढ़ कर बताया और वहां बजट में पढ़ कर कुछ और लोगों ने बताया कि इस बजट में कुछ काम हुआ है, कुछ पैसा खर्च हुआ है, कुछ आमदनी आने के लिये उपाय किया गया है । बजट ३-४ दिन पहले मिला था, १०-५ साल का अनुभव भी है, स्कूल और कालेज में जाने का मौका मिला ही होगा, इन तमाम बातों को देखा जा सकता था । आचार्य दीपंकर ने कुछ आंकड़े पेश किये, माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि बजट असन्तुलित है परन्तु सन्तुलित ढंग से रखा गया है । कुछ थोड़ी-सी दबी जबान में इतना कहने की तो बेचारों ने कृपा की कि सन्तुलित ढंग से रखने वाले आदमी इधर हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ हमारी तरफ के आदमियों को समझने की भी चेष्टा करनी चहिये । समाज में उच्छृंलता बढ़ी । कहां बढ़ी, कैसे बढ़ी, यह अगर ५-६ वर्षों में हमने देखा है तो यह देखने को मिला है कि सदन में अगर किसी उच्छृंखलता की आलोचना की गई तो कौंसिल हाउस के सामने या सड़कों पर किसी भी जुलूस के आगे आगे हो लिया गया है । इस बजट में कहीं नहीं लिखा है कि उच्छृंखलता बढ़ाई जाय । इस बजट में तो यही लिखा है, इस बजट को बनाने वाली पार्टी और उसके नेता यही कहते हैं, जिन्होंने इस मुल्क में कुछ करने का जिम्मा उठा रखा है कि अभी हमें बहुत काम पूरा करना है, बहुत संतुलन के साथ कदम उठाना है और

[श्री केशव पांडेय]

उसमें प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है । आवश्यकता के लिये ही और इस सुन्दर भावना के आधार पर ही उन नेताओं ने प्रजातंत्र को अपनाने की भी बात कह रखी थी अन्यथा जिस प्रकार से छोटी और ओछी बातों को ले कर, कुछ अखबारों में नाम निकलते रहे, कुछ बोलते रहे इस भावना को लेकर यहां बातें की जाती हैं वह चलने नहीं पातीं । लेकिन हमें प्रजातंत्र को अपनाना ही होगा और उसे उसके आधार पर चलना ही होगा, इसलिये इन तमाम बातों को बर्दाश्त करना चाहिये, क्योंकि हमने इस बात का जिम्मा उठा रखा है कि इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और उसके रास्ते में आने वाली तमाम कठिनाइयों को दूर करना है । जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, जाहिर है कि उसके लिये उपाय सोचना पड़ेगा, जब भी कोई काम होता है, पैसे की जरूरत पड़ती है, जाहिर है उस पैसे को प्राप्त करने के लिये सोचना पड़ेगा कि कहां से आयेगा। जब कमी पड़ती है तो टैक्स भी लगता है । उधर बैठने वालों ने बराबर इस बात की आलोचना की है कि मालगुजारी पूरी क्यों वसूल नहीं हुई, बकाया क्यों है ? जब वसूली होती है तो उन्हीं लोगों की तरफ से कामरोको प्रस्ताव आते हैं कि वसूली क्यों हो रही है । उसकी जगह पर कोई बात नहीं बताते हैं कि अगर वसूली न हो तो क्या किया जाय ।

कुछ लोगों का यह नारा है कि अलाभकर जोतों का लगान माफ कर दिया जाय । सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, परन्तु इसका क्या रिपर्कशन होगा इसका जवाब देने के लिये कोई तैयार नहीं है, और अगर तैयार हैं तो इस बात की आशा करके वह बैठे हैं कि न उन्हें कभी हुकूमत चलाने का मौका मिलेगा और न जवाबदेही करनी पड़ेगी (व्यवधान) । हुकूमत अगर हमारे खात में न लिखी होती तो आपको उधर न बैठना पड़ता, लेकिन यह किसी ने नहीं कहा है । सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन पब्लिक को यह बताना पड़ता है कि वह सरकारों से किस प्रकार सहयोग करे । परन्तु कुछ कह देने मात्र से सरकार अगर बनती बिगड़ती होती तो भाई उग्रसेन जी कभी के बिगाड़ दिये होते, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला । इस लिये कोस कर ही संतोष कर लेते हैं ।

यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम बजट है । उसके बारे में यह कहना कि आगे कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती यह निराशावादी प्रवृत्ति है । इन पांच वर्षों में क्या हो सकता था और इस समय जो चीजें बच रही हैं उन्हें पूरा करने के लिये इस बजट में जो रखा गया है उसमें कहां तक सफलता मिल सकती है, यह कहने की जरूरत थी । मैं समझता हूं कि इस बजट में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण को पूरा करने के लिये समुचित व्यवस्था की गयी है ।

माननीय शिवराम जी ने कहा कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, गांव के रहने वालों के लिए कुछ नहीं है । तो बजट काउंसिल हाउस के लिए तो नहीं है, केवल असेम्बली के लिये तो नहीं है । यह बजट प्रदेश के प्रत्येक रहने वाले के लिए है । हां, उनके लिये नहीं है जो सोच कर यह बैठे हैं कि हम को इसकी कोई जरूरत नहीं है। परन्तु मेरा निवेदन है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है । कृषि उत्पादन की ओर जो हमारा काम होता रहा वह जरूर ही असंतोषजनक है । उसकी ओर हमारा प्रयास होना चाहिये । इसके रास्ते में जो भी बाधाएं हों उनको दूर करना चाहिये, जैसे पानी की सिंचाई बढ़ाना, नदियों से जो देहातों को क्षति होती है उसमें बाढ़ से बचाना, यह बहुत जरूरी काम हैं ।

जब हमने अपने फैसलों के मुताबिक सहकारी समितियों और श्रम समितियों का निर्माण शुरू किया है तो उसकी तरफ हमारा कदम सुचारु रूप से बढ़ना चाहिये ताकि देहात के लोग प्रोत्साहित होकर उसमें हाथ बटाएं । मैं कुछ जगहों के अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि अभी इस ओर हमारे ग्रामीण पूर्ण रूप से प्रोत्साहित नहीं हुए हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और मैं चाहूंगा कि उभय पक्ष की ओर से बजट के संबंध में कुछ ठीक सुझाव मिलें ।

डाक्टर खमानी सिंह (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे खयाल का इजहार करने का मौका दिया। यह जो बजट १९६०-६१ का हमारे सामने पेश किया गया है और यह बतलाया गया है कि यह बजट आखिरी बजट है सेकेंड फाइव ईयर प्लान का, तो मान्यवर, सेकेंड फाइव ईयर प्लान को उठाकर देखा जाय और यह देखा जाय कि हमारी सरकार ने अब तक इसमें क्या-क्या कामयाबी हासिल की है तो मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार अटर फेल्योर रही है और उसने हमको कोई तरक्की नहीं दी है।

जो लक्ष्य उन्होंने बताया है, सब से पहला बजट में लिखा है कि हमारा लक्ष्य यह है कि हम लोगों का रहन-सहन ऊंचा उठायें, उनके जीवन का स्तर ऊंचा कर दें, तो इस लक्ष्य में वह बिलकुल नाकामयाब रही है। यह माना जायगा कि जरूर उस लक्ष्य में थोड़ी-सी कामयाबी हुई है और कुछ थोड़े से हरजरतगंज के पास रहने वालों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग चाहे बढ़ गया हो या कुछ सरकारी कर्मचारियों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ गया हो, लेकिन देहात के रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग तो पहले से नीचा हो गया है। अगर माननीय मंत्री जी इस बात को जांचना चाहें तो मैं पचासों गांवों के नाम बता सकता हूं जिनकी हालत पहले से अबतर हो गई है। उन गांवों में पहले के मुकाबिले में लोगों की माली हालत, खान-पान की हालत और रहन-सहन का स्टैंडर्ड बिलकुल नीचा होता चला जा रहा है। हां, यह मानना पड़ेगा कि शहरों में कुछ लोगों को, जिनको ऊपर से आमदनी है, ब्लैक मार्केट से आमदनी है, रिश्वत की आमदनी है और चोरी की आमदनी होती है उनका स्टैंडर्ड आफ लिविंग जरूर बढ़ गया है। सरकारी अफसरों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग जरूर बढ़ गया है और यह भी मानना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं कि जो दो दो-सौ रुपये तक के सरकारी कर्मचारी हैं वह भी आज कार रख रहे हैं, लेकिन मैं चैलेन्ज करता हूं माननीय मंत्री जी को कि वह एक काश्तकार की मिसाल भी बता दें जिसके पास कि कार हो। एक काश्तकार की भी मिसाल नहीं बता सकते जिसका कि पहले से कुछ स्टैंडर्ड आफ लिविंग हाई हुआ हो। कुछ थोड़े से काश्तकार जो आगे बढ़ रहे हैं, वह महज काश्तकारी की वजह से नहीं बल्कि उन्होंने कुछ और तरीकों से आमदनी अपनी बढ़ाई है। या तो वे पुराने जमींदार हैं या और कोई जरिया उनके पास है। कोई लड़का नौकर हो गया है और उसने इधर-उधर से उलटफेर करके कुछ पैदा कर लिया है, तो उसने तो कुछ स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ाया है। लेकिन वैसे काश्तकार को आप देखें तो उसका स्टैंडर्ड आफ लिविंग गिर गया है, उसकी आमदनी कम हुई है।

जैसा माननीय नारायणदत्त जी ने बताया, देहात की पर कैपिटा इनकम घट गई है। अभी दीपंकर जी ने बताया कि रोज-बरोज उनकी इनकम घटती जा रही है, इस पर हमको शर्म आनी चाहिये। सोचना चाहिये कि क्या वजह है कि इनकी आमदनी दिन ब दिन घटती जा रही है? मान्यवर, कांग्रेस राज्य आने के बाद हम यह समझते थे, हमारे गांव वाले यह समझते थे कि हम मुसीबतों से निजात पायेंगे। जैसा कि कांग्रेस का नारा था कि गांवों में गांवों का राज्य होगा, दूध की नदियां बहेंगी, घी खाने को मिलेगा, तो न तो घी खाने को मिलता है, न दूध पीने को मिलता है बल्कि एक नई चीज मिलती है। पहले जमाने में जब कि हम छोटे-छोटे थे तो मैं देखता था कि ज्वार जो हमारे यहां पैदा होती है उसकी रोटी नहीं खायी जाती थी, सिर्फ जानवरों को खिलाने के काम वह आती थी। आज ९९ फीसदी काश्तकार ज्वार की रोटी खाते हैं। वजह सिर्फ यह है कि ज्वार बमुकाबिले और अनाजों के सस्ती है। उनकी आमदनी इतनी गिर गई है कि वह मजबूर हैं ज्वार खाने पर। पिछले जमाने में बेझड़ खाया जाता था जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर वगैरह होता था। आज जो बेझड़ खाया जाता है उसमें गेहूं नदारद है। अब काश्तकार महज जौ और मटर खाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बजाय उनका स्टैंडर्ड ऊंचा उठने के और लो हो गया है और दिन ब दिन लो होता जा रहा है।

उसके बाद मंत्री जी ने एक चीज ऐग्रीकल्चर के मुताल्लिक कही है कि हमने क्या-क्या तरक्कियां की हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं। आपने हमको यह लुभावना और सुहावना

[डाक्टर खमानी सिंह]

बाग दिखाकर के कि हम जमींदारी एबालिश कर रहे हैं किसानों को एक कसाई के हाथ से छुड़ाकर दूसरे कसाई के हाथ में दे दिया है और उसको अब नोचने वाले बहुत से अफसर हैं।

मान्यवर, आज अगर आप देखें तो लेखपाल की वह ताकत है कि वह किसी भी काश्तकार को जिन्दा कर सकता है और किसी भी काश्तकार को मार सकता है। वह आज एक आदमी की जमीन दूसरे के नाम लिख सकता है और कल वह आदमी बेदखल हो सकता है। मान्यवर, आपके सामने दो चीजें मौजूद हैं। एक ग्राम सभा और दूसरी ग्राम समाज। ग्राम सभा के मालिक सेक्रेटरी साहब हैं और ग्राम समाज का मालिक पटवारी है। मान्यवर, मैं एक बहुत अच्छी मिसाल आपको बतलाऊं कि एक मौजे के बाजार का ठेका खत्म हो गया। उस बाजार के लिये सेक्रेटरी साहब और पटवारी साहब ने मिलकर दो हजार रुपया लेकर ठेका एक हजार सालाना पर दूसरे को दे दिया। उस बाजार को नीलाम नहीं किया गया। जब मुझे मालूम हुआ कि उस बाजार को नीलाम नहीं किया गया और रिश्वत लेकर दे दिया गया तो मैंने दौड़धूप की और डी० एम० से कहा कि इस तरह से हुआ। उन्होंने कानून को इधर देखा और उधर देखा। परिणाम यह हुआ कि उस बाजार को बाद में चार हजार रुपये पर नीलाम किया गया। जब यह हालत आपके कर्मचारियों की है तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं और वह कौन सा तरीका है जिससे हम दुनियां में जिन्दा रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? सेक्रेटरी साहब का यह हाल है कि जो टैक्स ग्राम पंचायत का वसूल होता है उसका बड़ा दुरुपयोग होता है। सब से बड़ी मुश्किल यह है कि सरकार न मालूम यह कैसे समझती है कि हमारे पास कितना खजाना है। जब यह सरकार ही खुद ११ साल की पे अपने कर्मचारियों को एकदम नहीं दे सकती है तो फिर हम कैसे ग्यारह साल का टैक्स अदा कर सकते हैं? जिस वक्त हमारे ऊपर टैक्स लगाया गया तो उसको वसूल क्यों नहीं किया गया? सरकार अपने पास से कुछ देने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुमने अदा नहीं किया है। हम यह कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। क्या वह इसलिये हमारी मदद नहीं करती कि वह टैक्स वसूल नहीं होता है? यह सरकार के अफसरों की कमजोरी है और उनकी नेग्लीजेन्स है। कुछ जो वसूल हुआ है उसके दुरुपयोग को अगर आप देखें तो मालूम होगा कि उसमें ६० फीसदी वेस्टेज हुआ है।

इसके साथ-साथ दूसरी चीज आपने फरमाई कोआपरेशन की। यह बड़ा अच्छा उसूल है। उसमें कुछ थोड़ी सी झलक यह मिली कि आप किसी रेजोल्यूशन के मातहत कोआपरेशन करने जा रहे हैं। जहां तक कि इस कोआपरेशन का सम्बन्ध है वह बहुत अच्छा है, लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि हम कहां तक इस उसूल को मानने वाले हैं। मान्यवर, यह वही मिसाल है कि "खुदरा फजीहत दीगरे नसीहत", यही बात कोआपरेशन के बारे में आती है। क्या हमारे मंत्री महोदय, क्या हमारे इस हाउस के ४२०+११ मेम्बरान यह बता सकते हैं कि आपमें कितना कोआपरेशन है? आज आप कोआपरेशन की बात करते हैं लेकिन जब यहां पर ४३१ में ही आपस में कोआपरेशन नहीं हो सकता है तो हम कैसे मान सकते हैं कि आप और हम पांच करोड़ जनता से कोआपरेशन चाहते हैं? मान्यवर, एक बहुत मामूली बात है, अगर मैं यहां पर खड़ा होकर कोई तकरीर करता हूं और यह चाहता हूं कि लोग मेरी बातों पर अमल करें तो पहले मुझे खुद उन बातों पर अमली जामा पहनाना पड़ेगा। खाली बातों से ही काम नहीं चल सकता है। हम लोगों से कोआपरेशन की बात करें कि आप कोआपरेशन कीजिये और बजातखुद उन पर कोई अमली कदम न उठायें तो वह बात चल नहीं सकती है। जहां तक कोआपरेशन के उसूल का ताल्लुक है, मैं इसके खिलाफ नहीं। यह अच्छा उसूल है इससे तरक्की हो सकती है लेकिन उस सिद्धान्त को कार्यान्वित भी तो करना चाहिये। अगर कोई आदमी अपने आपको आफर करना चाहे तो आप कोआपरेशन से उससे मिलिये। यहां पर जितने भी मुखालिफ लोग बैठे हुये हैं, चाहे यह गलत ही बात कहते हों, लेकिन आप कोशिश कीजिये। इनको और अपने को

आप ऐसे सांचे में ढालिये जिससे ये भी मुल्क की तरक्की में साथ आयें । लामुहाला इनको मानना पड़ेगा, लेकिन आप वह तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं । आप मनमानी बातें करते हैं । यह बजट पास करने में हजारों रुपया खर्च होगा । यहां पर बेकार बहस होगी और यह बजट पास होगा । वह सब बहस बेकार जायगी । अगर आप यह चाहते कि जो ६०-६१ का बजट तैयार करना है उसमें इधर के लोगों से पूछते कि आपकी क्या राय है, आप क्या सुझाव देते हैं, और २, ४ सुझाव इधर से मान लिये जाते और जो आपकी समझ में आता उसको ही आप मान लेते तो इतना समय भी न लगता और गरीब काश्तकारों का यह पैसा, जो पास होने में खर्च होगा वह बच जाता और उनके विकास के काम में आता ।

मान्यवर, कोआपरेशन की कुल बात मैं मिसाल के तौर पर बता दूं । हमारे यहां मुरादाबाद में कन्ज्युमर्स कोआपरेटिव सोसाइटियां बनीं । हर एक आदमी से १० रुपया शेयरमनी जमा कराया गया । मैंने भी एक शेयर खरीदा । उस में इस तरह से करीब डेढ़ लाख रुपया इकट्ठा हो गया और उस रुपये को सारे कोआपरेटिव सोसाइटीज के सेक्रेटरी और कर्मचारी लोग खा गये । शिकायतें भेजी गयीं कि पता लगाया जाय कि यह रुपया किसके पेट में है ,लेकिन उसकी छानबीन का कोई सवाल नहीं उठा ।

देहात के लिए एक दूसरी गन्ना सोसाइटी बनायी गयीं । उनका हाल सुनिये । उनका उद्देश्य है कि हमारा गन्ना सही वक्त पर बिकवायें, सही दामों पर बिकवायें और हम लोगों को, काश्तकारों को, मिल वालों के एक्सप्लायटेशन से बचावें । इनका उद्देश्य है कि मिल वालों की चोरी से किसानों को बचायें, लेकिन इनके कर्मचारी और मिल वालों के कर्मचारी एक ही कमरे में रहते हैं, एक साथ रहते हैं और यह चोर और सिपाही एक साथ काम करते हैं । तो बजाय किसानों को फायदा पहुंचाने के वे और नुकसान पहुंचाते हैं । अगर इसी किस्म की कोआपरेटिव सोसाइटीज बनीं तो न मालूम हमारा क्या हश्र होगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोआपरेटिव के ढांचे में अपने को ढालना चाहते हैं तो उस के लिए पहले हमें अपने को तैयार करना होगा और उस के बाद जब हम दूसरों से कहेंगे तो उन पर उसका कुछ असर हो सकेगा । नहीं तो इस तरह से केवल कहने से और कागजी कार्यवाही करने से केवल अटर फेल्योर ही होगा, काम कुछ नहीं हो सकेगा ।

इसके बाद इरिगेशन के बारे में इस में काफी लिखा है कि हम ने यह किया वह किया । इस के बारे में थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं । हमारे मुरादाबाद जिले में एक तहसील मुरादाबाद है जिसकी आबादी ढाई करोड़ है ।

श्री अध्यक्ष--कितनी ?

डाक्टर खमानी सिंह--I am sorry । ढाई लाख है । मैं माननीय मन्त्री जी से पूछूंगा कि उस में कितने ट्यूबवेल हैं, कितने रहट के कुवें हैं और कितनी नहरें वहां उन्होंने निकाली हैं ? हर एक शख्स अपने घर को देखता है । जैसा उसका घर होता है वैसा ही वह बाहर का अन्दाज करता है । अगर घर में खीर देखता है तो समझता है कि बाहर भी खीर बन रही होगी । मैं मुरादाबाद तहसील का रहने वाला हूं । मैं जानता हूं कि वहां कोई तरक्की नहीं हुई तो मैं क्या समझूंगा कि प्रदेश में कहीं कोई प्रगति हुई है ? जब हमारे यहां प्रगति होगी तो मैं समझूंगा कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी प्रगति हुई होगी । अगर घर में कुछ नहीं है तो बाहर सब कुछ होने से फायदा क्या ? मेरी नेगी जी से बात चीत हुई । मैंने उन से कहा कि कम से कम रहट के कुओं के लिए हम लोगों को तकावी दे दीजिये ताकि हम तहसील में कुछ कुवें लगा सकें और लोग अपनी आबपाशी कर सकें । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा । गन्ना सोसाइटी वाले कहने लगे कि दो लाख रुपया हम देंगे , आप कुवें लगवा लें । हम तहसील में गये, वे गये । लोगों से प्रार्थनापत्र लिये और उनसे कहा कि आप को कुएं लगाने के लिए तकावी मिलेगी, लेकिन आज तक उन के प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और

[डाक्टर खमानी सिंह]

मरादाबाद तहसील की आबपाशी की समस्या जैसे अंग्रेजों के जमाने में थी, वैसी आज भी है। इस तहसील का जिसकी आबादी मैंने ढाई लाख आपको बतायी, खुश-किस्मती या बदकिस्मती से वहां के बोर्ड में मैं चेयरमैन एजुकेशन रह चुका हूं। वहां एक भी मिडिल स्कूल नहीं था। १९३८ में मैंने एक मिडिल स्कूल खोला। उस तहसील में आज भी कोई हाई स्कूल नहीं है। आप सोचिये, ढाई लाख की आबादी है, एक भी हाई स्कूल नहीं है, एक भी सड़क नहीं है। वह एक बहुत ही बैकवर्ड इलाका है। इस तहसील का कनेक्शन शहर मुरादाबाद से है। एक रामगंगा का सिर्फ रेलवे का पुल है जिस पर रेल और तमाम किस्म की गाड़ियां और पैदल यात्री उतरते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसके मुताल्लिक दूसरा पुल बनवाने को पचासों दरख्वास्तें मैंने भी और दूसरों ने भी दी हैं। वहां सुबह से शाम तक १२-१२ घंटे रोज गाड़ीवानों को खड़े हुए हो जाता है। मैं दरख्वास्त करूंगा मन्त्री जी से कि वह एक दो रोज बैलगाड़ी से दौरा कर लें। जब मिनिस्टर साहब वहां जाते हैं तो थानेदार और स्टेशन मास्टर खड़े हो जाते हैं। स्टेशन वालों से कहा जाता है कि मिनिस्टर साहब की कार आ रही है और उन के लिए टाइम मुकर्रर कर लिया जाता है। उन की कार निकल जाने में आसानी होती है, मोटरें भी निकल जाती हैं, लेकिन बैलगाड़ी वालों को सुबह से शाम तक १२-१२ घंटे खड़ा रहना पड़ता है। तो बताइये कि १२ घंटे तक जानवर धूप में खड़े रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या हालत होगी ?

एक चीज और इम्पार्टेंस की है और इस पुल के बनाने की इम्पार्टेंस और बढ़ गयी है। जैसा कि मन्त्री जी ने शोशा दिया है, शुमाल की तरफ से हमें खतरा है, सरहद पर हमला हो रहा है और कोई सड़क नहीं है सिवाय इस सड़क के जो शुमाल को मिलाये देहली से, ब्रिज कोई नहीं है। अगर खतरा बढ़ गया तो रामगंगा पार नहीं कर सकेंगे। कोई दूसरा रास्ता इस सड़क पर पहुंचने का नहीं है, इस लिए भी यह बड़ा इम्पार्टेंट मामला था। वह बहुत ही बैकवर्ड तहसील है।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)--अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मन्त्री जी की स्पीच तथा अपोजीशन लीडर, श्री नारायणदत्त तिवारी की स्पीच को काफी गौर से सुना और मैं कुछ बातों में दोनों ही को बधाई देने के लिए बाध्य हुआ हूं। जहां तक वित्त मन्त्री जी के बजट का ताल्लुक है, पिछले साल से इस साल कई बातों में इस में नयी बातें शुरू करने का संकेत है और काम का भी फैलाव ज्यादा है। जहां तक अपोजीशन लीडर्स का ताल्लुक है, मेरा खयाल है कि इस सदन में मुझे सन् ४६ से बराबर यहां या कौंसिल में रहने का मौका हुआ है। अपोजीशन लीडर की ओर से जो स्पीच इस बार हुई वह अपने नये ढंग से एक नया ढंग की थी, उनका नया और खुशगवार तरीका था जिस ने बहस के सारे प्रवाह के ऊपर असर डाला है। यही कारण है कि अपोजीशन की स्पीचेज का जो प्रवाह पड़ गया है उस में इस साल कम चर्चा है भ्रष्टाचार की, कम चर्चा है जनरल किस्म की और ज्यादा चर्चा है स्टैटिस्टिक्स की। यह असर पड़ा है और उसके लिए नारायणदत्त जी तिवारी को मैं मुबारकबाद देता हूं।

जहां तक उनकी स्पीच में किसी विरोध का ताल्लुक है, वह मुझे दिखायी नहीं दिया और मुझे उस के सम्बन्ध में जवाब देने की गुंजाइश नहीं है। किन्तु मौलिक तरीके से उन्होंने भी गवर्नमेंट के किसी कार्य को, उसकी किसी बुनियादी पालिसी को या उसके किसी नये कार्य की प्रणाली पर अटैक नहीं किया है। एजुकेशन के मामले में, इन्डस्ट्री के बारे में, या अन्य मामलों में कहां पर किसी मौलिक तब्दीली की जरूरत है उस को उन्होंने नहीं बताया है। हां, कुछ बातों में इख्तिलाफ राय हो सकती है, लेकिन उन बातों में जाकर मुझे अपना समय लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो मुझे थोड़ा सा समय मिला है उस समय में जिन बातों पर इस बजट डिबेट में चर्चा होनी चाहिए, उन की ही मैं कुछ चर्चा करूंगा।

बजट की बातों को तीन तरीके से आंकता हूं। एक तो यह कि सरकार की जो पालिसी हो उस पर चर्चा हो। इधर से भी हो और उधर से भी हो। उसमें चाहे उसके खिलाफ राय हो या माफिक में हो। इस सम्बन्ध में दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। दूसरी, जो पालिसी है उसके इम्प्लीमेन्टेशन के सम्बन्ध में विचार होना चाहिए, यानी जो रुपया उन पालिसीज को चलाने के लिए लगाया जा रहा है उसका ठीक तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं, उसका ठीक तरीके से इम्प्लीमेन्टेशन हुआ है या नहीं। तीसरी यह कि उन पालिसीज में जो रुपया जनता का खर्च हो रहा है उसका समूचा जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, यानी जनता हमारे बजट को किस नजर से देखती है--इसको व्यक्त करना चाहिए। इन्हीं तीन बातों पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

जहां तक जनरल पालिसीज का ताल्लुक है, मेरा खयाल है यह बजट एक ऐसी सरकार का बजट है जो इस प्रदेश का १३-१४ साल से बराबर शासन करती चली आ रही है। इसलिए उसकी पालिसी को हम आज एक साल से नहीं देख सकते, उसका समूचा एक क्रम है और उस क्रम के आधार पर उसे अपनी राय कायम करनी पड़ती है। मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि सरकार की कुछ पालिसीज बहुत ही उपयोगी साबित हुई हैं। कृषि के सम्बन्ध में, लैन्ड रिफार्म्स के सम्बन्ध में, सीमा के सम्बन्ध में, कन्सालिडेशन के सम्बन्ध में और जो उसके बाद अब कोआपरेशन आ रहा है, उसके सम्बन्ध में सरकार का जो बुनियादी तरीका है उसे मैं ठीक ही समझता हूं। हां, कुछ प्लानिंग के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि उस पर रिथिंकिंग करना चाहिए, अज सरे नौ गौर करना चाहिए। जैसे शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा खयाल है उस में कितना ही रुपया आप बढ़ावें, किन्तु अगर शिक्षा का यही स्तर है तो उस से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह से उस के नतीजे अच्छे निकलने वाले नहीं हैं और वह खराब ही हो सकते हैं। तो शिक्षा के बारे में आज आमूल परिवर्तन की जरूरत है।

इसी तरीके से मैं समझता हूं कि ऐडिमनिस्ट्रेशन के बारे में तब्दीली की जरूरत है। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अभी बंगलौर सेशन में, आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ने भी इस तरह का एक प्रस्ताव पास किया है और हम प्लानिंग के तजुर्बे के बाद भी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि मौजूदा जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, उसमें आमूल परिवर्तन करना जरूरी है, ताकि जो मशीनरी आज कार्य कर रही है और जिससे हम काम लेना चाहते हैं वह मशीनरी उपयुक्त साबित हो सके। यह सही है कि कहीं-कहीं पर खामियां हैं। मैं यह नहीं कहता कि कहीं पर कोई खामी है ही नहीं। जहां पर आंकड़ों का जाल रखा गया वहां पर मैं समझता हूं कि थोड़ा-सा उसकी तह में भी जाने की हम को जरूरत है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि खाद्य का वितरण काफी हुआ है। बीज बांटा गया है, लोगों के लिए नहरें व कुवें बनवाये गये हैं। जब इतना सब कुछ हुआ है तो हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है? इस चीज को हमें देखना चाहिए। इसके लिए जो आंकड़ दोनों तरफ से प्रस्तुत किये जाते हैं वे ही बहस का स्तर नहीं हो सकते। हमें देखना होगा कि गांव के लोगों की जिन्दगी में, उन के रहन-सहन में क्या परिवर्तन हुआ है। आज गांव में आप देखें। गांवों में लड़के साइकिल पर पढ़ने जाने लगे हैं और दूसरी चीजों को भी करने लगे हैं। ऐसी चीजें दिखायी देती हैं जिनसे आप को पता चल जायगा कि उन की जिन्दगी में एक फर्क आ रहा है। बहरहाल मैं कह सकता हूं कि चाहे स्टैटिस्टिक्स से यह बात साबित होती हो या न साबित होती हो, लेकिन कृषि के क्षेत्र में तरक्की हुई है। थोड़ी बहुत जानकारी के बाद मैं यह कह सकता हूं कि कृषि का जहां तक ताल्लुक है, उसका जो फैलाव हुआ है उससे गांव के लोग बहुत सी कृषि की योजनाओं और टेक्नीक्स में विचार करने और दिलचस्पी लेने लगे हैं। अब यह दूसरी बात है कि यह दिलचस्पी उतनी न हुई हो जिससे कि वे फूड प्राब्लम को हल कर लेते, लेकिन यह कहना कि कृषि के सुहकमे से या जमींदारी के एबालिशन से या कृषि के अन्दर जो ऐग्रीकल्चरल टेक्नीक्स लोगों तक पहुंचायी गयी हैं उनको लोगों ने पकड़ा नहीं है, मैं समझता हूं कि यह नाइन्साफी होगी।

इसी तरीके से जहां तक कोआपरेशन का ताल्लुक है यह सही बात है कि लोगों में अब कोआपरेशन क भाव आने लगे हैं। यह दूसरी बात है कि उन्होंने अभी कोआपरेशन के सिद्धान्त

[श्री गोविन्द सहाय]

और दर्शन को डाइरेक्ट न किया हो, लेकिन लोग इतना तो जरूर समझने लगे हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने में फायदा होता है। तो इस तरह से फायदे के साथ लोगों में कोआपरेटिव वे आफ थिंकिंग बढ़ती है। जब कोई चीज नयी लायी जाती है तो उसका फैलाव इसी प्रकार से होता है। आप कह सकते हैं कि अभी लोगों में खुदगर्जी की मात्रा है, उन को कर्जा मिल जाता है इस लिए वे इस में दिलचस्पी दिखलाते हैं। यह सही बात है कि शुरू में लोकल इन्टरेस्ट लोगों में पैदा होता है लेकिन कैसे इसको ठीक चलाया जाय यह सवाल ऐडमिनिस्ट्रेशन का पैदा होता है। किस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा अच्छा बनाया जाय, गांव के लोगों में किस तरह से आस्था इस के प्रति पैदा हो इसका सम्बन्ध ऐडमिनिस्ट्रेशन से है, लेकिन जहां तक पालिसीज का सवाल है, मैं कहूंगा और मेरा विश्वास है कि कोआपरेटिव फार्मिंग और स्टेट ट्रेडिंग की पालिसी जो अभी चालू नहीं हुई है, वह आज नहीं तो कल चालू करनी होगी। अगर सरकार को अन्न की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है तो वह उस वक्त तक पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकती जब तक कि उत्पादन से लेकर वितरण और मार्केटिंग तक अपने हाथ में नहीं लेती। अगर आप चाहते हैं कि सरकार स्टेट ट्रेडिंग न करे, कोआपरेटिव फार्मिंग न हो, ऐग्रीकल्चरल एक्सटेंशन न हो तो फिर कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकती जब तक कि वह स्ट्रक्चरल तब्दीली न करे।

दूसरी बात इशारतन मुझे यह निवेदन करनी है कि हमारे देश की जो पालिसीज हैं वह साउन्ड हैं, उनमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में खामियां हुई हैं। आज हमारा करोड़ों रुपया जो नहरों और ट्यूबवेल्स में लगा हुआ है,एलेक्ट्रिसिटी में लगा हुआ है उस को मुनाफा देना चाहिए लेकिन उन से फायदा नहीं होता। यह हमारे सोचने की बात है। मैं सुझाव के तरीके पर कहता हूं कि हमारे ट्यूबवेल्स में थोड़ा सा कार्मशियल तरीका अपनाया जाय, जो वहां पर आपरेटर्स हैं उन को कहा जाय कि अगर वह अपने यहां आमदनी बढ़ायेंगे, तो उनको उस में से ५-१० फी सदी मिलेगा, तो इस से फायदा हो सकता है। इस के बावजूद मुझे यह भी यकीन है कि आज फायदा कम नहीं होता है बल्कि वह दूसरे आदमियों के पेट में चला जाता है। तो हमें इस बात पर भी सोचना पड़ेगा ताकि लोगों को ज्यादा आमदनी हो और टैक्स कम हों। इस दिशा में हम सफल नहीं हुये हैं, सरकारी अन्डरटेकिंग्स अभी मुनाफा नहीं देती हैं। हां, ट्रांस्पोर्ट विभाग हमें जरूर मुनाफा देता है। मगर वह कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि उस में हमारी मानोपाली है। अगर पी० डब्लू० डी० में ठेकेदारी सिस्टम को हटा कर कोआपरेटिव शुरू किया जाय तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आज कोआपरेटिव उन मदों में ही शुरू किया जा रहा है, जिन में सरकार को कोई हानि का खतरा नहीं है। जैसे गन्ने की बात है। कोआपरेटिव के माने हैं कि मिडिलमैन का यानी बीच वाले का मुनाफा हटे। इस लिए इन सब बातों में सरकार को रिथिंकिंग की जरूरत है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि इन सब कार्य के लिए शासकीय यानी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ठीक होने की जरूरत है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांस्फार्मेशन का पहला तरीका यह है कि डिपार्टमेंट्स में कोई आर्गेनिक रिलेशनशिप होनी चाहिए। इरिगेशन और ऐग्रीकल्चर एक साथ जाते हैं। सोशल वेलफेयर, हरिजन वेलफेयर एक साथ जाते हैं, और दूसरी वेलफेयर ऐक्टीविटीज भी इनके साथ जावें। एजुकेशन बजाते खुद रह सकता है। कई चीजें ऐसी हैं जो मेल नहीं खाती हैं। जैसे एजुकेशन और पुलिस एक साथ मेरे गले से नहीं उतरता है। एजुकेशन के लिए एक नजरिये की जरूरत है और पुलिस के लिए दूसरे जरिये की जरूरत है। हमारी मौजूदा सर्विस परसोनेल से हम एक सोशलिस्टिक सोसाइटी कायम करना चाहते हैं। उन के दिमाग का गठन एक ऐसी स्टेट में हुआ है जिस के फंक्शन्स बहुत कम थे, पुलिस स्टेट। इस समय हमारे गठन में बड़ा साहेब, छोटा साहेब, बड़ा बाबू, छोटे बाबू, यह सब क्लास रेजिमेंटेशन भरा हुआ है। इसे तोड़ना होगा। नयी आवश्यकताओं के मुताबिक उनमें नयी प्रेरणाओं को जगाना होगा। चाहे कोई माने या न माने, हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटिव परसोनेल में मेंटल रिओरियेन्टेशन की जरूरत है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव परसोनेल में, उनके दिमागों में, बेसिक तरीके से सरकार की पालिसियों को भरना होगा।

उन मुल्कों ने भी जो सोशलिज्म टोटलिटेरियन तरीके से लाये हैं, ३०, ४० साल इस में ले लिये हैं। हमारा सब का फर्ज है कि जो करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है उसका सोसाइटी में क्या असर हो रहा है, उसे न छिपावें। यद्यपि हम सोशलिस्टिक प्रोग्राम को मंजूर करते जा रहे हैं, लेकिन समाज में सोशलिस्टिक वैल्यूज नहीं जग रही हैं। आज भी समाज में ऊंच-नीच का भेद-भाव और व्यक्तिवाद बहुत है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, आज दो दिन से बजट के ऊपर बहस हो रही है। माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि बजट के ऊपर जब विवाद हो तो मुख्यतया नीति की चर्चा होनी चाहिए। यह बात बिलकुल सही है। जहां हम इस नीति को मानते हैं वहां हमें यह भी देखना जरूरी है जैसा कि उन्होंने कहा कि जो रुपया हम खर्च कर रहे हैं उसका असर जनता के जीवन पर कैसा पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह बात बहुत अच्छी है लेकिन जब हम जनता के जीवन स्तर को देखते हैं तो इस बात को महसूस करते हैं कि जो रुपया हम खर्च कर रहे हैं उसका जितना फायदा हम को होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। जनता सोचती है और इस बात को देख कर कराहती है कि जो रुपया हम टैक्स के रूप में सरकार के संचित कोष में देते हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि दुरुपयोग हो रहा है।

हमारे माननीय मदन मोहन वर्मा जी ने अमेरिका का उदाहरण देते हुये कहा कि वहां तो राकेट का प्रयोग हो रहा है और उसमें कई बार उसको असफलता मिली है। मैं समझता हूं कि वर्मा जी जैसे व्यक्ति को यहां पर इस तरह का तर्क नहीं देना चाहिए। मैं वर्मा जी से पूछता हूं कि हमारे यहां पीलीभीत में उपनिवेशन योजना कायम की गयी जिसके लिए सरकार ने ७७ लाख रुपया मंजूर कर लिया। उसका कोई सर्वेक्षण तक नहीं हुआ है लेकिन वहां सड़कें बन गयीं, वहां मकानात बन गये, जिन पर करीब ९ लाख रुपये खर्च हो गये। कलेक्टर की रिपोर्ट पर ही वह योजना मंजूर हुई थी और मालूम हुआ है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद सरकार अब उस योजना को रद्द करने जा रही है। इस तरह के प्रयोग का राकेट के प्रयोग से मुकाबला करना उचित नहीं है। यहां सवाल राकेट का नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों का है।

आज कृषि के विकास को हम देखते हैं तो एक सवाल पैदा होता है। मैं आकड़े में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय नारायणदत्त तिवारी तथा आचार्य दीपंकर जी ने बहुत सी बातें उस सम्बन्ध में कही हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो कृषि की पैदावार है वह बढ़ नहीं सकी है और तब हम कैसे समझ लें कि हमारा जो कृषि विभाग है वह बहुत तरक्की कर रहा है। हमारे फार्म्स हैं, आप झांसी के फार्म को देख लें, वहां सन् ५७ में ९० हजार का घाटा हुआ, इसी तरह से ५८ में भी ९५ हजार का घाटा रहा, रुद्रपुर फार्म में भी घाटा रहा। जहां कि हम अच्छे-अच्छे बैल देते हैं, उन्नत बीज देते हैं, अच्छी खाद देते हैं, फिर भी घाटा हो तो हम कैसे समझ लें कि इसके द्वारा हमारे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है और हम यहां तरक्की कर सकते हैं?

इसी तरह से हमें उद्योग के सवाल को भी पकड़ना है कि आखिर इस सिलसिले में क्या हो रहा है? उद्योगों के बारे में सरकार अपनी नीति साफ करे कि वह क्या करने जा रही है। चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उस बारे में सरकार की नीति साफ नहीं है कि वह क्या करना चाहती है। उसने चुर्क सीमेंट फैक्टरी तथा लखनऊ सूक्ष्म यंत्र के दो कारखाने खोल रखे हैं जिनका वह हमेशा गुणगान करती रहती है। जो चुर्क सीमेंट फैक्टरी खुली हुई है उसकी हालत यह है कि हमारे देश में जितनी सीमेंट फैक्टरीज खुली हुई हैं उन सब से ज्यादा वहां पर खर्चे का भार पड़ता है। कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है उससे मालूम हुआ है कि वहां पर अफसरों के लिये जो बंगले बने हैं उनमें १० रुपये प्रति वर्ग फीट की जगह ३० रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से खर्च किया गया है। जहां पर ढाई करोड़ रुपये खर्च करने की स्कीम थी वहां पर ५ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर जांच कर फिर से विचार करे और इस तरह की खामियों को दूर करे। माननीय गोविन्द सहाय जी ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी

[श्री ऊदल]

का जिक्र किया कि वह उसको देखती है। तो उस कमेटी को इन करोड़ों रुपयों के खर्च को देखना चाहिये कि इस तरह से जो नुकसान हो रहा है आगे न होने पावे। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति को साफ करे। जब तक उसकी नीति साफ नहीं होती है तब तक मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं एक बात की और चर्चा करूं कि इंगलैंड के एक सज्जन को ४, ५ लाख रुपया चुर्क फैक्टरी का नक्शा तथा प्लान बनाने के लिये दिया गया जो नक्शा तथा प्लान देने के पहले ही मर गये। नतीजा यह हुआ कि उस नक्शे के लिये फिर सरकार को ५ लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो इस तरह से सरकारी रुपये का सदुपयोग न होकर दुरुपयोग हो रहा है।

इसी तरह से अभी माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं और उन से मुनाफा होना चाहिये लेकिन वह मुनाफा भी नहीं होता। मैं जानना चाहूंगा कि साधन तो सब हो गये, ट्यूबवेल बढ़ गये, कुयें बढ़ गये, नहरें खुद गईं, बन्धी और बांध बन गये लेकिन जो सिंचाई का क्षेत्रफल है वह नहीं बढ़ा, इसका क्या कारण है? क्यों आज प्रदेश का किसान पानी नहीं लगा रहा है? मैं श्री गोविन्द सहाय जी से पूछना चाहता हूं कि वह मुनाफा क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं उनको अपने नेता के रूप में मानता हूं, अगर सरकार नहीं बताती तो वही बतायें कि क्या कारण है कि सिंचाई का क्षेत्रफल हर साल घट रहा है? आप देखें कि वह सन् ५१–५२ में था ६७ लाख २५ हजार एकड़, सन् १९५४–५५ में रह गया ६३ लाख ८५ हजार एकड़। इसी तरह से आप देखें कि वह बराबर हर साल घटता ही जाता है। अरबों रुपया योजना पर व्यय हुआ है लेकिन मेरा खयाल है कि इस सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती सिंचाई के सम्बन्ध में की है वह यह है कि उसने इसका रेट तिगुना कर दिया है और यही कारण है कि किसान पानी नहीं लेते। जो हमारे नलकूप लगे भी हैं उनकी पानी की क्षमता जितनी होनी चाहिये वह नहीं रहती और कहीं-कहीं उन को समय पर बिजली नहीं मिलती, कहीं आपरेटर गायब और बहुत अधिक रुपया किसानों को देना पड़ता है जिससे किसान परेशान हैं। सरकार इन बातों पर गौर करे और अगर वह गौर नहीं करेगी तो यह सिंचाई के बढ़े हुये साधन भी देश के किसानों का कोई लाभ नहीं कर सकेंगे।

एक बात और शिक्षा के विषय में मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां के जो छोटे बच्चे हैं उनकी हालत क्या है। माननीय विकल जी ने कह दिया कि हमारी काश्मीर में बख्शी साहब से बात हुई थी, उन्होंने उनसे कहा कि हमने सबसे बड़ी गलती यह की है कि अपने यहां फ्री एजूकेशन कर दी। कम से कम विकल जी को यहां ऐसी बात न कहनी चाहिये थी। आज भी हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू तो कहते हैं कि देश में फ्री शिक्षा हो लेकिन न मालूम किस तरह से विकल जी कहते हैं कि उनसे बख्शी जी ने ऐसा कह दिया। मैं सन् ३५–३६ की बात कहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह की पढ़ाई होती थी उससे भी बहुत अधिक स्तर गिर गया है। आज के स्कूलों में हालत यह है कि बच्चे धूल में बैठते हैं और उनके लिये टाटपट्टी तक का बैठने के वास्ते इंतजाम नहीं है, अध्यापकों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, खंडहरों में या किसी पेड़ के नीचे स्कूल लगते हैं, बच्चे जरा भी साफ सुथरे नहीं होते। मैं समझता हूं सरकार की शिक्षा की नीतियों में बहुत बड़ा दोष है और मैं श्री गोविन्द सहाय जी से कहूंगा कि हमें देश को और जनता को सोशलिज्म के लिये तैयार करना चाहिये, उसके दिमाग को तैयार करना चाहिये, यह बात ठीक है, लेकिन क्या यह सब सरकार की इन्हीं नीतियों से होगा?

इसके अलावा आप देखें कि प्रदेश में बेकारी भी बराबर बढ़ रही है। पिछले साल वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि हम समाजवादी सरकार का बजट लाये हैं लेकिन इस एक साल में बेकारी और बढ़ी है और लोग आज दाने-दाने के लिये मोहताज हैं। वह बतायें कि कौन-कौन उद्योग धन्धे यहां खोले गये हैं? मैं चाहता हूं कि इस विषय में सरकार अपनी नीति घोषित करे। मैं चाहता हूं कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को कर्जा न दिया जाय,

वे अपने पास से उद्योग खोलें और सरकार भी उनमें अपने शेयर रखे। ऐसे उद्योगों का हम भी समर्थन करेंगे, परन्तु उसके लिये सरकार तैयार नहीं होती क्योंकि उनको तो पूंजीपतियों से फायदा है और पूंजीपतियों को इससे फायदा है।

एक किसान जब लगान नहीं देता तो कुर्की होती है, सब कुछ होता है। अभी बतलाया गया था कि ५ लाख रुपया कानपुर के ६ मिल मालिकों पर बकाया है। लेकिन मेरी जानकारी है कि २८ लाख रुपया बाकी है। क्यों नहीं वहां जोर करते ? मैं तो कहता हूं कि नीति में दोष है। अभी शिवराम जी ने कहा कि गरीबों की कुछ भलाई इस में नहीं है। मैं कहता हूं कि गरीबों की भलाई नाम मात्र के लिये है जैसे कि चौथे दर्जे के कर्मचारियों को आने जाने के भत्ते के बारे में। किसानों के लिये हमेशा यह सवाल उठाया जाता है कि हमारे बहुत से किसान लगान नहीं दे सकते। कांग्रेस की घोषित नीति है कि अलाभ-कर जोतों की मालगुजारी माफ करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों उन पर ध्यान नहीं दिया जाता ? कम से कम ३ बीघा तक के किसानों का लगान माफ किया जाय। गोविन्द सहाय साहब ने कहा कि जमींदारी उन्मूलन का अच्छा असर पड़ा। लेकिन उसका उनको जो फायदा मिलना चाहिए था, लगान में जो छूट होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। लगान बढ़ गया। इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में उद्योग धंधों को खोलने की कोशिश करनी चाहिये। जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में मैं क्या कहूं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति दोषपूर्ण है। यह पूंजीपतियों की सरकार है। इससे देश की जनता का भला होने वाला नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने बजट के सिलसिले में मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में जहां यह कहा कि अब एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना चाहता हूं वहां सचमुच उन्होंने महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया और वह यह कि हमारे प्रान्त और देश पर जो चीनी अतिक्रमण हुआ है उसके सिलसिले में उन्होंने जो कदम उठाया है, वह तारीफ करने लायक बात है। अगर हमारे साथी इसे तारीफ की बात नहीं कहते तो फिर किसे तारीफ वाली बात कहेंगे ?

जब हम यह देखते हैं कि हमारे प्रदेश में एक खतरा पैदा हो सकता है और हमने इस असेम्बली में बैठ कर चीनी अतिक्रमण के बारे में विचार किया, तो ज्यादा अच्छा होता इतनी ही देर यदि हमने अपने क्षेत्र में चीनी मसले पर बात की होती। हम उस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते जिसमें हमें प्रकट करना है कि हम कमजोर नहीं है, शान्ति के उपासक जरूर हैं ; बुद्धिमान शांतिप्रिय आदमी की तरह से समझौते से मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि बलवान आदमी की तरह।

इसी सिलसिले में एक कदम यह उठाया गया कि हमारे प्रदेश की जो पी० ए० सी० है उसमें भी आपने कुछ बटालियन बढ़ाने की बात कही है। पी० ए० सी० का उपयोग कभी-कभी ऐसे मौके पर किया गया जिस पर हमारे साथियों को एतराज है। लेकिन जिन लोगों ने पी० ए० सी० के व्यवहार को देखा है वह उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। अभी हाल में इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर जो उनका व्यवहार रहा है उसकी सब ने प्रशंसा की। मैं जानता हूं यह बटालियन राष्ट्र की रक्षा और सीमान्त की रक्षा के लिये बढ़ायी जा रही है। यह अच्छी बात है।

आपने जो नवयुवकों में ए० सी० सी० और एन० सी० सी० बढ़ाने का निश्चय किया है ससे विद्यार्थियों में डिसिप्लिन आयेगा और जो प्रदेश के लिये इनके द्वारा एक कलंक का वातावरण पैदा हो गया। है वह भी दूर होगा। इससे विद्यार्थी अपनी शिक्षा प्राप्त करने में, देश भक्ति का इजहार करने में और देश को मजबूत बनाने में एक कदम उठा सकेंगे। आपने सैनिक स्कूल का जिक्र किया, यह भी एक प्रशंसनीय कदम है।

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

विकास योजनाओं के बारे में मुझे यह कहना है कि हमारे प्रदेश में यह योजना चल रही है और बहुत बड़े क्षेत्र में प्रदेश के विकास खंडों की स्थापना की है। उन खंडों के द्वारा प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है कि वे अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करें, रोजमर्रा की कठिनाइयों को दूर करें। अपने जिले के खंडों के बारें में कह सकता हूं कि आप किसी भी खंड में चले जाइये तो वहां का नक्शा बदला मिलेगा। एक जमाना था जब महेवा स्कीम पर लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि महेवा के नक्शे प्रत्येक गांव में अपना रंग भरते जा रहे हैं और किसानों की हालत सुधर रही है। मैं यह नहीं कहता कि उनकी हालत बिलकुल सुधर गई, लेकिन हमने यह एक कदम उठाया है और इस प्रकार से किसानों की दशा सुधारने की तरफ हम बढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष---आपके ५ मिनट हो गये हैं और १० मिनट बाकी हैं, आप अब कल बोलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ फरवरी, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७८ पर)

विवरण-पत्र

कार्य जिस हेतु ऋण दिया गया	वर्ष	ऋण की धनराशि	अब तक बकाया	
		रु०	रु०	न० पै०
१—जल निकासी योजना ..	१९०३–४	१०,००,०००	१,६८,६४२	६६
	१९५७–५८	८,००,०००	८,००,०००	००
		१८,००,०००	९,६८,६४२	६६
२—भंगियों के मकान बनाने हेतु ..	१९५३–५४	७०,०००	३८,४१७	४२
	१९५४–५५	२,१८,०००	१,४०,८९६	९९
		२,८८,०००	१,४९,३१४	४१
३—जल-कल पुनर्संगठन ..	१९५३–५४	३,००,०००	२,७५,०४६	२१
		२,००,०००	१,८३,३६२	३१
		५,००,०००	४,५८,४०८	५२
४—राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत जल-कल पुनर्संगठन हेतु ..	१९५४–५५	१०,५०,०००	..	..
	१९५५–५६	१२,५०,०००	..	..
		२३,००,०००	२३,००,०००	००
	१९५६–५७	१६,००,०००	१५,५०,६३१	९०
	१९५७–५८	१७,५०,०००	१७,५०,०००	००
५—राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत जल निकासी योजना के पुनर्संगठन के हेतु ..	१९५४–५५	२,००,०००	..	..
	१९५५–५६	६,००,०००	..	..
		८,००,०००	८,००,०००	००
६—मार्ग सुधार योजना ..	१९५४–५५	३,९५,०००	३,६९,३७६	३०
७—विस्थापित व्यक्तियों के लिये दुकानें बनाने हेतु ..	१९५४–५५	३,८४,०००	३,५९,०८७	५०
८—बाजार बनाने हेतु ..	१९५६–५७	२,००,०००	१,९३,८२९	५०
९—मल उपयोग योजना ..	१९५७–५८	६,५०,०००	६,५०,०००	००
	१९५८–५९	४,२५,०००	४,०५,३०४	००
		१०,७५,०००	१०,५५,३०४	००

कार्य जिस हेतु ऋण दिया गया	वर्ष	ऋण की धनराशि	अब तक बकाया	
		रु०	रु० न०	पै०
१०—महापालिका भवन बनाने हेतु	१९५७-५८	१३,००,०००	..	..
	१९५८-५९	७,००,०००	..	..
		२०,००,०००	१९,२३,४६२	२३
११—अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत भूमि विकास ..	१९५५-५६	८०,०००	..	..
	१९५६-५७	१,००,०००	..	..
	१९५७-५८	२,२०,०००	..	..
		४,००,०००	४,००,०००	००
१२—अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण ..	१९५४-५५	२,००,०००	..	..
	१९५५-५६	१६,००,०००	..	..
	१९५६-५७	२,००,०००	..	..
	१९५७-५८	५,००,०००	..	..
	१९५८-५९	१३,००,०००	..	..
		३८,००,०००	३८,००,०००	००

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ २८० पर)

गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कुछ प्रयोजनों के लिये गवर्नमेंट्स ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने के लिये,

ऐक्ट संख्या १५, १८९५

विधेयक

उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९ द्वारा यथा संशोधित गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ के प्रसार तथा प्रयोजन के सम्बन्ध में, विशेषकर उसकी धारा २ में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमितियों के प्रभाव के सम्बन्ध में, संदेह उत्पन्न हो गये हैं और उपर्युक्त ऐक्ट का संशोधन करके इन सन्देहों का निवारण करना इष्टकर है;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५९

ऐक्ट संख्या १५, १८९५

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—यह अधिनियम गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम

२—गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ तथा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाय:

ऐक्ट संख्या १५, १८९५ की धारा २ तथा ३ का संशोधन

Act IV of 1882.

"2. (1) Nothing contained in the Transfer of Property Act, 1882, shall apply or be deemed ever to have applied to any grant or other transfer of land or of any interest therein, heretofore made or hereafter to be made, by or on behalf of the Government to or in favour of any person whomsoever ; and every such grant and transfer shall be construed and take effect as if the said Act had not been passed.

Transfer of Property Act, 1882, not to apply to Government Grants.

U. P. Act XVII of 1939.
U. P. Act III of 1926.

(2) Nothing contained in the U. P. Tenancy Act, 1939, or the Agra Tenancy Act, 1926, shall affect, or be deemed to have ever affected any rights, created, conferred or granted, whether before or after the date of the passing of the Government Grants (U. P. Amendment) Act, 1960, by leases of land by, or on behalf of, the Government in favour of any person; and every such creation, conferment or grant shall be construed and take effect, notwithstanding anything to the contrary contained in the U. P. Tenancy Act, 1939, or the Agra Tenancy Act, 1926.

U. P. Tenancy Act, 1939 and Agra Tenancy Act, 1926 not to affect certain leases made by or on behalf of the Government.

U. P. Act XVII of 1939.
U. P. Act III of 1926.

Certain leases made by or on behalf of the Government to take effect according to their tenor.

3. All provisions, restrictions, conditions and limitations contained in any such creation, conferment or grant referred to in section 2, shall be valid and take effect according to their tenor; any decree or direction of a court of law or any rule of law, statute or enactment of the Legislature to the contrary notwithstanding :

Provided that nothing in this section shall prevent, or be deemed ever to have prevented, the effect of any enactment relating to the acquisition of property, land reforms or the imposition of ceiling on agricultural land."

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५९ का निरसन यू० पी० ऐक्ट १, १९०४

३---गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९ उसके प्रवर्तन के दिनांक से निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सदैव यह समझा जायगा कि उक्त अधिनियम इस प्रकार निरस्त किया गया कि उसका कभी भी प्रचलन या प्रभाव नहीं रहा ।

उद्देश्य और कारण

गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९ की धारा २ के उपबन्धों का प्रभाव यह होता है कि वे सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिये जाने वाले कृषि के लिये पट्टे को केवल उसमें उल्लिखित ऐक्टों के प्रवर्तन से ही नहीं बल्कि भविष्य में बनाये जाने वाले किसी भी अन्य विधि के, जिसके अन्तर्गत अधिकतम जोत-सीमा आरोपण सम्बन्धी विधि भी है, प्रवर्तन से बचाते हैं । एक आशंका यह भी है कि धारा २ के शब्द -विन्यास का परिणाम यह हो सकता है कि "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि -व्यवस्था अधिनियम" की धारा ४ के अधीन निहित सरकारी पट्टेदारों (Government Grantees) के आस्थान वापस हो जायं । अतएव ऐसी किसी भी आशंका को दूर करने और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ के अधिनियमित हो जाने के बाद उसे गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट की व्याप्ति से परे रखने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

हुकुम सिंह विसेन,
न्याय मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२८७ एल० ए०—१९६०—८४५ ।